खण्ड-280, अंक-4
मंगलवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(3 मार्च, 1970 ई0)

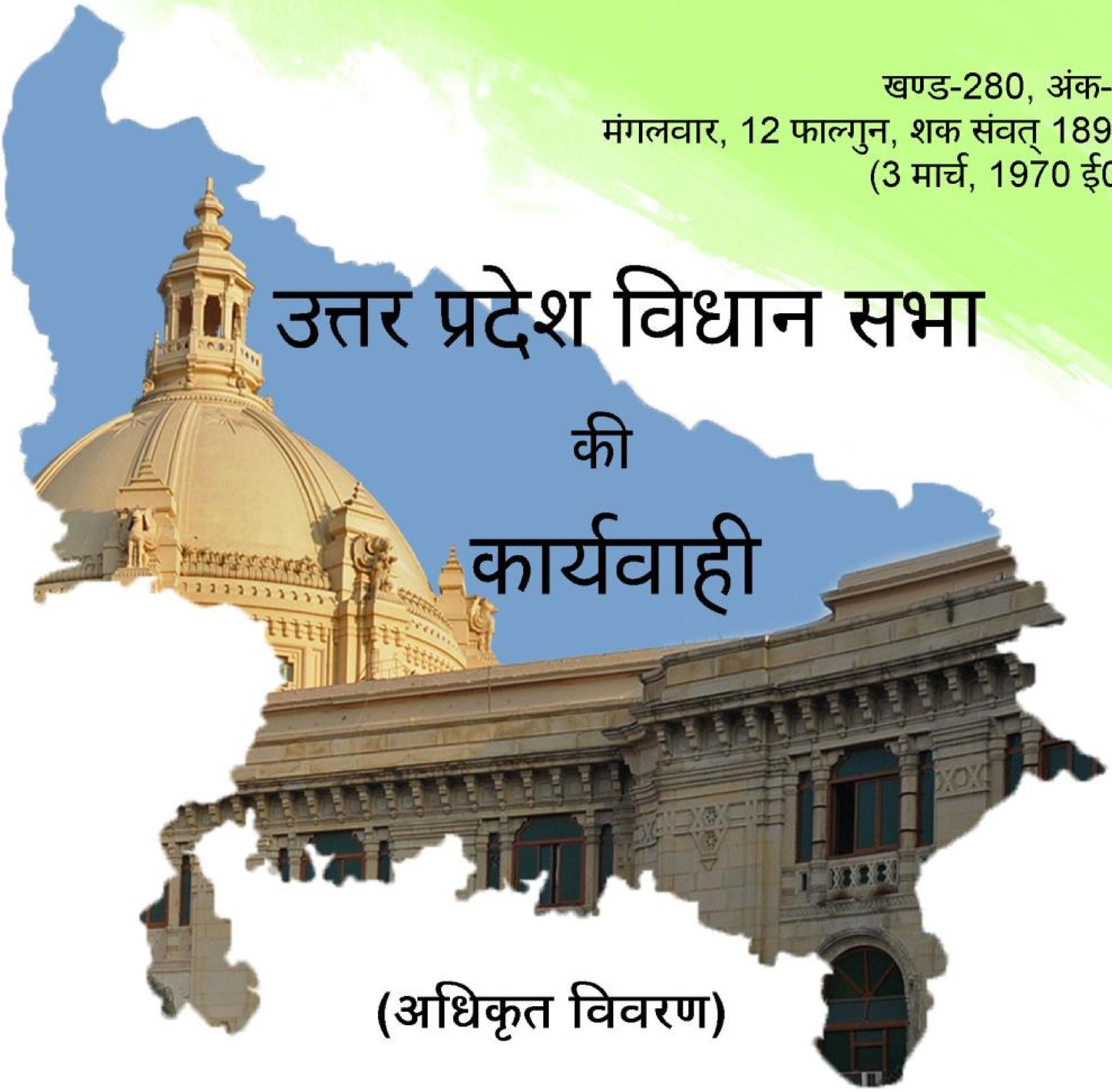

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 280 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार ३ मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३९२)

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलामशाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
(बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री

कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपाल दत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्र भानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणिकांत सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीप नारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेतरामसिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहिरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बस तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री
(उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री
(उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री

राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
रामनिहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम बचन, श्री (जिला आजमगढ़-फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री
(जिला आजामगढ़-रानी की सराय)
रामरतन, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रसाद सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
हुक्म सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट.—खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

अवर सदन पटल

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ मार्च, १९७०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की मांगें

**१—श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर) तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों तथा प्रारम्भिक शिक्षकों में वेतन को नियमित देने की जिम्मेदारी सरकार ले, इस बात पर वे अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

प्राथमिक शिक्षकों ने यह मांग की है कि उनको नियमित समय से वेतन मिलने में कठिनाइयां हो रही हैं, और इन कठिनाइयों को दूर करने की व्यवस्था की जाय । माध्यमिक शिक्षकों की यह मांग है कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय और शिक्षकों को नियमित वेतन देने का उत्तरदायित्व सरकार ले । इस समय शिक्षकों का कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है ।

**२—श्री कृष्णानन्द राय तथा श्री रामचन्द्र विकल—

उपरोक्त परिस्थिति में क्या सरकार अविलम्ब यह घोषणा करेगी कि सरकार शिक्षकों को नियमित वेतन देने की जिम्मेदारी स्वीकार कर रही है, जिससे वे आन्दोलन समाप्त कर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों की शिक्षा में पूरी लगन से योगदान कर सकें ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के वितरण का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों का है जिनके अन्तर्गत शिक्षक कार्य करते हैं । सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले शिक्षकों के वेतन वितरण का उत्तरदायित्व विद्यालय की प्रबन्धक समितियों का होता है । वर्तमान स्थिति में सरकार को इस उत्तरदायित्व के लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि जो मांग है प्राथमिक अध्यापकों की कि उनको नियमित वेतन नहीं मिलता है दिया जाय और माध्यमिक अध्यापकों की जिम्मेदारी सरकार ले तो जो आन्दोलन चल रहा है उनकी मांग के विषय में, उसके विषय में शिक्षा मंत्री जी के क्या विचार हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न संख्या १ के संबंध में मैंने उत्तर दे दिया और प्रश्न २ के संबंध में उनका कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी हाल ही में प्राथमिक शिक्षकों की जो यहां भूख-हड़ताल और आन्दोलन हुआ था उसमें शिक्षा मंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था ? उनको क्या आश्वासन दिया गया था क्या इसको शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

उनसे मैंने सहानुभूति प्रकट करते हुए यह कहा था कि आपकी मांगों पर विचार करूंगा ।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था है और जितनी कमी है अध्यापकों को उतनी शासन देता है ? ऐसी स्थिति में यदि उनका भुगतान राजकीय कोष से किया जाय तो इसमें क्या कठिनाई पड़ रही है ? इस समय अनुदान में जो कमी है उसके हिसाब से देते हैं और जब यह व्यवस्था सरकार की है तो नियमित वेतन देने की व्यवस्था में खजाने से उनको वेतन दिया जाय इसमें क्या कठिनाई सरकार को हो रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शासन द्वारा जिस प्रकार से अनुदान निर्धारित किया जाता है और जिस तरह से वह लगाया जाता है वह एक पद्धति के अन्तर्गत है । कुछ खर्च विद्यालयों में ऐसा भी होता है जो उन विद्यालयों को स्वयं वहन करना चाहिये । जो हमारा अनुदान दिया जाता है वह इसी लिये है कि अध्यापकों को सही-सही समय पर वेतन मिलना चाहिये । यह होते हुए भी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि इस धन का उपयोग साज-सज्जा तथा बिल्डिंग्स आदि में कर लिया जाता है जो उचित नहीं है इसको हम देख रहे हैं । जो अनुदान दिया जाता है अगर उसका उचित रूप में तथा पूर्ण रूप में उपयोग किया जाय तो उसमें कोई अन्य खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री दीपनारायण मणि--

मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि विद्यालयों की आमदनी को मिलाकर शासन को कुछ अधिक नहीं देना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में उनकी इस मांग को मान लेने में सरकार को क्या कठिनाई पड़ रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मांग के औचित्य को तो स्वीकार किया गया है । उनको स्वीकार करने में जो कठिनाई पड़ रही है उसको हम देख रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

शिक्षा मंत्री जी को यह स्मरण होगा कि १९६७ में जब संविद सरकार थी और चौ० चरण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने थे योजना बनी थी जिसके अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को नियमित वेतन देने की योजना स्वीकार की गयी थी । जब राष्ट्रपति शासन हुआ तो उसके बाद अधिकारियों और माध्यमिक शिक्षक संघ के बीच एक समझौता हुआ था यह समझौता उनको नियमित वेतन देने के बारे में था । जो पिछली सरकार थी गुप्ता जी की सरकार थी उसने भी एक योजना बनायी थी जिसमें यह जिम्मेदारी ग्रहण की गयी थी कि शिक्षकों को नियमित वेतन दिया जाये । तो १९६७ से जितनी सरकारें अब तक बनी हैं सभी ने इस योजना को स्वीकार किया है और किसी न किसी रूप में इस जिम्मेदारी को ग्रहण करने का आश्वासन दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो इसको बहुत बढ़ा रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, आप रोकें नहीं । प्रश्न यह आ जाता है कि क्या हमेशा गौर ही होता रहेगा ? पिछली सरकारों ने १९६७ से १९६९ तक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को नियमित वेतन देने की योजना बनायी थी । उस योजना को कार्यान्वित करने की घोषणा यहां पर होनी चाहिये ।

श्री श्रीपति मिश्र–

योजना तो, जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय जी ने कहा, बनायी गयी थी, मगर किसी ने दिया नहीं । हम यह विचार कर रहे हैं कि योजना भी बने और दे दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)––

मान्यवर, क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि १९६७ में जब मैं उप शिक्षा मंत्री था तो मैंने बजट के आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर एक नोट कैबिनेट के विचाराधीन प्रस्तुत किया था जिसमें यह साबित किया था कि सरकारी खजाने से नियमित रूप से वेतन दिया जा सकता है । इस प्रकार शिक्षकों को वेतन देने से सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं आवेगा और इसी आधार पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक बयान भी दिया था कि यह बात सही है कि शिक्षकों को सरकारी खजाने से रुपया मिलेगा ?

श्री श्रीपति मिश्र––

अध्यक्ष महोदय, यह मालूम होता है कि श्री अनन्तराम जायसवाल जब उप शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने ऐसा साबित किया था कि कुछ खर्च नहीं पड़ेगा । मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने साबित किया था उसी में गड़बड़ी थी । जो वस्तुस्थिति है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं और अग्रिम कार्यवाही उसी के अनुसार की जायेगी ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)––

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वे इस प्रकार की कोई योजना सोच रहे हैं कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं और जिनको सरकारी कोष से पैसा मिलता है उन विद्यालयों का वे राष्ट्रीयकरण करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र––

प्रश्न के दो भाग हैं––एक के बारे में तो प्रश्न भी है । पहला तो यह है कि हम सारा उत्तरदायित्व ले रहे हैं और फिर यह कहा जाता है कि क्योंकि सारा उत्तरदायित्व ले रहे हैं तो राष्ट्रीयकरण करेंगे या नहीं ? इन सब के अलग-अलग पहलू हैं । अगर हम राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उसका शिक्षा के प्रसार पर क्या परिणाम होगा ? जिस प्रकार से अब तक शिक्षा का प्रसार चल रहा है क्या राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात् वैसा ही रहेगा या नहीं, यह सोचने की बात है। जितने हमारे जिले हैं उनमें कहीं पर १ गवर्नमेंट कालेज है या कहीं पर दो हैं इससे ज्यादा नहीं हैं । जितने भी और स्कूल व कालेज हैं वे केवल जनता के प्रयास से ही हैं और कहीं-कहीं पर तो ३०-४० तक हैं । तो ये सब प्रश्न हमारे विचाराधीन है । अध्यापकों को वेतन देने के जितने भी तरीके हो सकते हैं उन पर भी हम विचार कर रहे हैं । सरकारी खजाने से उनको वेतन देने का भी एक तरीका हो सकता है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार इस बात के औचित्य को निश्चित रूप से स्वीकार करती है कि जो वेतन अध्यापकों का है वह उनको समय पर मिलना चाहिये । सारा उत्तरदायित्व ग्रहण करके उन्हें दें । दूसरा यह है कि जो विद्यालय अध्यापकों को रख रहे हैं हम उन्हें मजबूर करें कि वे पूरा का पूरा वेतन दें । उसमें जितना भी प्रकरण है वह सब हमारे विचाराधीन है । हम चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षकों को समय पर वेतन दिला सकें । तत्काल हम कोई वायदा नहीं करते क्योंकि यह सदन हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और जब तक निश्चित रूप से यह न कह सकें कि वायदे को पूरा कर सकेंगे तब तक हम कोई वायदा नहीं करना चाहते ।

श्री रामचन्द्र विकल––

शिक्षा मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि वे समय पर वेतन दिलाने के लिए प्रयत्नशील हैं और इसकी घोषणा करेंगे तो वह घोषणा कब तक करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मेरी यह धारणा है कि अगर मैं कोई निश्चित समय और तारीख दूं तो फिर उसमें घंटा आधा घंटा का भी विलम्ब न हो क्योंकि मैं जो कहूं उसे दृढ़ता से पूरा करना चाहता हूं । इसलिये मैं इस पर विचार करने के लिए समय चाहता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी को यह ज्ञात है कि सरकारी सहायता और शिक्षा शुल्क का धन केवल शिक्षकों के वेतन, भत्ते, माइनर रिपेयर्स और कंटिन्जेंसी पर कानूनी तौर से खर्च होना चाहिये । तो क्या ऐसा है और अगर ऐसा है तो शिक्षा शुल्क और सरकारी सहायता मिलाकर और जो खर्चा है उसमें अन्तर है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने पहले ही जवाब दिया था कि जो शुल्क मिलता है और अनुदान मिलता है और जो बढ़ा हुआ वेतन हम देते हैं उसे देखते हुए वह बराबर हो जाना चाहिये । लेकिन यह अभाग्य है कि प्रबन्धकगण की परेशानियों को देखते हुए जो यह धन बिल्डिंग, साज-सज्जा में खर्च करते हैं हम उसे रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं । उसे रोक देने से वास्तविक घाटा बहुत नहीं होगा ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा शुल्क और अनुदान की जो पूर्ण धनराशि है उसमें भवन की मरम्मत और जो अन्य दस-पंद्रह मदें हैं उन पर भी नियमतः व्यय करने का प्राविधान है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इसका जो अनुमान हम लगाते हैं उसका एक नियम है और उसके अंकन का भी एक तरीका है । अनुदान स्वीकृत करने की प्रणाली यह है कि विद्यालय के वार्षिक व्यय में से वार्षिक आमदनी घटाकर जितना अन्तर हो उतना दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह तो पूछा ही नहीं गया । जो जवाब दे रहे हैं वह नहीं पूछा गया ।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि जवाब इस तरह का हो जाय तब शायद प्रश्न न उठें । तो वार्षिक व्यय से वार्षिक आमदनी घटा कर जितना अन्तर हो वह या ५० प्रतिशत जो भी कम हो, वह हम देते हैं और इसके अलावा शिक्षकों को वार्षिक वेय का ७५ प्रतिशत शासन द्वारा दिया जाता है, जो वार्षिक वृद्धि हो वह दी जाती है । तो इस तरह से साज-सज्जा की अलग से ग्रांट होती है जिसको निश्चित रूप से साज-सज्जा और बिल्डिंग वगैरह छोड़ कर अन्यत्र नहीं इस्तेमाल करना चाहिये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री महोदय ने जब इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि जो अनुदान दिया जाता है उसका उचित उपयोग नहीं होता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की आवश्यकता और अधिक महसूस करते हैं कि कोई निश्चित प्रणाली ऐसी अपनायी जाय जिसके द्वारा ठीक समय पर जितना वेतन है वह मिल सके, क्योंकि शासन की तरफ से यह तो जाता ही रहता है कि समय पर वेतन मिले लेकिन उसके बावजूद नहीं मिलता ?

श्री श्रीपति मिश्र—

निश्चय ही शासन की तरफ से इन चीजों को दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जायगा और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि शासन की तरफ से आज्ञा जाने के बाद उसका पालन न हो मैं उसको शासन ही नहीं समझता, शासन की आज्ञा का पालन होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जब ऐसे सिद्धान्त के प्रश्न सामने आय तो इसका खयाल रखना चाहिये कि उस पर सभी दल अपनी राय व्यक्त करना चाहेंगे। इधर से अभी तक किसी को मौका नहीं मिला है । मुझे केवल इतना ही कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद जी कृपा करके सुनें क्योंकि उन्होंने अभी प्रश्न उठाया था । यह निश्चय तो पहले ही हो चुका है । दिलचस्पी तो सभी की होती है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन प्रश्नों के सम्बन्ध में यह पहले तय हो चुका है कि कितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हों ७ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं हांलाकि मैं इससे अधिक हो अवसर दे देता हूं । अगर यह तय कर लें आप कि सब बोलेंगे तो एक ही प्रश्न होता रहेगा और दूसरे नहीं हो सकेंगे, इसलिये थोड़ा जब्त करना ही होगा । एक चीज मैं आपके सामने और रखूंगा कि जो विचाराधीन चीजें हैं और जो नई गवर्नमेंट आती है उसको समय देना होता है अगर वह कहते हैं कि समय चाहिये । तीनों सरकारों ने, गवर्नर की सरकार, उससे पहले की सरकार और गुप्ता जी की सरकार ने विचार किया और कोई अमल उस पर नहीं हुआ । अब इस पर नई सरकार को विचार करना होगा उनका ऐसा कहना गैर वाजिब नहीं है और अगर प्रश्नों की झड़ी लग जाय तो जाहिर है कि वह फौरन उत्तर नहीं दे सकते ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

प्रारम्भिक पाठशालाओं के अध्यापक जिला परिषदों के शासन में और उन के अंग बने रहकर बहुत परेशान हैं तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा को जिला परिषदों से अलग करके उनके लिये किसी अलग बोर्ड का गठन करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जहां तक प्रश्न के पहले भाग का प्रश्न है शासन को इस बात का पता अवश्य बार-बार चलता है कि प्राथमिक शिक्षक जिला परिषदों के इन्तजाम से परेशान हैं और प्रश्न का दूसरा भाग जो आपने निहित किया है कि क्या शासन विचार कर रहा है कि उनके लिये अलग से कोई बोर्ड या निगम बनाया जाय, तो ऐसी कोई चीज अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ऐसे भी माध्यमिक स्कूल हैं जहां के अध्यापकों को दस, ग्यारह मास से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे उनको समय से वेतन मिलने लगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आम सवाल है, अगर जानकारी हो तो आप उत्तर दे दें ।

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, ऐसी शिकायतें हैं कि कहीं-कहीं दस, बारह मास से वेतन नहीं मिला है ।

सवा छः एकड़ तक लगान तथा बढ़ी सिंचाई दरों को समाप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी

****३—श्री रामचन्द्र विकल—**

क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि उनकी सरकार किसानों से ६ १/४ एकड़ तक का लगान व बढ़ी हुई सिंचाई की दरों को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

किसानों के ६ १/४ एकड़ तक के लगान को समाप्त करने का सरकार का कोई विचार नहीं है । बढ़ी हुई सिंचाई की दरों को समाप्त करने का भी कोई विचार अभी नहीं है ।

(शेम–शेम की आवाजें) (व्यवधान)

(श्री रामचन्द्र विकल का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

नेता विरोधी दल उधर के दलों को शांत करें और शांतिपूर्वक काम चलने दें ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली के नलकूप से और नहरों के पानी से जो दाम लिए जाते हैं, उनकी दरें अन्य प्रदेशों के मुकाबले में सब से अधिक हैं । जब कि उत्तर प्रदेश और यहां के किसान देश के अन्य प्रदेशों से पिछड़े हुये हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये सिंचाई की दरों को कम करने पर विचार करेंगे ?

श्री चरण सिंह—

सवाल में बिजली की दरों का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता । यह सही है कि उत्तर प्रदेश के किसान बहुत पिछड़े हुये हैं तो इसलिये जरूरी है कि और धन लगाया जाय ताकि सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जायं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में मुजफ्फरनगर में एक प्रस्ताव पास किया था कि लगान माफ किया जायगा तो अब माफ न करने के क्या कारण हैं ?

श्री चरण सिंह—

उसमें सवा ६ एकड़ तक की जमीन का लगान माफ किये जाने का कोई जिक्र नहीं है । उसमें केवल अलाभकर जोतों का ही जिक्र था । उसकी क्या सीमा हो, इसकी बाबत दो राय हो सकती हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सरकार के आने के पूर्व एक अध्यादेश निकाला गया था जिसमें सवा ६ एकड़ या उससे कम भूमि के किसानों के लगान की माफी की जायगी और उसके सम्बन्ध में प्रदेश भर में २६ जनवरी को एक बहुत जोर-शोर के साथ और उल्लासपूर्ण कृषि दिवस मनाया गया जिसमें किसान लोग जमा हुये । तो क्या विशेष कारण है कि सवा ६ एकड़ तक की जोतों का लगान माफ करने का विचार नहीं किया जा रहा है ?

श्री चरण सिंह—

सवाल के जवाबों को देने के दौरान में लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता हूं। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस खत्म हो जायगी, मैंने यह देखा है कि अधिकतर मेरे दोस्त जो उधर बैठे हैं, उन्होंने सवा ६ एकड़ की रट लगायी है। मैं उसका जवाब तफसील में कल दे दूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। यह प्रश्न स्वीकार किया गया है, और स्वीकृत प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि वे इसका जवाब नहीं देंगे। अगर इस प्रश्न का जो स्वीकार किया जा चुका है, उत्तर नहीं देंगे तो यह आपका और सदन दोनों का अपमान होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर प्रश्न के उत्तर न देने का या स्थगित करने का कोई कारण नहीं है तो क्या यह माननीय मंत्री जी के लिये उचित होगा और आप कह देंगे कि वे जिस दिन चाहें उस दिन उत्तर दे दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता हूं कि वे किस प्रकार का जवाब दें। उन्होंने एक जवाब दिया है। आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

माना कि यह तो आप किसी से नहीं कह सकते कि आप इस प्रकार जवाब दें लेकिन प्रश्न का उत्तर दें, यह भी कह सकेंगे, या नहीं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न का उत्तर तो दिया जा चुका है।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री कल दे सकते हैं, तो समझ में नहीं आता कि आज क्यों नहीं दे सकते हैं। यह प्रश्नों का समय है और समझ में नहीं आता कि वे अपना उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—

सवाल यह था कि क्या सरकार ऐसा विचार रखती है? जवाब दे दिया कि विचार नहीं रखती। आप कैसे कहते हैं कि जवाब नहीं दिया, जवाब तो दे दिया। अब आप उसके कारण जानना चाहते हैं तो उसके कारण तफसील से मैं कल बताऊंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

जवाब देने से श्रीमन्, यह भाग नहीं सकते।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय मुख्य मंत्री जी की राय में अलाभकर जोत की परिभाषा क्या है ? क्या मुजफ्फरनगर कांग्रेस ने सवा छः एकड़ का प्रस्ताव पास किया था ? सवा छः एकड़ को अलाभकर माना था ?

श्री चरण सिंह---

मैंने अपने दोस्तों से मालूम किया, मैं भी वहां मौजूद था, जहां तक मुझे याद है उसमें अलाभकर जोत का जिक्र है, रेजोल्यूशन में उसकी सीमा का जिक्र नहीं है। किसी दोस्त ने अपनी तकरीर में कुछ कहा हो तो वह दूसरी बात है। उसका मुझे ध्यान नहीं है। पब्लिक इन्टरेस्ट में हम यह जरूरी नहीं समझते। उसकी तफसील के लिये मैं कल आपसे बातें करूंगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि १९६७ में चुनाव के लिये जो चुनाव घोषणा-पत्र उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा निकाला गया था जिसकी कार्य कारिणी के वे स्वयं भी सदस्य थे, क्या उसमें सवा छः एकड़ का जिक्र था ?

श्री चरण सिंह---

मुझे याद नहीं है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

माननीय मुख्य मंत्री ने जो अपनी घोषणा की थी, उसमें अलाभकर जोतों पर ही लगान माफी करने की स्वीकृति दी है और यह सीमा ३ १/८ एकड़ की उन्होंने निर्धारित की है, तो किस आधार पर उन्होंने १२ एकड़ जोत वालों को ३ १/८ एकड़ जोत पर लगान में माफी दी है ?

(मुख्य मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं कहा गया)

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

इस पर सरकार बनी है और बिगड़ी है। इतना महत्वपूर्ण सवाल है, और आप इस पर इजाजत नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

कभी शोर करने से न तो सत्ता बनी है न बिगड़ी है। सत्ता वोटों से बनी व बिगड़ी है।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह तो आप ठीक कहते हैं कि शोर करने से न बनती है बिगड़ती है, लेकिन यदि आप कहीं गलत राय कायम करें तो सरकार बच सकती है। जब कोई सैद्धान्तिक बात आती है तभी मैं पूछता हूं, किन्तु इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां योंही टाला जा रहा है, जो बात ठीक नहीं है। पहला सवाल मैंने पूछा था जैसा कि एक अन्य सदस्य ने भी पूछा है, कि जमींदारी एबलिशन ऐक्ट में सवा छः एकड़ जोत को अलाभकर जोत माना गया था, लेकिन आज उन्होंने ३ १/८ एकड़ को अलाभकर जोत मान लिया है, तो अब वह कौन-सा कारण है कि सरकार का सिद्धान्त बदल गया है ?

दूसरा प्रश्न जो बड़ा ही गम्भीर है वह यह है कि आपने ३ १/८ एकड़ जोत को अलाभकर मानाऔर उसे माफी दी, तो फिर आपने यह छूट जो साढ़े बारह एकड़ तक वालों को दी उसका का क्या कारण है ? यदि ऐसे महत्व के प्रश्नों का जवाब नहीं होगा तो अव्यवस्था की भी जिम्मेदारी माननीय सदस्यों की नहीं होगी।

(उत्तर न मिलने पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह मेरे दल के नेता का प्रश्न है, आप उसका जवाब दिलवाइये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--

मैं भी केवल इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम प्रश्नों का उत्तर अवश्य आना चाहिये । यह बहुत ही अनुचित बात होगी कि सदन में प्रश्न आये और उसका उत्तर न मिले ।

(व्यवधान) (उत्तर न मिलनें पर)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं इसके विरोध में अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के सदस्यों सहित सदन छोड़कर चले गये ।)

श्री अनीसुर्रहमान--

क्या यह सरकार समझती है कि पटवारियों के होते इन्हें कोई राहत मिल सकेगी ? (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पटवारियों से किसानों को मुक्ति दिलवायें ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

सवा छः एकड़ जोत की माफी व सिंचाई-कर के बारे में पहले उनकी राय दूसरी थी । उनका यह कहना था कि सिंचाई की दरें घटनी चाहिये और अब माननीय मुख्य मंत्री की राय दूसरी है । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की राय क्या है । इसलिये उस बात पर विवाद होने दें और लोगों को अपनी राय जाहिर करने का मौका दें । पिछली सरकार, जिसका हवाला देते हैं उसने इस सिलसिले में कुछ बात सोची थी ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

कृपा करके शान्ति कायम कीजिये । हर एक आदमी बोलने लगेगा तो कैसे चलेगा ?

श्री गिरधारी लाल--

अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनसंघ के नेता माननीय त्रिपाठी जी ने जो प्रश्न किये उनका जवाब नहीं दिया गया । उसके प्रोटेस्ट में हम पांच मिनट के लिये सदन से वाक आउट करते हैं ।

(चौधरी गिरधारी लाल तथा उनके दल के सदस्य सदन छोड़ कर चले गये ।)

मंत्रियों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर न देने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न संख्या ४ ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, हम इस प्रश्न पर सदन छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं । लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से जवाब भी चाहूंगा निश्चित और जब तक आप जवाब नहीं दिलवायेंगे तब तक मजबूर होंगे कि हम बराबर सवाल करते रहें ।

नोट :--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो नियम ४९ के अन्तर्गत सूचना देकर आप उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अगर सवाल ऐसा होता तो इर्रेलेवेंट होता, भ्रमपूर्ण होता, जो आज की कार्यवाही से समीचीन न होता, तो आप उसको टाल सकते थे। सवाल सही है। उसका उत्तर आना चाहिये। जब तक उत्तर नहीं आयेगा तब तक आगे कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष जी, नियम ४९ से हम भी वाकिफ हैं। उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप क्यों जहमत करते हैं? सवाल किया गया। सवाल का निश्चित जवाब होना चाहिये। सवाल हम इसलिये करते हैं कि हम किसी चीज पर जानकारी प्राप्त कर सकें। दूसरे यह होता है कि सरकार को हम सुझाव दे सकें किसी मामले पर। सवाल का यह मतलब होता है। यही डेफिनीशन हमको पढ़ायी गयी है। सवाल का उद्देश्य यही है कि सवाल करके हम जानकारी चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। उसके बाद आप मौका दे देते हैं कि वह जवाब न दें। या तो आप सवाल के घंटे को टाल दें, या जवाब दिलवायें। प्रश्न यह है कि हमारा सदन बैठता भी नहीं। एक घंटे में दस, बारह, पन्द्रह सवाल से ज्यादा नहीं हो पाते।

श्री अध्यक्ष--

आज तो तीसरे पर अटक गये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अजेंडे पर सौ सौ सवाल लिखे रहते हैं। जब हम मांग करते हैं तो सदन बैठता नहीं। जब कोई अहम सवाल उठता है तो आप मौका दे देते ही हैं कि जवाब न दें। माधव बाबू ने जो सवाल उठाया था उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं। अलाभकर जोत की परिभाषा अब तक जो की गयी है, जो कमेटी है उसकी राय और मान्यता है कि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर जोत मानी गयी है। जब तक कोई दूसरी कमेटी बैठ कर अपनी दूसरी राय न दे दे, कि अलाभकर जोत दूसरी हो गयी है, तब तक किसी एक आदमी की स्वेच्छा, या व्हिम, सनक पर नहीं चलने दिया जायगा। अभी तक ऐसी कोई कमेटी नहीं बैठी है जिसने यह कहा हो कि सवा छः एकड़ की जोत अलाभकर नहीं रह गयी, तब तक कांग्रेस का घोषण-पत्र और १९३१ का रेजोल्यूशन की मान्यता है।

अलाभकर जोत वह है जिन जोतों से बचत नहीं है। उनको मुक्त करना लगान से ४०, ५० वर्षों के घोषणा का निचोड़ है। इस वक्त हम माननीय मुख्य मन्त्री से इतना पूछते हैं कि किस कारण से वह साढ़े १२ एकड़ तक छूट रखने की बात सोच रहे हैं और हम यह भी जानना चाहते हैं कि किस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री ३ सही १ बटा ८ एकड़ तक छूट दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसमें तो इतना ही है कि क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उनकी सरकार किसानों से ६ १/४ एकड़ तक का लगान व बढ़ी हुई सिंचाई दरों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं कहा कि हमारे इस तरफ के सवा छः एकड़ तक अलाभकर जोत लगा रहे हैं जिस पर उन्होंने यह भी कहा कि जो कुछ कांग्रेस के घोषणा-पत्र में मुजफ्फर-नगर में या उसके पहले के हों उनमें अलाभकर जोत सवा छः एकड़ नहीं आया। उसी बिना पर माधव प्रसाद जी ने यहां पर यह प्रश्न उठाया कि माननीय मुख्य मंत्री ने तीन सही एक बटा आठ एकड़ को किस आधार पर अलाभकर जोत मान लिया ? दूसरी बात यह है कि सवा तीन एकड़ अगर उनकी निगाह में अलाभकर जोत है जिस पर लगान नहीं होना चाहिये तो साढ़े बारह एकड़ तक यह रियायत वह किस आधार पर दे रहे हैं ? इन बातों पर यह सदन उनसे जवाब चाहता है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सवा छः एकड़ जोत अलाभकर नहीं है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह अर्ज किया था कि यह बात बहुत तफसील की है कि अलाभकर जोत क्या होती है और क्या नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह नीति का प्रश्न है। इसकी घोषणा स्पष्ट होनी चाहिये कि इससे कितनी धनराशि की हानि प्रदेश को होगी। पहले ११ करोड़ की बात थी तो अब कितने की बात है ? मुख्य मंत्री जी हमको भी बच्चे समझते हैं बी० के० डी० के मेम्बरों की तरह से कि चाहे जिस तरफ चाहा बैठा दिया ?

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

मैं अपने माननीय मित्र को बच्चा नहीं समझता हूं और न मैं उनको इस काबिल समझता हूं कि वह बी० के० डी० के मेम्बर बन सकें लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि वह इस माननीय सदन के माननीय सदस्य हैं तो जिस वक्त मुझ से यह कहा जाय कि सवाल का जवाब दो और आपके सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा होता है और मुझे जवाब नहीं देने देते तो फिर क्या मेरा यह भी हक नहीं है कि मैं यह कह सकूं कि मुझे सवाल का जवाब नहीं देने देते तो इसलिये मैं बैठ जाता हूं ? इसलिये मैं बैठ गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, पिछली बार वीरेन्द्र वर्मा जी ने गुप्ता जी से एक सवाल किया था कि उस वक्त गुप्ता जी बैठ गये थे, सवाल का जवाब नहीं दिया था तो उस समय गुप्ता को खेद प्रकाश करना पड़ा था। मुख्य मन्त्री जी को भी ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि यह सदन मालिक है और वे उसके नौकर हैं यह मैं जोर-जोर से कहना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--

मैं न किसी को नौकर मानता हूं और न कोई किसी दूसरे को नौकर कह सकता है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ही इज सर्वेन्ट आफ दी हाउस । ही शुड एडमिट इट । अगर नहीं मानते हैं तो मैं समझूं कि जनतंत्र में इनका कोई विश्वास नहीं है ।

श्री चरण सिंह--

मेरी और मेरे साथियों की मजबूरी यह है कि कुछ शिष्टाचार के नियम हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिये (शोरगुल) जवाब मैंने यह दिया कि सरकार का कोई ऐसा विचार नहीं है कि सवा ६ एकड़ जोत की मालगुजारी माफ कर दी जाय क्योंकि उसे हम जनहित में नहीं समझते । उसके कारण बताने के लिये भाषण देना होगा और कल उस पर बहस होने वाली है तो कल ही मैं उसका जवाब दे दूंगा (शोरगुल)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

एक सदस्य---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सवा ६ एकड़ का जो फारमूला है यह क्या राजनैतिक पार्टियों के गठबंधन की उपज है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री अथवा मुख्य मंत्री पब्लिक सर्वेन्ट हैं या नहीं ? मैं कहता हूं कोई भी मंत्री हो वह पब्लिक सर्वेन्ट है । अगर वह अपने कमरे से बाहर निकल कर जाते हैं, अपना फर्ज अदा करते हैं, और बीच में कोई उनको खींच ले अथवा अनादर उनका करे तो वह लाइबिल हो जाता है पेनल लाज में जिससे सरकारी नौकर प्रोटेक्टेड हैं । वह यह कह दें कि उस ला से माननीय मुख्य मंत्री प्रोटेक्टेड नहीं हैं चाहे कैसा ही व्यवहार उनके साथ कोई करे । इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)--

अगर माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रीगण सदन के नौकर हैं तो क्या विधायक लोग नौकर नहीं हैं, क्या वे तनख्वाह नहीं लेते हैं ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

पहले माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष—

रोज हम कहते हैं कि सदन के हम सेवक हैं। उसमें सब सदस्य भी हैं जो सेवक हैं और सभी लोग सदन के सेवक हैं लेकिन सवाल पड़ता है सेवकों के अनुशासन का.....

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

"सभी लोग" शब्द आपने इस्तेमाल किया है....

श्री अध्यक्ष—

मैं आदरणीय टंडन जी की रूलिंग आपक सामने रख देता हूं। उसमें लिखा है "माननीय मंत्रीगण किसी माननीय सदस्य की इच्छानुसार उत्तर देने के लिये बाध्य नहीं हैं।" और भी रूलिंग्स हैं जिनमें उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि मंत्री उत्तर देने के लिये न उठे तो यह मान लिया जाय कि वह उत्तर देना नहीं चाहते हैं। आपके लिये यह नहीं है कि अनुशासन भंग हो गया बल्कि यह होगा कि उत्तर ठीक नहीं देते या उत्तर बिल्कुल नहीं देते तो आप अध्यक्ष से, जो आपका सेवक है, उससे आप कह सकते हैं कि उन्होंने ठीक उत्तर नहीं दिया या उससे इनकार किया तो हम नियम ४९ के अन्तर्गत उसके ऊपर वाद विवाद करायेंगे। आध घंटे का समय आपको देंगे और वह सरकारी काम में से मिलेगा। इसलिये यह तरीका बना हुआ है।

दूसरी चीज यह है कि प्रश्नों का समय वाद विवाद के लिये नहीं हो सकता है। प्रश्नों के जरिये आप जानकारी हासिल करते हैं। अगर वे उत्तर नहीं देते तो आप उसको कन्डम कर सकते हैं, आप बहस कर सकते हैं और उसका उत्तर आज नहीं तो कल उनको देना पड़ेगा। यह लाचारी है उनकी। उन्होंने वायदा भी किया है उत्तर देने के लिये। प्रश्नों का समय वाद विवाद के लिये नहीं होता है। यह चीज आप लोग समझने की कोशिश करें और कृपा करके आगे के लिये जो प्रश्न हैं उनके लिये समय दें। एक ही प्रश्न पर सारा समय नहीं खर्च करना चाहिये।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं एक सेवक के नाते आपकी इज्जत करता हूं इसलिये कि आप हमारे आका बना कर यहां पर बिठाये गये हैं। लिहाजा आप हमारे आका हैं और सरकार चलाने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी हैं। ये सेवक हैं, नौकर हैं सदन के और जनता के नौकर हैं। उनको यह समझ लेना चाहिये अगर वह इसको नहीं मानते हैं तो वह चरणसिंह न होकर चेयरसिंह हो जायेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन् ने यह व्यवस्था दी तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि कोई मंत्री आपके आदेश के बावजूद प्रश्न का उत्तर देने के लिए उठता नहीं है तो यह सदन के अवमान का प्रश्न हो जाता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो माना गया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने माननीय टंडन जी की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर यदि उत्तर न देना चाहे न दे । लेकिन अभी यह कहा कि इस पर विवाद मांग लिया जाय तो उत्तर देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा । आज की परिस्थिति ऐसी नहीं थी । मुख्य मंत्री उत्तर जानते थे, देना भी चाहते थे लेकिन वे कह रहे थे कि आज नहीं कल उत्तर दूंगा । इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यह कहते हैं मंत्री उत्तर देना चाहें या न देना चाहें, उसकी मरजी पर है तो फिर सदन के सदस्य क्या करेंगे ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि माननीय टंडन जी की व्यवस्था किस संबंध में है। पता नहीं उस समय क्या प्रकरण रहा होगा । आज जैसा प्रकरण नहीं होगा । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने यह व्यवस्था की, मंत्री उत्तर देना चाहे तो दे और अगर न देना चाहे तो न दे । अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूं कि बहुत बुरा हाल हो जायगा । मेरी समझ में तो पहले कभी आपने ऐसी बात नहीं कही । हो सकता है हमको उसकी जानकारी न हो, यह और बात है, लेकिन सही तौर पर आज आप इस बारे में व्यवस्था दें कि आपके कहने के बावजूद भी अगर कोई मंत्री उत्तर न देना चाहे तो क्या सदन का अवमान होगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

आप यह देखें कि अगर मेरी बात सही है तो आप उसको स्वीकार कर लें नहीं तो मुझे बाद को कनविन्स कर दें । अगर आप कनविन्स कर देंगे तो मैं अपनी राय को बदल दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष महोदय, आपने टंडन जी की रूलिंग का हवाला दिया । आपने रूल्स भी पढ़े जिनमें लिखा गया है कि सदस्यों की इच्छानुसार सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। इच्छानुसार की बात दूसरी है। इच्छानुसार उत्तर देना और सही उत्तर देना दोनों अलग-अलग बातें हैं । इन दोनों बातों में आपको डिस्क्रिशन करना होगा । लेकिन आपने अगर इसको अपनी रूलिंग बना दिया तो बड़ा भारी अन्याय हो जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, किसी प्रश्न के उत्तर या किसी विषय की सफाई के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किसी मंत्री को आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि वह उत्तर दें या सफाई दें, या जानकारी फराहम करें, ऐसा हम जानते हैं । लेकिन अगर आपके आदेश के बावजूद मंत्री जी अवमानना करते हैं या मंत्री जी बैठे ही रह जाते हैं तो अवश्य ही यह सदन का अवमान है । ऐसा कहीं नहीं है कि आपके आदेश के बावजूद मंत्री जी बैठे रह जायं और कह दें कि हम जवाब देना नहीं चाहते । उनको उसका जवाब देना ही पड़ेगा । लेकिन अगर किसी बात का उत्तर देने के लिए कोई मंत्री अगर समय चाहते हैं तो ऐसा कह कर आपसे समय ले लेंगे । जैसा कि माननीय नित्यानन्द जी ने कहा कि वह सदस्यों की इच्छानुसार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है लेकिन प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं । एक नहीं सैकड़ों रूलिंग इस प्रकार की मिल जायेंगी। आपने टंडन जी की रूलिंग का हवाला दिया, लेकिन उनकी इस प्रकार की रूलिंग भी मिल जायेंगी कि अगर मंत्री जी कोई इवैसिव रिप्लाई देते हैं तो उनको सही उत्तर देने के लिए अध्यक्ष द्वारा बाध्य किया जा सकता है । उनको सफाई के साथ निश्चित उत्तर देना ही होगा । इसलिये इच्छानुसार उत्तर देने और सही उत्तर देने में आपको इम्तियाज करना होगा । इस प्रकार की सैकड़ों रूलिंग होगी और हर सेशन में ऐसी रूलिंग्स होती हैं कि अगर कोई मंत्री इवेसिव रिप्लाई दे रहा है तो आप उसको आदेश देंगे कि वह सही जवाब दे । अगर कोई सदस्य ठीक सवाल नहीं कर

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

पा रहा है तो आप उसके सवाल को रिफ्रेम भी कर सकते हैं और जब मंत्री जी का जवाब आयेगा । इसलिये मान्यवर जो व्यवस्था आप आज दे रहे हैं, अगर यह व्यवस्था बनी रहेगी, तब आप सोचेंगे कि जिस तरह के मंत्रिमंडल आ रहे हैं, उसके लोग किसी विषय पर उठेंगे नहीं और किसी सवाल का जवाब नहीं आयेगा । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि जिस जहनियत से यह कहा है कि वह सर्वेंट आफ दि हाउस नहीं है, यह खुद को सदन का नौकर नहीं मानते हैं, वह क्या नहीं कर सकते हैं । इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है?

(व्यवधान)

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)-

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

उनको बोलने दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल-

मैं आपके माध्यम से श्री रावत जी से कहूंगा कि वह बैठ जायं । मैं खुद व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । अगर मंत्री जी आपके आदेश के बावजूद उठते नहीं हैं तो यह इस सदन का निश्चित अवमान है। इसके बारे में व्यवस्था आपको देना चाहिये यह मेरा सबमिशन है, गुजारिश है । यह लोग इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग का सहारा लेते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने यह कहा था कि जब आप अनुपूरक प्रश्न पूछते हैं और माननीय मंत्री जी बैठे रहते हैं तो यह माना जाता है कि उस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं है या उत्तर देने के लिए उनके पास सूचना नहीं है । उस वक्त आप उनको उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री अनन्त राम जायसवाल---

मैं यह नहीं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---

मैं तभी कहूंगा, जब मैं यह समझूंगा कि जो उत्तर दिया है उसमें कुछ खामी हैं लेकिन अगर वह कहते हैं कि मुझे लम्बा उत्तर देना पड़ेगा जिसके लिए सूचना की जरूरत है तो वह ठीक है। जो आपने पूछा था तो उन्होंने कहा कि ६ १/४ एकड़ को हमने नहीं माना है। कारण म उन्होंने यह कहा कि वह कल भाषण देंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे । तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन्होंने अव्यवस्थित बात कही हो ।

श्री जगन प्रसाद रावत---

मेरा संवैधानिक प्रश्न है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यह हमारा कान्स्टीट्यूशनल राइट है। कौंसिल आफ मिनिस्टर्स इज रिसपांसिबल टु द हाउस । यह इस सदन का अधिकार है कि जो भी सदस्य पूछे उसका कौंसिल आफ मिनिस्टर्स उचित जवाब दे । इसके ऊपर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें । मंत्री जी का यह

कहना कि सूचना एकत्र की जा रही है और नोटिस की जरूरत है, यह मेरी समझ में आ सकता है लेकिन यह कहना कि उत्तर नहीं देंगे, यह हमारे कांस्टीट्यूशन राइट पर कुठाराघात है । आप इस पर विचार करें ।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

क्या आप उन परम्पराओं को यहां भी कायम करेंगे जिनमें पंडित जवाहर लाल नेहरू को बाध्य किया गया था कि वह जनता के ही नहीं उस सदन के भी नौकर हैं । मुख्य मंत्री जी इस सदन के नौकर हैं या नहीं, यह मुझे बतलाया जाय व्यवस्था के रूप में ।

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था उस पर आप अपनी व्यवस्था दे चुके हैं । उसी उक्त मैंने भी एक प्रश्न किया था कि माननीय मुख्य मंत्री या दूसरे मंत्री लोग इस सदन के नौकर हैं तो क्या विधायक लोग इस सदन के नौकर नहीं हैं ?

(विरोधी पक्ष से आवाजें हैं, हैं ।)

अगर सब नौकर हैं तो बार-बार उसी प्रश्न को क्यों दोहराया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अनीसुर्रहमान—

अगर माननीय मुख्य मंत्री का यह कहना है कि वे इस सदन के नौकर नहीं हैं तो फिर यह सदन नहीं चल सकेगा । वे अपने को सदन का सेवक समझ कर ही यहां रह सकते हैं । इसलिये माननीय चरण सिंह अपने को सदन व जनता का सेवक कहें वरना मैं सदन त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा । (व्यवधान-शोरगुल)

श्री चेतराम गंगवार—

कैबिनेट स्तर के जो विधायक लोग हैं वे ही सदन के नौकर हैं । उनके अतिरिक्त जो और विधायक लोग हैं वे तो वास्तव में सदन के मालिक हैं । क्योंकि विधायकों को अलग करके सदन तो रह ही नहीं जाता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह कह रहा हूं कि आप श्री चरण सिंह की रूलिंग चाहते हैं या मेरी रूलिंग चाहते हैं । मैंने तो रूलिंग दे दी कि हम सब लोग इस सदन के सेवक हैं, बस खत्म ।

श्री जगन प्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि व्यवस्था का प्रश्न जो उठाया गया है (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री जगन प्रसाद रावत—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न करते समय कुछ विधायकों ने यह प्रश्न उठाया कि अगर किसी ने मुख्य मंत्री, मंत्री या किसी के लिए रोष के साथ कोई बात कही तो क्या इससे अव्यवस्था नहीं होगी, और इस सिलसिले में नौकर और मालिक की बात भी चल पड़ी ।

[श्री जगनप्रसाद रावत]

जहां तक सदन के सेवक होने का संबंध है किसी ने नहीं कहा कि वे सदन के सेवक नहीं हैं लेकिन साथ में कहने का एक ढंग होता है। सदन की सेवा करने का यह ढंग नहीं है कि इस तरह से कहा जाय कि हम मालिक हैं, तुम नौकर हो। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न करते समय एक प्रश्न यह उठाया गया कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स जो हैं, सदन के लिए उत्तरदायी हैं। इस तरह से सही बात यह हुई कि वे सदन के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन व्यक्तिगत एक-एक मेम्बर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। सदन का बहुमत प्राप्त करके ही कोई मुख्य मंत्री बना रह सकता है और इस तरह से वे सारे सदन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य कोई असंगत बात कहें, सदन की प्रक्रिया के प्रतिकूल बात कहें तो यह उचित नहीं हो सकता है।

एक सदस्य--

एक संवैधानिक प्रश्न है।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

हम तो स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि चौधरी साहब अपने शब्दों को वापस लें।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का मानसिक कष्ट है कि जिस तरह से हम अपने सदन को चला रहे हैं, इससे मुझको सख्त तकलीफ है।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

प्रेसीडेंट का रूल करवा दें।

श्री चरण सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय चेतराम गंगवार से कहूंगा कि वह बात-बात पर गुस्सा न करें और दूसरों को भी बोलने का मौका दें।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने मेरा नाम लेकर सम्बोधित किया है। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं के दल के लोग बड़े अनुशासन में रहते हैं। मैंने तो उनका अनुशासन उस दिन देख लिया था जब वह नेता विरोधी दल थे और डी०पी० बोरा तथा ओम प्रकाश जी (व्यवधान) नंगे पैरों थे। मान्यवर, मुझको इसलिये कहने का आप अवसर दें कि चौधरी साहब को मुझसे व्यक्तिगत (व्यवधान) श्रीमन्, वह क्यों? लास्ट इयर उनके मन में यह इच्छा हुई कि कैसे श्री चन्द्रभानु गुप्त को अपदस्त करें और कुर्सी को हथिया लें।

(इस असवर पर बहुत अधिक व्यवधान हुआ)

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो कुछ हम सदन में देख रहे हैं उससे यह सदन चल नहीं सकता।

श्री कृष्णानन्द राय--

अगर नहीं चल सकता है तो आप प्रेसीडेंट रूल करवा दीजिये।

श्री चरण सिंह—

मान्यवर, तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग एक दूसरे के खिलाफ आरोप और प्रति आरोप लगा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं वह शोभनीय नहीं है। डेमोक्रेसी में यह है कि हम दूसरे की बात को खामोशी से सुनें और अपनी बात को दूसरों को सुनायें। मैंने केवल यही कहा था माननीय गंगवार साहब से दरख्वास्त की थी कि वह बात-बात में गुस्सा न करें। इस पर श्री चेतराम गंगवार फिर खड़े हो गये। तो क्या बात हुई? क्या दरख्वास्त करने का भी हक नहीं?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इनको दरख्वास्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से अर्ज करना चाहता हूं कि इतने गुस्से का प्रदर्शन न करें। उससे मेरा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। अब मैं उनसे न कह कर माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने दोस्तों को नियन्त्रण में रखें। मैं मुख्तलिफ दलों के सभी नेताओं से भी दरख्वास्त करूंगा कि वे भी अपने दल के सदस्यों को नियन्त्रण में रखने की कोशिश करें।

कई सदस्य—

उसमें आप भी शामिल हैं।

श्री चरण सिंह—

हाउस में गुस्सा, पैशन और गर्मी पैदा हो जाने से कोई लाभ नहीं होगा। बात शांत हो गयी थी, मगर फिर हंगामा हो गया। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर हम बहस नहीं कर सकेंगे।

कई सदस्य—

वह ट्रेनिंग आप ही ने दी है।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब, आप जारी रखें।

श्री चरण सिंह—

यह बात करने की जगह है, यह लड़ने की जगह नहीं है और बात तभी हो सकेगी जब हम दूसरे की बात को जब्त से सुनेंगे और दूसरे की नीयत पर हमला नहीं करेंगे। अगर गुस्सा होगा तो फिर सदन चल ही नहीं सकता है। पार्लियामेंट और असेम्बली के चलाने के लिये यह आवश्यक भी है कि हम शान्ति से एक दूसरे की बात को सुनें। दुःख है कि हमारे यहां नहीं हो रहा है। मैं सभी को दोषी करार देना चाहता हूं। जो जिम्मेदार लोग हैं वे इसको देखें।

कई सदस्य—

अपने को छोड़ दिया।

श्री चरण सिंह

तो मैं बैठने जा रहा हूं। आप चलाइये हाउस।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक संवैधानिक प्रश्न उठाया गया है। उस पर आपकी रूलिंग चाही गयी। मन्त्री जी किसी प्रश्न का जवाब दें या न दें यह संविधान के खिलाफ है। संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो प्रश्न सदन के सामने रखे जायेंगे उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मन्त्री जी को यह अधिकार है कि अगर कोई सूचना देना जन हित में नहीं है तो उस सूचना को वे रोक सकते हैं और अगर पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है तो समय मांग सकते हैं। एक सवाल रखा गया, आपने उस को एडमिट कर दिया और मन्त्री जी बगैर जवाब दिये बैठे रहें तो यह संविधान के प्रतिकूल है। अगर यह व्यवस्था दी गयी तो वह संविधान के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था दी गयी है वह संविधान के अनुसार है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्या यह व्यवस्था देंगे कि अगर मुख्य मन्त्री या कोई मन्त्री किसी सवाल का जवाब देने से इंकार करता है, तो वह सदन का अपमान नहीं होगा।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। कहते हैं जवाब नहीं दिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह सवाल ही नहीं उठता है। कम से कम जो मुझसे प्रश्न हुआ और जो उत्तर दिया उससे यह सवाल नहीं उठता है। जो आज आप ने व्यवस्था दी, वह पुरानी है, जैसा कि आप कहते हैं। हाउस आफ कानन्स, लोक सभा और माननीय पुरषोत्तमदास जी की अनेक व्यवस्थाएं हैं। आपकी और श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी की भी होगी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

यह सही है—

श्री चरण सिंह—

उस व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि मैंने जवाब देने से इन्कार नहीं किया। हमारी तरफ से यानी गवर्नमेन्ट की तरफ से जवाब आया था उसमें ऐसा विचार नहीं पेश किया गया। इसका जवाब उस प्रश्न में नहीं है। तो मैंने भी प्रश्न के उत्तर में यह साफ कर दिया था कि हम पब्लिक इन्टरेस्ट में ऐसा नहीं समझते हैं और आप ने जब और कारण मुझसे पूछने चाहे तो मैंने कहा कि कारणों पर मैं कल प्रकाश डालूंगा। तो मेरे जवाब से आपको असंतोष हो यह दूसरी बात है लेकिन जवाब देने से इन्कार नहीं किया। अगर जवाब नहीं दिया जाता या खामोश बैठ कर ही यह जाहिर कर दिया जाता कि जवाब नहीं देना चाहता तो उसके लिये नजीरें हैं। लेकिन यह फैक्ट नहीं है कि जवाब देने से इन्कार किया गया। जवाब से असंतोष हो यह दूसरी बात है, इवेसिव नहीं है। जो माननीय मित्र ने यह कहा कि हजारों रूलिंग हैं तो मुझे नहीं मालूम है कि हजार हैं या दो हैं लेकिन सवाल का जवाब इवेसिव नहीं है। बहरहाल, आप औरजानना चाहते हैं तो कल इस पर डिबेट होगी मैं उस वक्त जवाब दे दूंगा। इस वक्त बात यह थी कि सवाल तो एक मिनट में करेंगे और जवाब दिया जायगा आधे घंटे में।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने गलत बयानी की है। इन्होंने इतना ही कहा था कि तफसील में उत्तर होगा इसलिये कल मैं बहस के दौरान में कहूंगा। उन्होंने यह नहीं कहा कि पब्लिक इन्टरेस्ट में जवाब नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह जो सारी अव्यवस्था या शोरगुल सदन में हुआ उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण यह है कि जो रूलिंग दी गयी वह समय के उपयुक्त नहीं है कि कोई मन्त्री बैठा रहे और उससे प्रश्न किया जाय और वह उठे नहीं, जवाब न दे तब भी वह इस सदन का अपमान नहीं समझा जायगा और वह अपने अधिकार की सीमा के अन्दर है। इस रूलिंग ने आज के लिये ही नहीं बल्कि भविष्य के लिये भी अव्यवस्था पैदा हो जायगी.....

श्री चरण सिंह—

यहां तो ऐसा भी नहीं हुआ। आप को शिकायत केवल स्पीकर साहब से थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं उन्हीं से कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मेरी रूलिंग है पुरानी। नेक राम शर्मा ने कहा—इसके आगे और है—"कि जानबूझ कर गलत बात कहें तो इसके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न तक उठाया जा सकता है।" मैंने जवाब यह दिया कि ठीक है और इसके बाद मैंने मंत्रियों को अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर न देने का भी अधिकार है यह कोट किया था २४ अक्तूबर, १९५६ को। रामसेवक यादव द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का अनुकूल उत्तर न मिलने पर श्री राजनारायण के एक व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष ने कहा: "यदि उत्तर नहीं दिया तो उत्तर न देने का भी उनका अधिकार है और वह अपने स्थान पर बैठे रह सकते हैं। इसके बाद यह समझा जायगा कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं।" इसके बाद आप जो कह रहे हैं तो यह रूलिंग होते हुये भी ऐसा कितनी दफा हुआ है कि कोई मन्त्री बैठे रहे हैं? एक आध ही दफा ऐसा हुआ है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट की यह रूलिंग है। वहां के स्पीकर ने यह रूलिंग दी कि अगर वह नहीं उठते हैं, बैठे रह गये तो इसका मतलब यह समझना चाहिये कि उत्तर नहीं देना चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

दो प्रश्न इससे उत्पन्न हुये। पहली बात तो यह है कि ऐसी रूलिंग अगर आप ने नहीं दी है, कहीं अन्यत्र है और इस मौके के लिये मौजूद नहीं है तो इसका पालन किया जाय यह उचित नहीं है। उचित तो वह होगा कि जो सदन को कंट्रोल कर सके, जो सबकी भावनाओं का आदर करें। अगर उत्तर नहीं मिलता तो जिस मकसद से प्रश्न रखे जाते हैं वह खत्म हो जाता है। अगर यह रूलिंग हो जाय कि उत्तर आता नहीं या उनके पास उत्तर नहीं है तो यह मान लिया जायगा तो विश्वास माने व्यवस्था नहीं रह सकती और उनकी हिम्मत पड़ जायगी चुप रहने की। अभी बिहार में सुधांशु जी ने रूलिंग दी कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई चीज है या नहीं तो यह तय करना मिनिस्टर का काम नहीं, स्पीकर तय करेगा। श्रीमन्, पार्लियामेंट की रूलिंग या दूसरी जगह की रूलिंग आप तब ग्रहण करें जब कि आप के सोच-विचार में कोई रास्ता न रह जाय। अगर आप समझते हैं कि रूलिंग गलत है तो पुनर्विचार करिये।

श्री अनीसुर्रहमान—

नेता सदन ने जो कुछ कहा उसको ध्यान में रखते हुये अर्ज करूंगा कि एक सवाल है उसका जवाब मुख्य मन्त्री न दें या बैठ जाय तो फिर आपका सम्बन्ध व्यवस्था देने के रूप में आ जाता है। पार्लियामेंट में रूलिंग हो चुकी है। लिहाजा मैं अपना संतुलन कायम रखते हुए और नेता सदन के कहने के आधार पर यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप व्यवस्था दें कि इस सदन के अन्दर, समस्त सदस्य जो इस सदन को कांस्टीट्यूट करते हैं और मुख्य मन्त्री अपने मंत्रि मंडल सहित भी जिसमें शामिल हैं, अगर कोई सदस्य प्रश्न पूछे तो क्या मुख्य मन्त्री का दायित्व नहीं है, मैं नौकर शब्द का इस्तेमाल नहीं करता लेकिन उन्होंने शपथ अलग से भी ली है और वे जनता के नौकर हैं, कि पब्लिक इंटरेस्ट में जो है उसका जवाब दें।

श्री चरण सिंह--

यह नौकर शब्द बहुत बार कहा जा रहा है। हमारे अनीसुर्रहमान जो अलीगढ़ से आते हैं उन्होंने बहुत गुस्से में कहा कि जनता के नौकर हैं। मैं यह समझता हूं कि यह एक एलीमेन्टरी नालेज की चीज है कि जो पब्लिक बर्क्स हैं या जो विधायक चुन कर आते हैं वे पब्लिक सर्वेन्ट्स हैं। यह एलीमेन्टरी चीज मुझे भी मालूम है। लेकिन उनका टोन इस प्रकार का था और माफ करेंगे अनन्तराम जायसवाल जी कि उन्होंने कहा कि ये हमारे नौकर हैं। तो मैं उनका नौकर नहीं हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा, आप प्रोसीडिंग्स की जांच कर लें। उन्होंने यह कह कर गलत बयानी की है।

श्री अध्यक्ष--

आप ने नौकर नहीं कहा ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आपने क्या सुना ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आपने नहीं कहा तो ठीक है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मैं निवेदन करूंगा कि आप बतलावें कि आपने क्या सुना।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पब्लिक इन्टरेस्ट में उत्तर देना उचित नहीं है।

श्री चरण सिंह--

मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि पब्लिक इन्टरेस्ट में सवा छः एकड़ की मालगुजारी माफ करना उचित नहीं समझता। आपने कारण पूछे तो मैंने कहा कि तफसील में अभी नहीं बतला सकता, कल बतलाऊंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे--

श्रीमन्, इसमें स्पष्टीकरण जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि तफसील में उत्तर देना पड़ेगा, इसलिये आज नहीं कल उत्तर दूंग। प्रश्नों के सन्दर्भ में तफसील को शार्ट में कहा जा सकता है। अगर सदन के माननीय सदस्य उत्तर जानना चाहते हैं तो क्या मुख्य मन्त्री या कोई मंत्री उससे हट सकता है। तफसील को शार्ट करके कह सकते थे। वह कहते हैं कि कल इसका डिटेल में उत्तर देंगे लेकिन मैं आपकी श्रीमन्, व्यवस्था चहता हूं कि वह केवल 'तफसील' शब्द का प्रयोग करके उत्तर नहीं देना चाहते हैं, ऐसी बात है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपके सामने टंडन जी की रूलिंग रखी उसमें साफ लिखा है कि किस प्रकार के उत्तर दें इसके लिये हम मंत्री को बाध्य नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि तफसील की बात कल करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीजें उठाई जा रही थीं इसलिये उन्होंने कहा कि मैं इस सबका तफसील से उत्तर कल दूंगा....।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--

श्रीमन्, मैं केवल एक बात अर्ज करूंगा कि जहां तक इस उत्तर का सम्बन्ध है कि 'तफसील' से उत्तर कल दूंगा यह उत्तर तो है ही गलत सही जो कुछ भी है इस सम्बन्ध में तो कोई विवाद नहीं होगा लेकिन मैं केवल एक निवेदन आप से करूंगा कि आप ने इस बीच में यह कह दिया कि यदि कोई मंत्री महोदय उत्तर ही न दें और बैठे रह जायं तो वह भी प्रिविलेज का प्रश्न नहीं होगा । इस के संबंध में यहां चर्चा हुई । यदि कोई मन्त्री इस तरह से बैठे रह जायं निश्चित रूप से प्रिविलेज का प्रश्न हो जाता है और उत्तर गलत उत्तर देते हैं तब भी विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। एक निवेदन मैं और करूंगा जिसका कि जिक्र त्रिपाठी जी ने भी किया, कृपा करके आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि उत्तर मिल सके और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन को ठीक से उत्तर मिलें और यदि वह मिलेंगे तो शायद अव्यवस्था न होगी ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा हो यदि दलों के नेतागण मेरे कमरे में आ जायं और इस सब पर विचार कर के व्यवस्था हो जाय ।

*श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप ने पार्लियामेंट की रूलिंग का हवाला दिया, मैं चाहता हूं कि उस को दोहरा दूं, आप ने जो हवाला दिया वह पार्लियामेंट की रूलिंग है कि मंत्री बाध्य नहीं हैं कि वह प्रश्न का उत्तर दें या न दें। मैं संविधान की आर्टिकिल १६४ (२) के शब्द आपको बता दूं कि उसमें लिखा है कि "कौंसिल आफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रेस्पांसिबिल टु दि लेजिस्लेटिव असेम्बली आफ दि स्टेट" तो यह जो रूलिंग हुई और जो दूसरी रूलिंग हुई मैं देखता हूं कि उसमें इस सदन के अधिकारों की अवहेलना की निशानी मालूम होती है । इसलिये इस सदन के अधिकारों की रक्षा के लिये मेरा आप से निवेदन है कि जब कभी भी आप की कोई स्पीकर्स कांफ्रेन्स हो तो उसमें संविधान की इस धारा को ध्यान में रखते हुये आप वहां विचार करायें और देखें कि ऐसी रूलिंग जो संसद में हुई हैं या दूसरी जगह हुई हैं वह उचित हैं या अनुचित हैं ।

*श्री कृष्णानन्द राय--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें कि आप ने जो रूलिंग दी है वह एक बहुत ही गम्भीर प्रकार का निर्णय आपने सदन में आज दिया है उसके विरुद्ध तो हम कुछ नहीं कहते लेकिन हम यह अनुरोध करेंगे कि यह हमारी बड़ी आनेस्ट फीलिंग है कि इस पर विचार की पूरी गुंजाइश है ताकि यह सदन ठीक से चल सके । माननीय विष्ट जी ने और श्री रियासत हुसैन जी ने अभी कहा कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स स्टेट असेम्बली के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि उत्तर न दिया जाय । मेरा निवेदन है कि आप ने अभी यहां राज्यसभा की रूलिंग पढ़ दी लेकिन जिस तरह से कि परिषद् के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी नहीं है उसी तरह से राज्य सभा के प्रति भी दिल्ली की सरकार उत्तरदायी नहीं है । ऐसी स्थिति में राज्य सभा में यदि कोई रूलिंग दी जाय तो वह वहां के कांस्टीट्यूशन और कौंसिल आफ मिनिस्टर्स से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष--

वह राज्य सभा की नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया ।

श्री कृष्णानन्द राय—

हम लोगों को यह कठिनाई पड़ रही है आप कहीं से माननीय अध्यक्षों की रूलिंग के एक्स्ट्रैक्ट दे देते हैं। वे किन परिस्थितियों में दी गयी, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। आपने कहा कि अगर कोई मिनिस्टर सदन में न उठे तो वह जवाब नहीं देना चाहता। किन परिस्थितियों में मैं वह रूलिंग एप्लाई करती है, देखना जरूरी है। यदि विधान सभा में प्रश्नों के उत्तर मन्त्रिमंडल द्वारा नहीं दिये जायेंगे और मंत्री बैठे रहें तो आप सदन को नहीं चला पायेंगे और इस सदन का चलाना भी निरर्थक होगा।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मैंने श्रीमन्, आचार्य जी, राय साहब और जायसवाल साहब की आपत्तियों को सुना और जिस रूलिंग का.....।

(व्यवधान)

(विरोधी पक्ष की ओर इशारा करते हुये) अगर आप यह चाहते हैं कि सदन की यही स्थिति हो तो यह भी रह सकती है, जब आप उधर से कुछ कहेंगे तो वह भी नहीं सुना जा सकता है। आप की और हमारी बराबर की जिम्मेदारी है। जब आप कहें, तब हम उसे सुनें और जब हम कहें तो उसे आप सुनें।

श्रीमन्, आपने एक व्यवस्था दी और व्यवस्था की पुष्टि के हेतु आपने माननीय टंडन जी की व्यवस्था का हवाला दिया। मैंने जहां तक सुना और सही ही सुना कि माननीय टंडन जी ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मन्त्री जी अपने को असमर्थ पाते हैं, चाहे उसका कोई भी कारण हो, जनहित में हो या और कोई विशेष कारण हो या प्रशासनिक कठिनाई का कारण रहा हो उस समय माननीय मन्त्री बैठे रहें तो माननीय मन्त्री के प्रति यह न सोचा जाय कि उन्होंने सदन का कोई अवमान किया है। आपने माननीय टंडन जी की रूलिंग का हवाला दिया है। जिस सम्बन्ध में माननीय टंडन जी की रूलिंग का हवाला दिया वह संदर्भ यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि विस्तार से उत्तर देने के लिये वे कल तक का समय चाहते हैं जिस पर माननीय विरोधी दलों के माननीय सदस्यों में उत्तेजना पैदा हुयी जो कि निराधार और निर्मूल थी। कोई कारण नहीं था इसलिये कि माननीय मंत्री को यह अधिकार है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह समय चाहते हैं तो उनको समय मिल सकता है। उसमें यह बंदिश नहीं है कि कितना समय चाहिए। यदि समय चाहते हैं तो माननीय मन्त्री को समय मिलने का अधिकार प्राप्त है। माननीय मुख्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये केवल कल तक का समय चाहते थे जिस पर उत्तेजना पैदा हुयी। जब व्यवस्था का प्रश्न उठा, उस पर माननीय टंडन जी की व्यवस्था का हवाला देते हुए माननीय विरोधी दल के नेताओं को संतुष्ट करने की चेष्टा की गयी। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सदस्य विरोधी दल इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि चाहे हम इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, हमारे अधिकार समान हैं और अधिकारों के साथ साथ हमारे दायित्व भी समान हैं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री महीलाल—

इसलिये आपकी व्यवस्था हो चुकी है उसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मेरा व्यवस्था का सवाल है।

(व्यवधान)

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन, आज की कार्यवाही जो है वह स्थगित कर दें और इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक बिचार करके कल अपना निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष —

मैं आपकी सलाह भी लूंगा । अब आगे की कार्यवाही चलने दें । मैंने तो जो रूलिंग थी वह पढ़ कर सुनायी थी कि यह इस तरह की भी रूलिंग है । यह यहां लागू नहीं होती । मैंने यह कहा कि यहां तक रूलिंग हो चुकी है । मैंने सोचा आपको वह बता दूं । अब यह है कि हम विचार कर लेंगे । कल कृपा करके आप लोग मेरे कमरे में सवा दस बजे आ जायं, बात हो जायेगी । अब आगे का कार्यक्रम चलने दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

चूंकि मेरे बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, मुझे अपना स्पष्टीकरण देने का मौका दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

२–३ मिनट में ही दे दीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, मैंने यह कह था कि माननीय मुख्य मंत्री सदन के नौकर हैं । मैंने कभी यह नहीं कहा कि वे मेरे नौकर हैं । हमेशा जब-जब मैंने कहा है यही कहा कि इस सदन के नौकर हैं । इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी खफा हो गये । उन्होंने यह भी कहा कि मैं किसी का नौकर वाकर नहीं हूं । उन्होंने यह जानते हुए कि "हि इज दि सरवेंट आफ दि हाउस" यह कहा । यही यहां पर उत्तेजना का कारण है। तो अगर उनकी यह धारणा है कि वे सदन के नौकर नहीं हैं जैसा कि उन्होंने यहां कहा है तो उसके लिए उनको सदन से क्षमा याचना करना चाहिये ।

(व्यवधान)

माननीय मुख्य मंत्री को उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

आप कृपया बैठें । आपका स्पष्टीकरण हो गया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन, इसके लिए उनको क्षमा याचना करनी पड़ेगी, उनको ऐसा करना चाहिये । इसमें जरा भी हिचक नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने यह बात कही नहीं । वह तो यह समझे कि आपने कहा कि आपके नौकर, उन्होंने सदन के लिए ऐसी बात नहीं कही ।

(व्यवधान)

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

मैं कहना यह चाहता हूं जो सही बात कल भी मैंने कही थी कि मेरे भाई जायसवाल जी बड़ी मीठी भाषा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके कहने का टोन ऐसा होता है कि कुछ बातें तो वह मुंह में चबा लेते हैं, जो सुनाई नहीं पड़ती है । मैं जानता हूं कि वह एक बड़े पार्लियामेंटेरियन

[श्री हबीबुर्रहमान]

हैं । वह इस तरह से कहते हैं कि कुछ बातें मुंह में रह जायें और जो उनका मतलब है अपमान करना वह हो जाये । मैंने भी इस समय यही महसूस किया कि कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी हमारे नौकर हैं । इसलिये इस वक्त मुख्य मंत्री ने जो जवाब दिया वह बहुत ही उचित था मैं समझता हूं कि जायवाल जी एक सम्मानित पार्टी के नेता हैं । उनके लिए यही अच्छा होगा कि वह ऐसी भाषा का प्रयोग करें और इस तरह से करें कि लोगों को गलतफहमी न हो, कटुता पैदा न हो और सभी का सम्मान हो ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर सवाल है, मुझे भी मौका दें । प्रश्न यह नहीं है कि मंत्री जी ने क्या सुना और नूमानी साहब ने क्या समझा, प्रश्न यह है कि आपने क्या सुना ? आप बताइये ? आप इस कुर्सी पर बैठते हैं आपको सुनना समझना है कि यहां पर कोई क्या कह रहा है । हमारा भाषण यहां पर नोट हो रहा है । आपने क्या सुना ? आपके सचिव ने क्या सुना ? लिखने वाले यहां बैठे हैं । लिखा क्या गया, उसे आप देखिये और उसी को सही मानकर चलिये । यदि वह खुलकर कहते हैं, बेहिचक कहते हैं कि वह इस सदन के नौकर नहीं हैं, तो इस तरह से यह सदन नहीं चलेगा ।

श्री चरण सिंह—

मैंने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं सदन का सेवक नहीं हूं । मैंने कहा कि मैं आपका सेवक नहीं हूं ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न (क्रमागत)

पिछली सरकार के आदेशों का पालन न करने के सम्बन्ध में कथित आदेश

**४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फरवरी सन् १९७० से पहली सरकार के मंत्रियों द्वारा दिये गये आदेशों पर कार्य न करने के कोई आदेश उन्होंने दिये हैं । यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

ऐसा आदेश नहीं दिया गया कि पिछली सरकार के मंत्रियों द्वारा १ फरवरी, १९७० के बाद दिये गये आदेशों पर कार्य न किया जाय ।

तारांकित प्रश्न

*१—श्री रामप्रसाद देशमुख—

[प्रश्न कर्ता के मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जाने के कारण अपास्त]

*२—श्री महीलाल—

[२रे बुधवार के ता० प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३—श्री सजीवन लाल—

[२रे गुरुवार के ता० प्र० सं० १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४—श्री राम प्रसाद देशमुख—

[प्रश्न कर्ता के मंत्रि-परिषद् के सदस्य हो जाने के कारण अपास्त]

*५—श्री शिव कैलाश—

[२रे सोमवार के ता० प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६—श्री रामदेव—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८—श्री सजीवन लाल—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९—श्री मंजूर अहमद तथा श्री रामधारी शास्त्री—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०-११—श्री मैनेजर सिंह—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५२-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२—श्री ईश्वरदयाल त्यागी—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१३-१४—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

*१५-१६—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[४थे बुधवार के प्र० सं० २०-२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१७-१८—श्री इन्द्रलाल—

[३रे सोमवार के प्र० सं० १७-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१९—श्री उमानाथ—

[२रे बुधवार के प्रं० सं० ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले में मक्के के बीज का वितरण

*२०—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में संकर मक्का तथा अन्य अच्छ किस्म के मक्के का बीज कृषि तथा नियोजन विभाग से कृषकों को इस वर्ष दिया गया है ? यदि हां, तो कितना तथा किस मूल्य से दिया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

जी हां । कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा गोंडा जिले में वितरित संकर मक्का तथा अन्य अच्छे किस्म के मक्के के बीज के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

नाम बीज		बिक्रय दर प्रति क्वींटल	वितरित बीज की मात्रा क्वींटल में
		रु०	
१—संकर मक्का	..	३१०	१,१६०
२—टा० ४१ मक्का	..	६२	४०

*२१—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में उक्त मक्का कितने एकड़ में बोई गई है?

श्री शिवराज सिंह—

गोंडा जिले में संकर मक्का १६,२४० एकड़ में बोया गया था। टा० ४१ मक्का का क्षेत्रफल ९१,११० एकड़ था। अधिकतर क्षेत्रफल कृषकों ने अपने पास उपलब्ध बीज से बोया था।

*२२—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[२ मार्च, १९७० को प्र० सं० १४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२३-२४—श्री मंजूर अहमद—

[४थे गुरुवार के प्र० सं० ३८-३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रतापगढ़ जिले में फसल पर कीड़ों का आक्रमण

*२५—श्री जय राम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला प्रतापगढ़ में विकास खंड मंगरौरा, पट्टी तथा देवसरा में डडेंर कीड़ा खरीफ की फसल सनई, उर्दी तथा अरहर को तीव्र गति से क्षति पहुंचा रहा है? यदि हां, तो जिले के कितने गांव इससे प्रभावित हुये?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां।

खरीफ १९६९-७० में, जिला प्रतापगढ़ के ११५ गांव में उर्द, अरहर, सनई, मक्का, ज्वार आदि की फसल, भुडली (स्थानीय नाम जंड़ेर) कीड़े के आक्रमण से प्रभावित हुयी।

*२६—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देहरादून में हलवाई समिति का कथित स्मरण पत्र

*२७—श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देहरादून की हलवाई समिति का एक नया स्मरण पत्र दिनांक २० अगस्त, १९६९ का तथा संलग्न एक छपा हुआ पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने उनके नये सुझावों पर क्या कार्यवाही की?

खाद्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

संबंधित अभिलेख देखने के पश्चात् इस तरह का स्मरण पत्र तथा उसके साथ संलग्न छपा हुआ पत्र के प्राप्ति का संकेत नहीं मिलता।

कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*२८—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[२रे गुरुवार के ता० प्र० सं० ११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२९—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[४थे बुधवार के प्र० सं० २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३०—श्री मंजूर अहमद—

[३रे गुरुवार क प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में सरकारी गल्ले की दुकानें

*३१—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया) तथा श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ दिसम्बर, १९६८ से ३० मार्च, १९६९ के बीच देवरिया जिले में कितने सरकारी सस्त गल्ले की दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है, तथा उक्त दुकानें जिले के किन-किन न्याय पंचायतों एवं किस-किस के नाम से खोली गई हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४७२ पर)

*३२—श्री हरिबंश सहाय तथा श्री शिव कैलाश—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें उन लोगों को दी गई हैं जिनके विरुद्ध पहले विभागीय कार्यवाही की गई थी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

शासन को जो सूचना मिली है उसके आधार पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को दुकान नहीं दी गई जिसके विरुद्ध पहले कोई कार्यवाही की गई हो ।

विसुनीपुर, बलिया में सरकारी गल्ले की दुकान की जांच

*३३—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत २५ अगस्त, १९६९ को बलिया शहर अन्तर्गत विसुनीपुर मुहल्ला राजकीय सस्ता गल्ला के दुकानदार की दुकान की जांच स्थानीय इन्सपेक्टर द्वारा की गई ? यदि हां, तो उक्त दुकानदार की दुकान में क्या अवैधानिकता पाई गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां, दुकानदार के स्टाक में ४ क्विंटल ६० किलो चीनी अधिक पाई गई थी अतः जांच करने के पश्चात् उसकी जमानत का २०० रुपया जब्त करके उन्हें भविष्य में सुचारु रूप से कार्य करने की चेतावनी दी गई है ।

*३४—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री यह भी बतायेंगे कि क्या उक्त दुकानदार कुख्यात व्यक्ति है ? यदि हां, तो उसे दुकान किस की सिफारिश पर तथा कब दी गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । दुकानदार एक सम्भ्रान्त नागरिक हैं उनको दुकान किसी की सिफारिश के कारण नहीं बल्कि इस आधार पर एलाट की गई कि उन्होंने प्रशासनिक मामलों में काफी सहायता पहुंचाई थी एवं उपयोगी सिद्ध हुये थे । दुकान एलाट किये जाने के आदेश दिनांक १० दिसम्बर, १९६८ को जिलाधिकारी द्वारा जारी किये गये थे ।

अध्यक्ष, जिला परिषद् प्रतापगढ़ द्वारा कृषि पुरस्कार से जीप खरीदना

*३५---श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रतापगढ़ जनपद गेहूं उत्पादन की दिशा में प्रथम आया था और फलस्वरूप उसे लगभग २०,००० (बीस हजार) रुपया कृषि पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पुरस्कार प्राप्त हुआ था ? क्या उस पुरस्कार की धनराशि से १९६७ ई० में अध्यक्ष जिला परिषद् प्रतापगढ़ ने अपने प्रयोग के लिये एक जीप खरीद ली, क्या सरकार उक्त धनराशि को उचित प्रयोग में खर्च कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री शिवराज सिंह---

जी हां, प्रतापगढ़ जनपद को १९६२-६३ में १०,००० रुपया और १९६४-६५ में १५,००० रु या पुरस्कार के रूप में दिया गया था। अध्यक्ष जिला परिषद् ने १९६८ में एक जीप खरीदी थी। उनको आदेश दे दिये गये हैं कि जो धनराशि जीप खरीदने पर खर्च की गई है वह तुरन्त उसको सामूहिक पुरस्कार योजना के खाते में जमा कर दें ताकि उसका नियमानुसार प्रयोग हो सके।

*३६---श्री जगन्नाथ राव---

[२रे सोमवार के प्रश्न सं० ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३७---श्री मंजूर अहमद तथा श्री रामपूजन पटेल---

[३रे बुधवार के प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३८---श्री रूपनाथ सिंह यादव---

[४थे बुधवार के प्र० सं० २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३९---श्री रामदेव---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४०---श्री शिव कैलाश तथा श्री हरिवंश सहाय---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*४१---श्री हिम्मत सिंह---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अंगूर की खेती

*४२---श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अंगूर की खेती के बढ़ाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है, और कब से प्रारम्भ होने जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह---

जी हां। प्रदेश में अंगूर की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष १९६९-७० में एक योजना स्वीकृत की गई है। इसके अन्तर्गत वर्ष १९७३-७४ तक बुलन्दशहर तथा मेरठ जिलों में, जो अंगूर के खेती के लिये बहुत उपयुक्त हैं, १६० हेक्टर में सघन खेती तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में २४० हेक्टर क्षेत्रफल पर सामान्य खेती के कार्यक्रम का प्रस्ताव है।

इस योजना की सफलता के लिये कृषकों को निम्नलिखित सहायता उपलब्ध करने का प्रस्ताव है :---

(१) अंगूर के उपयुक्त किस्म के पौधे।

(२) सघन खेती के क्षेत्र में तार, ऐंगिल आयरन आदि क्रय करने के लिये कृषकों को भूमि विकास बैंक के माध्यम से रुपया १५,००० प्रति हेक्टर की दर से ऋण ।

(३) प्राविधिक सलाह ।

*४३–४४––श्री हरिवंश सहाय तथा श्री गया प्रसाद––

[२रे बुधवार के प्र० सं० ७२–७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फसलों का बीमा

*४५––श्री कृष्णस्वरूप––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार किसानों की फसलों का बीमा करने की योजना चलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना कब तक लागू की जायगी ?

श्री शिवराज सिंह––

जी नहीं ।

*४६––श्री ईश्वर दयाल त्यागी––

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पन्तनगर कृषि फार्म के कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्यवाही

*४७––श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)––

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी०ओ० नम्बर ए–३४९५/बारह–जी–१५१–५४, दिनांक १० सितम्बर, १९६१ उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत पन्तनगर फार्म के कर्मचारियों को स्थायी करने के विषय में जो कमेटी बनी उसने क्या रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह––

कथित समिति ने पन्तनगर फार्म के स्थायी अराजपत्रित पदों पर कर्मचारियों के स्थायीकरण के संबंध में अपनी संस्तुति दी थी । उस पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४७३ पर)

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर पर ऋण

*४८––श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री महरम सिंह––

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर की वित्तीय दशा असन्तोषजनक है जिसके लिये तुरन्त कर्जा लेने की जरूरत पड़ गई है ? दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक कितना कर्जा लिया जा चुका है और क्यों ?

श्री शिवराज सिंह––

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के अधिकारियों ने बहुत से निर्माण-कार्यों और अन्य आवर्तक तथा अनावर्तक मदों पर बिना भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये हुये व्यय प्रारम्भ कर दिया और एक स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति लिये बिना व्यावसायिक बैंको से कर्जा ले लिया । विश्वविद्यालय ने ३१–८–६९ तक ४३ लाख रुपया कर्जा लिया था ।

आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के विचाराधीन मुकदमे

*४९—श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६९ से दिनांक ३१ अगस्त, १९६९ तक कितने मुकदमे रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के तथा अन्य प्रकार के आयुक्त इलाहाबाद मन्डल के जेर तजवीज हैं और कितने मुकदमों का निर्णय इस काल में हुआ है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

१ जनवरी, १९६९ से ३१ अगस्त, १९६९ तक रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के तथा अन्य प्रकार के निम्नलिखित मुकदमें आयुक्त, इलाहाबाद मंडल के जेर तजवीज थे एवं निर्णय किये गये :

	रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट	आर्म्स ऐक्ट	वृहत जोत कर	लैंड लार्ज होल्डिंग्स टैक्स	जिला परिषद् ऐक्ट	रूरल डेवलपमेंट (रिक्वीजीशनिंग आफ लैंड ऐक्ट, १९४८)
जेर तजवीज	२०४	४३	२३	४	१२	१
निर्णय	११५	३८	२३	४	१२	१

*५०–५१—श्री रियासत हुसैन—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ४८–४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित

*५२—चौधरी रामपालसिंह यादव—

[दिनांक २ मार्च, १९७० को प्र० सं० ५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*५३—श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ११८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जिले में कोयला मंगाने के लिए नियुक्त नामिनी

*५४—श्री भाभी (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिलान्तर्गत वर्ष १९६७, १९६८ व १९६९ से १५ सितम्बर, १९६९ तक कौन–कौन व्यक्ति तथा कौन-कौन सी फर्मों का कोयला मंगाने का सरकारी नामिनी हैं अथवा लाइसेंस जिलाधीश देवरिया की संस्तुति पर दिया गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिन व्यक्ति अथवा फर्मों को वांछित वर्षों में कोयला मंगाने के नामिनी नियुक्त किया गया है उनकी सूची तालिका १ व २ में संग्लन है। कोयला मंगाने के लिये नियुक्त नामिनी को कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४७४–४७५ पर)

*५५—श्री भाभी तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त लाइसेन्सी तथा सरकारी नामिनी व्यक्ति एवं फर्मों के लाइसेंस होने के बावजूद भी उक्त वर्ष में फर्जी नामों से भी कोयले की बिल्टियां मंगा कर बेचते रहे

हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त फर्मों ने कितना सेल्स टैक्स एवं इन्कम टैक्स सरकार को दिये ?

श्री श्रीपति मिश्र---

ऐसी कोई सूचना नहीं है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

*५६---श्री राजितराम पाण्डेय तथा रामपूजन पटेल---

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ११९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आजमगढ़ जिले के गोपालपुर परगने में धान में रोग

*५७---श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के परगना गोपालपुर में गांव देवनपुर, नेवादा, यूसुफपुर, चौबेपुर, भटनी, तेरही, भवनपुर इत्यादि में धान की फसल में भयंकर रोग लगा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री शि राज सिंह---

जिला आ मगढ़ के परगना गोपालपुर के २३ ग्राम सभाओं के क्षेत्र में (जिसमें प्रश्न में कहे गये ग्राम भी शामिल हैं) बोये गये धान की फसल के कुछ भाग में रोग का आक्रमण हुआ था। सरकार की कृषि संरक्षण सेवा द्वारा रोग ग्रस्त क्षेत्र में तत्काल उपचार किया गया।

*५८---चौधरी रामपालसिंह यादव---

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*५९-६०---श्री भगवतीसिंह विशारद---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६१-६२---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि परिषद् के सदस्य होने के कारण अपास्त]

*६३-६४---श्री नौनिहाल सिंह, श्री महेन्द्रसिंह तथा श्री जितेन्द्रपाल सिंह---

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६५-६६---श्री शिवानन्द नौटिया ---

[३रे गुरुवार के प्र० सं० ५८-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६७---कुंवर शिव महेन्द्र सिंह---

[३रे बुधवार के प्र० सं० ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६८---श्री रामगोपाल संड---

[४थे शुक्रवार के प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६९---श्री जंगबहादुर यादव---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७०---श्री रामगोपाल संड---

[५वें बुधवार के प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७१-७२---श्री ज्वालाप्रसाद कुरील तथा श्री शिवलाल---

[२रे बुधवार के प्र० सं० ७७-७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७३---श्री राम सागर तथा श्री जगन्नाथ खन्ना---

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*७४-७५---श्री गुप्तार सिंह---

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ऐग्रीकल्चरल रिफाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत योजनायें

*७६---श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---

क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया से राज्य सरकार का क्या संबंध है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्म सिंह)---

एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन, बम्बई कृषि उत्पादन तथा तत्संबंधी कार्यों हेतु पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार के एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन एक्ट, १९६३ के अन्तर्गत बनी एक कारपोरेट संस्था है। राज्य सरकार की संस्तुति पर यह संस्था इस प्रदेश की अल्प सिंचाई आदि योजनाओं हेतु पुनर्वित्त सहायता कर रही हैं ।

*७७---श्री गेंदा सिंह---

अब तक उक्त कारपोरेशन को कितनी-कितनी स्कीमें कितने धनों के लिए राज्य सरकार द्वारा भेजी गई और उनमें कितनी स्वीकृत हो चुकी हैं तथा किस-किस स्कीम पर कार्य हो रहा है?

श्री धर्म सिंह---

एग्रीकल्चरल रिफाइनेंस कारपोरेशन को अब तक, (१८-२-७०) तक ३४ योजनायें जिनका परिव्यय ७१.७५ करोड़ रुपया है भेजी जा चुकी हैं जिसमें १८ योजनायें आंशिक रूप या संशोधित परिव्यय के साथ कुल १८.८४ करोड़ रुपये लागत की कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं । इन सभी १८ योजनाओं के अन्तर्गत कार्य हो रहा है ।

*७८---७९---श्री बांकेलाल---

[२रे बुधवार के प्र०सं० ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८०-८१---श्री ओम प्रकाश सिंह---

[प्रश्न कर्ता के मंत्रि परिषद् में सदस्य होने के कारण अपास्त]

*८२-८३---श्रीमती मसाली देवी---

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२१-१२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८४---श्री त्रिवेणी सहाय---

[स्पष्टीकरण क अभाव में निरस्त]

सप्लाई विभाग में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*८५—श्री रघुनाथ सिंह तथा श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खाद्य एवं रसद विभाग के सप्लाई विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी जिनको कार्य करते हुए लगभग २५ वर्ष तक हो चुके हैं उन्हें अभी तक किसी भी पद पर स्थाई घोषित नहीं किया गया है और इसी विभाग के मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो उन्हें सरकार कब तक स्थाई घोषित करने जा रही है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। सप्लाई विभाग के ४२१ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के पद तथा २६५ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्थायी घोषित किये जा चुके हैं। इनमें से ९४ अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कर्मचारी तथा १९६ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं। शेष स्थायी पदों पर उपयुक्त कर्मचारियों को स्थायी करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*८६—८७—श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

[दिनांक २ मार्च, १९७० को प्र० सं० ८५-८६ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*८८—श्री शिवदास—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*८९—श्री नगीना सिंह—

[पुनरावृति के कारण निरस्त]

*९०—श्री राजितराम पांडेय—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९१-९२—श्री लालसा—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८२-८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९३—श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

रावर्ट्सगंज में अवैध रूप से रखे गये चावल की बरामदगी

*९४—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि दिनांक २५ अक्तूबर, १९६९ को राबर्ट्सगंज के श्री श्याम सुन्दर के यहां से ४०० बोरा सरकारी चावल पकड़ा गया तथा श्री श्याम सुन्दर भाग गये और उनके मजदूर पकड़े गये?

श्री श्रीपति मिश्र—

२५ अक्टूबर, १९६९ को २१८ बोरा चावल कतलू, पुत्र हजारी और १०८ बोरा चावल रामचन्द्र तेली पुत्र भैरों तेली के घरों से अवैध रूप से जमा किया हुआ पकड़ा गया। कल्लू ने बताया कि गल्ला श्याम सुन्दर जालान का है और रामचन्द्र का कथन है कि गल्ला राम खिलावन बनिये का है। श्री श्याम सुन्दर के घर से कोई गल्ला बरामद नहीं हुआ और न उनका कोई मजदूर पकड़ा गया।

*९५—श्री सुखपाल पांडेय—

क्या यह सच है कि एस०डी० एम० और एस०ओ०, राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर जिन्होंने छापा मारा है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब भेजी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जिला अधिकारी, मिर्जापुर ने शासन को रिपोर्ट दिनांक ५ जनवरी, १९७० को भेजी ।

*९६—श्री महीलाल—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९७—श्री सजीवन लाल—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९८—श्री त्रिवेणी सहाय—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*९९—श्री रामकरन—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० ५६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१००—श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०१—श्री रामचन्द्र विकल—

[४थे बुधवार के प्र० सं० २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०२—श्री तिरमल सिंह—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०३-१०४—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२४-१२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०५—श्री शंकरप्रसाद जायसवाल—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१०६—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा जिले में धान की फसल में झुलसा

*१०७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में खरीफ की फसल सन् १९६९ धान कुंवारी तथा अगहनी में सूखा (झुलस जाने का रोग) हो गया था जिससे फसल का बहुत भारी नुक्सान हुआ ? यदि हां, तो कितने एकड़ में वह रोग धान पर लगा और प्रत्येक तहसील में कितने का नुकसान हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

गोंडा जनपद में खरीफ की फसल सन् १९६९ में धान कुंवारी तथा अगहनी में झुलसा रोग ११,०२३.५ एकड़ में लगा तथा औसत १५ प्रतिशत हानि हुयी है, जिसका तहसीलवार विवरण निम्न प्रकार है—

तहसील का नाम		झुलसारोग से प्रभावित क्षेत्र (एकड़ में)	अनुमानित हानि (प्रतिशत में)
गोंडा	..	२,५८५.५५	१२ प्रतिशत
उत्तरौला		१,२१७.५०	१८ प्रतिशत
तरबगंज	..	३,३९१.८५	१५ प्रतिशत
बलरामपुर	..	३,८२८.६०	१५ प्रतिशत
योग	..	११,०२३.५०	१५ प्रतिशत

*१०८—श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रोग की रोकथाम के लिए कृषि विभाग ने क्या कार्यवाही की है? क्या उसकी पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे?

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि रोग एवं कीट नाशक अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत इस जनपद को झुलसा रोग की महामारी से ग्रस्त घोषित किया गया। इसके लिए कृषि रक्षा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त विकास खंडों के अन्य कार्यकर्ता भी लगाये गये। शासन ने निःशुल्क निवारण कार्य करने के लिए आदेश दिया, और इस प्रकार प्रभावित क्षेत्र में निवारण कार्य सम्पन्न किया गया।

*१०९–११० श्री सूबेदार सिंह—

[३रे बुधवार के प्र०सं० ३७-३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१११—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११२–११३—श्री शिवराज सिंह—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १२७-१२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११५—श्री दल सिंगार—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११६—श्री नगीना सिंह—

[३रे बुधवार के प्र० सं० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११७—श्री शौनाथ सिंह—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ९० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११८—श्री जगदीश गांधी—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ११९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*११९—श्री अशफाक अहमद—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० १०७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*१२०—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[५वें गुरुवार के प्र० सं० ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

गोंडा जिले में भट्ठों को कोयला

१—श्री गंगा प्रसाद तथा श्री महेश्वर दत्त सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोंडा में १ अक्तूबर, १९६८ ई० से लेकर जून, १९६९ ई० तक कितने टन कोयला दिया गया और गोंडा जनपद में कितने भट्ठे चल रहे हैं कितने सोसाइटी के, कितने निजी और किन-किन स्थानों पर उनके नाम तथा पता क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। भट्ठे वालों में कोयले का वितरण नामांकित कोल एजेंटों द्वारा होता है। बांछित अवधि में जिले में १३ कोल एजेंट कार्य कर रहे थे। उनमें से १० एजेंटों ने जो कोयला बांटा उसकी सूची संलग्न तालिका में है। शेष तीन एजेंटों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७७–४८० पर)

२—श्री गंगा प्रसाद तथा श्री महेश्वर दत्त सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रत्येक भटठे को कितना टन कोयला उस अवधि में दिया गया है और प्रति हजार ईंटा कितने रुपये का निर्धारित मूल्य है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

ईंटों पर कोई कंट्रोल न होने के कारण कितना मूल्य निर्धारित किया गया इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

३—श्री चन्द्रपाल आजाद—

[२रे सोमवार के प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

४—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[प्रश्नकर्ता का निर्वाचन अवैध घोषित होने के कारण अपास्त]

५—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[२रे बुधवार के प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

६—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[२रे गुरुवार के प्र० सं०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

७—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[२रे बुधवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

८—श्री वीरेन्द्र वर्मा—

[प्रश्नकर्ता के मन्त्रि-परिषद् के सदस्य होने के कारण अपास्त]

९—श्री शिव महेन्द्र सिंह—

[२रे शुक्रवार के प्र० सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर विभागीय पदोन्नति

१०—श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग में भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर जो नवम्बर, १९६६ में विभागीय पदोन्नति ग्रुप एक के पदों में से की गई थी उसमें कुछ ज्येष्ठ व्यक्ति बिना किसी कारण के अभी तक पदोन्नत नहीं किये गये जब कि उनसे जूनियर व्यक्ति पदोन्नत कर दिये गये ?

श्री शिवराज सिंह—

अक्तूबर १९६६, में भूमि संरक्षण अधिकारी के पदों पर भूमि-संरक्षण अनुभाग में कार्यरत तथा भूमि संरक्षण में प्रशिक्षित अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक के सदस्यों की ज्येष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर, लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक, अस्थायी रूप से, पदोन्नति की गई थी। तत्कालीन नीति के अनुसार भूमि संरक्षण अनुभाग में पदोन्नति के प्रसंग में अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग एक, के उन सदस्यों के विषय में विचार नहीं किया जाता था जो भूमि संरक्षण अनुभाग में काम नहीं कर रहे थे।

११—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यदि कृषि विभाग में भूमि-संरक्षण अधिकारी के पदों पर उक्त पदोन्नति किसी विभागीय ज्येष्ठता सूची से की गई तो जब आयोग ने ऐसे ग्रुप एक के लोगों की ज्येष्ठता सूची कृषि निदेशक को भेज दी तो नवम्बर, १९६६ में पदोन्नत किये गये जूनियर व्यक्तियों को तुरन्त रिवर्ट करके उनके स्थानों पर उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों को अभी तक क्यों नहीं पदोन्नत किया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्ष १९६६ में भूमि संरक्षण अनुभाग में कार्यरत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक के सदस्यों को भूमि संरक्षण अधिकारी के उत्तर प्रदेश कृषि सेवा, द्वितीय श्रेणी, के पदों पर नियुक्ति के आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि यह अस्थायी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों के लिये चुने गये अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक के लिये की गई हैं। अतः आयोग से ग्रुप एक (अराजपत्रित) के सदस्यों की सूची प्राप्त होने पर उक्त अधिकारियों के प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता।

१२–१४—श्री नौनिहाल सिंह—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० २–४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१५—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१६—श्री ईश्वर दयाल त्यागी—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१७—श्री मंजूर अहमद—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१८—श्री राजितराम पाण्डेय—

[२रे गुरुवार के प्र० सं० ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१९-२०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[२रे बुधवार के प्र० सं० ४-५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अलीगढ़ जिले में रबी के बीज का वितरण

२१—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत रबी की फसल में अलीगढ़ जिलें में कितना टन गेहूं, जौ, चना, मटर का बीज किसानों को दिया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

अलीगढ़ जिले में, कृषि विभाग तथा सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को, कुल मिलाकर ३,५८८.२ टन बीज दिया गया जिसका जिन्सवार विवरण निम्न प्रकार है :

		टन
१—मेक्सिकन गेहूं	.. ..	५७१.८
२—उत्तर प्रदेशीय गेहूं	.. ..	२,२३३.८
	योग	२,८०५.६
३—जौ	.. ..	३२८.२
४—चना	.. ..	८८.४
५—मटर	.. ..	३६६.०
	कुल योग	३,५८८.२

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर में गेहूं की खेती

२२—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, पन्तनगर के अधीन सन् १९६८-६९ में कितने एरिया में गेहूं बोया गया था और कितना एरिया श्रेणी 'ए' और कितना श्रेणी 'बी' में था ?

श्री शिवराज सिंह—

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के अधीन वर्ष १९६८-६९ में १५,४९०.२० एकड़ में बीज उत्पादन के हेतु गेहूं बोया गया था, जिसका विवरण इस प्रक र है :—

			एकड़
(१) विश्वविद्यालय द्वारा अपनी भूमि पर	श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत	..	६,७८१.८०
	श्रेणी 'बी' के अन्तर्गत	..	शून्य
(२) कृषकों द्वारा विश्वविद्यालय की निगरानी में।	श्रेणी 'ए' के अन्तर्गत	..	६,९५६.७०
	श्रेणी 'बी' के अन्तर्गत	..	१,७५१.७०
	कुल योग	..	१५,४९०.२०

बलिया में मकान मालिकों के हक में छोड़े गये रेंट कंट्रोल के मकान

*२३—श्री नगीना सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि रेन्ट कन्ट्रोल के मकान बलिया शहर में जनवरी, १९६९ से १५ दिसम्बर, १९६९ तक कितने मकान मालिक के हक में छोड़ दिये गये ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जनवरी १९६९ से १५ दिसम्बर, १९६९ तक चार मकान बलिया शहर में मकान मालिकों के हक में छोड़े गये ।

२४—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[२रे सोमवार के प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का पांचवां विशेष प्रतिवेदन

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का ५वां विशेष प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

विधान सभा की दिनांक २७ अगस्त, १९६५ की बैठक में श्री गुलाबसिंह, सदस्य विधान सभा के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत देहरादून, टेहरी तथा उत्तरकाशी, जिलों में मोटर मार्गों के निर्माणार्थ ली गई भूमि तथा अन्य क्षति का मुआविजा दिये जाने का आश्वासन संख्या ३३६/६५ दिया गया था ।

आश्वासन की पूर्ति में हो रहे विलम्ब के कारणों की छानबीन करते समय समिति के समक्ष जो तथ्य आये उनसे समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस विषय पर स्थानीय अधिकारियों ने अत्यधिक उदासीनता दिखलाई है । मामले में वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, नियमों की अवहेलना आदि बातें समिति के सामने आईं । इसके अतिरिक्त मुआविजा वितरण से संबंधित फार्म, सी० सी० पर कटिंग तथा ओवर राइटिंग करके अशिक्षित एवं निर्धन कृषकों के धन का अपहरण भी किया गया है । इस प्रकार का व्यवहार असहाय विधवाओं के साथ भी किया गया जिनके पास भरण पोषण का कोई अन्य साधन नहीं है । समिति की ओर से मेरी यह प्रार्थना है कि मुआविजा वितरण से संबंधित इस पहलू की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ।

अन्त में प्रतिवेदन को समाप्त करने के पूर्व मैं इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग तथा सहायता के लिये धन्यवाद देता हूं ।"

जिलाधीश बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर मुझे श्री सुखपाल पांडेय जी ने मेरे पास एक शिकायत भेजी है और इस शिकायत के बारे में जो स्पष्ट किया गया है, वह एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री वरुण के बारे में है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, उसे पढ़ दें । मैं भी सुन लूं । मेरे जिले से सम्बन्धित है ।

श्री अध्यक्ष—

वह यह है—"दिनांक २–३–७० को शाम को चार बजे श्री धर्मसिंह, सहकारिता मंत्री के कमरे (विधान भवन) में, डी० पी० वरुण, जिलाधीश बस्ती मौजूद थे। वहीं श्री असरार अहमद, एम० एल० ए०, श्रीमती शान्तिदेवी, एम०एल०ए० बदायूं, श्री जुगुल किशोर, भूतपूर्व विधायक, बदायूं तथा कुछ पत्रकार मौजूद थे। चूंकि श्री वरुण बदायूं में डी० पी० ओ० रह चुके हैं इसलिये बदायूं के सदस्यगणों ने शिष्टाचार में श्री वरुण से पूछा कि आप यहां कैसे पधारे हैं। श्री वरुण ने अशोभनीय भाषा में कहा कि बस्ती का सुखपाल पांडेय बदमाश एम० एल० ए० है जिसने माघ मेला वासी के विषय में शिकायत करके मुअत्तल करा दिया है जिस पर श्रीमती शान्ति देवी, एम० एल० ए० ने टोककर कहा कि आपको एक माननीय सदस्य के बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस पर पुनः श्री वरुण ने अशोभनीय शब्दों को दुहराया फिर असरार अहमद विधायक ने दोबारा टोका किन्तु श्री वरुण उन अशोभनीय शब्दों को दोहराते रहे।

मैंने माघ मेले से सम्बन्धित प्रश्न दिनांक २७–२–७० को विधान सभा में धारा ५१ के अन्तर्गत उठाया था और उसी मेले के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री को भी लिखा है। मेरा यह विचार है कि श्री वरुण ने २–३–७० को यह धमकी भरी अशोभनीय बातें इसलिये कीं कि दिनांक २७–२–७० को उनके विरुद्ध विधान सभा में उठाये गये प्रश्न में बाधा पड़े।

श्री वरुण के उपर्युक्त अनुचित कार्य से मेरे विशेष अधिकार की अवहेलना हुई है।

अतः मैं श्री डी० पी० वरुण निलम्बित जिलाधीश बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं।"

चूंकि इसमें श्री असरार अहमद ने भी लिखा है, उनके सामने हुआ है और श्रीमती शान्ति देवी ने भी लिखा है, अगर ऐसे शब्द किसी सदस्य के बारे में कहे गये हैं तो प्रादर्शन में वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हो जाता है। इसको मैं विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करता हूं। वह जांच करके रिपोर्ट दे।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

उसमें यह भी कहा गया है कि माननीय सहकारिता मंत्री, श्री धर्मसिंह के कमरे में बात-चीत हुई है। तो उनकी भी बात आ जाय कि यह वाकया उनके सामने हुआ या नहीं।

श्री अध्यक्ष—

कमेटी में आयेगा।

श्री धर्मवीर—

वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री धर्मसिंह)—

जो आपने आज्ञा दी है वह शिरोधार्य है। जहां तक श्री वरुण का सम्बन्ध है मुझे यह नहीं मालूम कि वह किस वक्त मेरे कमरे में बैठे थे। मेरे कमरे के पीछे एक छोटा सा कमरा है। मैं वहां बैठा अपने अधिकारियों से बात कर रहा था। मेरी जानकारी में यह बात नहीं है कि क्या कहा और क्या भाषा प्रयोग किया। मेरी मौजूदगी में कोई शब्द उस प्रकार के नहीं कहे।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते ही नहीं हैं कि आपकी जानकारी में है। उन्होंने कहा कि श्री असरार अहमद और श्रीमती शान्ति देवी थीं।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

उनके कमरे का नाम लिया गया। उनका नाम नहीं लिया गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

सस्पेंडेड अधिकारी मंत्री के कमरे में क्या करने गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

वह गये हों किसी लिये, खुशामद करने के लिये।

सदस्य विधान सभा श्री आशाराम इन्दु के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक श्री मोतीलाल देहलवी ने लिख कर भेजा है। उसके अन्त में यह है कि उनको श्री आशाराम ने धमकी दी।

आपसे सानुरोध आशान्वित हूं कि आप समय रहते तमाम रहस्य की जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरे तथा मेरे परिवार की समुचित व्यवस्था की कार्यवाही करेंगे। चूंकि प्रतिलिपि आपने मुख्य मंत्री जी को भेजी थी। इसलिये मैंने समझा कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर कार्यवाही करेंगे और यह उनका काम भी है। इसलिये मुझे कुछ कहना नहीं है सिवाय इसके कि उनके पास मैं भी यह कथन भेज देता। यह मेरे कागजात में पड़ा रह गया नहीं तो मैं इसको भेज देता। अब आप विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उन्होंने उन्हीं सदस्य के ऊपर उठा दिया। वह यह है कि उन्हें इस बात की धमकी दी गई है। मोतीलाल देहलवी ने यह मुझसे अपील की है। उन्होंने कोई पर्चा छापा था और उसको बटवाया था। इनके पीछे वह माननीय सदस्य लग गये। उनका नाम उन्होंने दिया है श्री आशाराम इन्दु। वह कहते हैं कि यह जलपान गृह के पास का वाकया है। उनसे पूछा गया कि क्या आपने यह पर्चा बांटा है तो इन्होंने उत्तर दिया कि जी हां, तो फिर इनसे पूछा गया कि क्या इसका सबूत दे सकते हैं तो इसके उत्तर में भी इन्होंने कहा कि हां दे सकता हूं तो फिर उन्होंने कहा कि सबूत देने के लिए उनके कमरे पर कब आऊं। तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को विधान सभा में उठाऊंगा। तो इनकी बात पर वह क्रोध में आ गये और कहा कि विधान सभा में नहीं बाहर सबूत लूंगा अगर इस तरह से प्रश्न चौधरी चरणसिंह के बारे में आप छापते हैं। इसके बाद उन्होंने यह जिक्र किया है कि अगर तुम नहीं मानते हो और सबूत नहीं देते हो तो तुमको गोली मार दी जायगी। इसलिये मुझसे उन्होंने प्रार्थना की है कि मेरी जान खतरे में है और अब आपने इस प्रश्न को उठा दिया है।

इस विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न आता है या नहीं इस पर जानकारी आशाराम जी इन्दु से हासिल करके मैं इस पर कल फैसला दूंगा। उन्होंने इस प्रकार से लिखा है:—

"दिनांक २७ फरवरी, ७० को सायंकाल लगभग ५ बजे जब कि मैं विधान भवन स्थित कैंटीन में चाय पीने के विचार से जा रहा था कि कैंटीन के निकट मेरे पीछे से तेजी से आते हुए दो व्यक्ति मेरे बराबर आ गये और उनमें से एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि क्या "चमार राज्य नहीं चलेगा", वाला पर्चा आपने बांटा है। मैंने उत्तर दिया कि जी हां। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या नारा लगाया गया है, मैंने इसका भी उत्तर देते हुये बताया कि हां लगाया गया है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसका सबूत दे सकते हैं, इसके उत्तर में भी मैंने उनसे कहा कि हां, दे सकता हूं। मेरे इस उत्तर पर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सबूत न दे सके तब तो मैंने कहा कि मुझे दंड मिलना चाहिये। इस पर वह कहने लगे कि बोलो सबूत लेने के लिये तुम्हारे कमरे पर कब आऊं। तब मैंने उनसे कहा कि यह प्रश्न तो मैं स्वयं विधान सभा में उठाऊंगा और जब वहां सबूत वाली बात आयेगी तो दूंगा। मेरी इस बात पर वह क्रोधावेश में आ गये और मुझसे कहा कि विधान सभा में नहीं मैं तो बाहर सबूत लूंगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि

[श्री अध्यक्ष]

आप कौन हैं और आप को इतनी गर्मी से सबूत लेने का क्या अधिकार है। इसी बात पर उन्होंने मुझ पर घूंसा तानते हुये कहा कि अधिकार पूछोगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। इस पर मैंने कहा कि आप कौन हैं, मेरे साथ इस तरह की गुंडागिरी कर रहे हो कि मेरे इतने कहने पर भीड़ इकट्ठा हो गयी और वह बहुत आवेश में आ गये तथा कहने लगे कि अभी उठाकर नीचे फेंक दूंगा। जब मैंने कहा कि अगर इतनी ही हिम्मत पर उतर आये हो तो फेंक दो। वह आवेश के साथ मुझ पर झपटे तो एक दरोगा जी व कई लोगों के पकड़े जाने पर भी वह कहते रहे कि अगर चौधरी चरण सिंह के खिलाफ आइन्दा कोई पर्चा बांटा तो गोली मार दी जायेगी। उसके साथ जो एक दूसरे तगड़े व्यक्ति थे उन्होंने मुझसे कहा कि जानते नहीं कि यह शुद्ध बी० के० डी० के हैं और यहां पर विधायक निवास में काफी जाट भी रख लिये गये हैं, जो तुम्हें ऐसा गायब कर देंगे कि किसी को भी पता भी नहीं चलेगा। इकट्ठा हुए लोगों ने मुझे खतरे में समझ कर मुझे भी पकड़ कर हटा दिया और मैं अपने कार्यालय चला गया।

लगभग ७ बजे शाम जब मैं अपने कमरे में जाने के लिये दारुलशफा-ए० ब्लाक आया तो मुझे वही व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये और वहीं पर श्री मोतीलाल जी यादव विधायक भी मुझे मिल गये। मैंने श्री मोतीलाल जी यादव को उन्हीं महाशय की तरफ संकेत कर पूछा कि क्या आप उन्हें जानते हैं, यह मुझे गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। श्री यादव उनका नाम बता न सके कि तब तक वह हम लोगों के निकट आ गये। श्री यादव के सामने मैंने उन्ही महाशय के रुबरू कहा कि यह मुझे गोली मारने को कह रहे हैं। उन्होंने श्री यादव व श्री जगदीश शर्मा व श्री अम्बिका प्रसाद आदि कई लोगों के सामने उक्त तमाम धमकियां देना स्वीकार किया और बड़ी देर बाद उन्होंने अपना नाम श्री आशाराम इन्दु विधायक बताया।

श्रीमान् जी, मैं निश्चित नहीं कह सकता कि उन्होंने अपना नाम सही बताया अथवा छुपाया किन्तु मैं चेहरे से उन्हें भली-भांति पहचान सकता हूं।

जिस पर्चे के प्रसंग में मुझे धमकी दी गयी, उसी पर्चे से सम्बन्धित विषय पर मैं पहले अखबारों में अपना वक्तव्य भी दे चुका हूं, जो दिनांक २० फरवरी के स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। भारतीय क्रांति दल की ओर से आज तक कोई खंडन नहीं किया गया और इस तरह एक पाशविक तरीका जवाब देने का अपनाया गया है। इतनी बात है। अब आशा राम इन्दु मेरे कमरे में आ जायं, पहले मैं उनसे बातचीत कर लूं तब इस विषय पर कल निर्णय दूंगा....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मेरा निवेदन है कि आरोप गंभीर है। मैं यह चाहूंगा कि कल जब बातचीत करने के उपरान्त आप निर्णय दें तो पहले जो लोग इस विषय में भाग लेना चाहें उनको दो, चार मिनट सुन लें और तब उसके पश्चात् अपना निर्णय दें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, एक विधायक ने इस प्रसंग पर मुझे फिर धमकी दी है। जब मैं यहां आकर बैठा, तो श्री महीलाल जी विधायक मुझे इशारा दे कर लाबी में ले गये और उन्होंने कहा देखो एक भाई ने एक भाई को धमकी दी तो क्या हुआ? दोनों हाथ मिलाओ, राजीनामा कर लो। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, भाई ही मानता हूं। यह गोली भी मार दें मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैंने एक परचा बांटा था कि चौधरी साहब मुख्य मंत्री हुए हैं गांधी जी के मुख्य सिद्धांत को तोड़कर दारुलसफा में नारा लगाया गया कि चमार राज्य नहीं चलेगा और मुख्य मन्त्री के प्रसंग में लगाया गया तथा गांधी शताब्दी पर लगाया गया। ऐसी हालत में हमने हरिजन विधायकों के स्वाभिमान की रक्षा के लिये यह परचा बांटा था।

(व्यवधान)

(शोर) मैंने कहा कि हमारा समझौता हो सकता है बशर्ते कि अगर यह हरिजन हैं, अछूत हैं और इनका स्वाभिमान जिन्दा है तो यह आज ही घोषणा करें कि इन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब का समर्थन छोड़ दिया है।

(व्यवधान)

श्री महीलाल ने मुझे बहुत मजबूर किया और धमकी दी कि अगर आप समझौता नहीं कर सकते तो मैं मुकदमा चला दूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं तुम पर यह कहना चाहता हूं कि....।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी--

तो इस तरह का नारा लगाया गया कि चमार राज्य नहीं चलेगा। अगर श्री ज्वाला प्रसाद कुरील का (जो रुकावट डाल रहे हैं बोलने में) स्वाभिमान जिन्दा है तो इनको चौधरी साहब का साथ छोड़ देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

मुझे स्पष्टीकरण का मौका दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब खत्म कीजिये। यह कल लिया जायेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद कुरील--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मोती लाल जी के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

(इस समय १ बज कर १४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

माननीय मोतीलाल जी अक्सर हम लोगों से कहा करते हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष--

आप किस की इजाजत से बोल रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइये।

लोक लेखा समिति में कार्य करने हेतु विधान परिषद् से पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि--

"यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६९-७० के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६९-७० के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करें। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

*श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने शुरू किया था कि सवा छै एकड़ की लगान माफी का सवाल है, जो बात धन्यवाद के प्रस्ताव में नहीं कही गयी है। इसके अलावा पिछले दिनों से बराबर यह प्रश्न चला आ रहा है कि कर्मचारियों पर जो पेशा कर लगा हुआ है, उसको सरकार वापस ले ले। बार-बार कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं और दूसरे लोग भी इस बात को कह रहे हैं लेकिन इसके बारे में सरकार की नीति की कोई चर्चा नहीं हुई। इसके अलावा कर्मचारियों के लिये जो वेतन आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात की चर्चा की कि जो वेतन आयोग बना है उसमें कुछ हेर फेर शायद वे करें। वित्त मंत्री जी ने कुछ नामों का भी जिक्र किया। कुछ नाम हम सुन भी चुके हैं। इसमें एक प्रश्न तो यह आता है कि वेतन आयोग के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या होंगे दूसरे जो विभिन्न कामों में और श्रेणियों के कर्मचारी हैं उनके प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिये। जब आप राज कर्मचारियों की तनख्वाह और उनकी सहूलियत के बारे में विचार करते हैं तो राज्य में काम करने वाले पंचायत मन्त्रियों, केन विभाग में काम करने वाले ग्राम सेवकों, आदि लोगों को, जिनके बारे में वेतन की ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं है, उन सारी चीजों को उसमें शामिल कर दें और कमीशन से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करायें और जब तक विस्तृत रिपोर्ट आये आप एक अन्तरिम सहायता देने के लिये रिपोर्ट मंगवा लें ताकि कर्मचारियों को कुछ सहूलियत हो सके।

हमें इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि पूर्वी प्रदेश और बुन्देलखण्ड के जो पिछड़े जिले हैं, उनके लिये वे किसी विकास आयोग का गठन करेंगे। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि यह बात जरूरी है और यह आवश्यक है कि हमारे पूर्वी और बुन्देलखंड के जो जिले हैं उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये, उनकी खेती की सुविधायें बढ़ाने के लिये, सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिये, उनको जो सरकारी ट्रैक्टर आते हैं और उनको जो अब तक नहीं मिल सके हैं, उनको यह चीज दिलाने के लिये मैं आप के माध्यम से चाहूंगा कि जो घोषणा हुई है उसके लिये जल्दी से जल्दी कमेटी का निर्माण हो। उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्रीय सरकार भी पटेल आयोग के माध्यम से पूर्वी जिलों की दशा सुधारने के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा इन जिलों पर व्यय करे जिससे उनका जीवन स्तर और रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीलिंग का सवाल आया है, कल आप ने देखा कि ३० एकड़ की जो गवर्नर के भाषण में सीमा की बात थी उसमें कुछ विवाद खड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि जो सीमा के बारे में चकबन्दी के बारे में बागों को शामिल करके और कोआपरेटिव के नाम पर जो फार्म करने वाले लोग हैं उनके बारे में जो कुछ गवर्नर के भाषण में आया है, मैं सरकार को

---

†२ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां तक सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है और मैं जिसका सेवक हूं उस सम्बन्ध में हम लोगों की निश्चित धारणा है कि यह सीमा कम होनी चाहिये, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर वहां से खिसक कर चौधरी साहब ३० एकड़ तक आये हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे चौधरी साहब की सरकार गिर जाये लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है उससे उनको पलटना नहीं चाहिये।

मान्यवर, जो स्वच्छ प्रशासन और दक्ष प्रशासन की बात कही गई है उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं। मान्यवर, स्वच्छ और दक्ष प्रशासन की बात कही जाती है लेकिन पिछले २२ वर्षों से जो मशीनरी सरकार चलाने की ब्रिटिश हुकूमत में थी और जिस तरह से शासन यन्त्र बना था उसके अन्दर कोई तब्दीली नहीं की गई है। वही पुराना ढांचा आज भी कायम है। अगर प्रदेश में प्रशासन के अन्दर सुधार लाना है तो मेरा यह निश्चित मत है कि उसके लिये कोई आयोग बनना चाहिये जिसके अन्दर इस बात की छानबीन की जाय कि जो प्रशासन का आज रवैय्या है जिसके अन्दर कि आज प्रशासन काम कर रहा है उसके अन्दर कौन-कौन सी खामियां हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है ताकि जन मानस के अन्दर कुछ तब्दीली की भावना आ सके। २२ वर्षों के आजादी के बाद भी उसके मन पर यह असर नहीं पड़ा है कि हमारा मुल्क आजाद है और प्रशासन में कुछ तब्दीली आई है। मान्यवर, यह कहते हुये सदन में कुछ गौरव की बात नहीं है लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि लोगों के मुंह से आज भी निकलता है कि यह शासन और यह सरकार अंग्रेजों से बदतर है। अंग्रेजी शासन ही रहता तो अच्छा था। उस वक्त, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले का कलेजा दहल जाता है, कि पिछले २२, २४ वर्षों की आजादी में भी हम उनको यह महसूस नहीं करा सके हैं कि उनको स्वराज मिला है। और स्वराज के अन्दर ये सारी तब्दीलियां हुई हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे यहां गोरखपुर जिले में यह जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का उनके अन्दर किस प्रकार से असर है। जिस थाने में थानेदार और सी० ओ० दोनों का गठबंधन है उस थाने की चर्चा नहीं है लेकिन जहां नहीं है वहां उनका सम्बन्ध बिगड़ जाने पर सम्भवतः जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं उनमें ऐसे थाने भी शामिल हैं जहां रपट साल साल और दो दो साल पहले हुए हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है, इसकी खोजबीन होनी चाहिये, इसके अन्दर तरमीम होनी चाहिये। अगर ऐसी बात नहीं की गयी और लोगों के मन पर अच्छा असर नहीं डाल सके तो लोगों के मन से यह आवाज निकलती रहेगी कि अंग्रेजों की सरकार ही अच्छी थी। इसलिये इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब का ध्यान इस तरफ जरूर दिलाना चाहता हूं कि पहले जब संविद सरकार बनी थी तो चौधरी साहब ने पब्लिक इन्क्वायरी कमेटी की घोषणा की थी जिसकी बहुत चर्चा हुई। फिर चौधरी साहब जब विरोधी दल के नेता बन कर बैठे थे तब भी उन्होंने बहुत जोर से उस पर लेक्चर दिया और कहा कि इसके लिये आर्डिनेंस निकालना चाहिये। मैं चौधरी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार जब उनकी बनी तब इस तरह का आर्डिनेंस उन्होंने निकाला जिसके पीछे कुछ मंशा थी। मैं निश्चित रूप से जानना चाहता हूं कि चौधरी साहब ने जिस वक्त पद ग्रहण किया उसी समय फिर वे अपनी पुरानी बात को दोहराते और जो उन्होंने पब्लिक इन्क्वायरी कमेटी की बात कही थी और उसके लिये आर्डिनेंस निकाला था उसकी पुनरावृत्ति करते लेकिन वह उन्होंने नहीं किया, मैं समझ नहीं पाया कि इसका क्या कारण है। हो सकता है कि पिछले १० महीने तक चौधरी साहब मुख्य मन्त्री रहे और उनके दल के भी कुछ लोग मंत्री रहे। सम्भवतः उनको यह खतरा हो और शायद उन्होंने महसूस किया होगा कि कहीं दूसरे लोगों की बेईमानी पकड़ने में हमारे लोग भी उस बेईमानी में न पकड़ जायं और इसलिये उन्होंने उस आर्डिनेंस की बात नहीं कही। जब उन्होंने प्रशासन में स्वच्छता लाने की बात कही है तो उनको इस तरह का आर्डिनेंस लाना चाहिये था,

[श्री राम करन (गोरखपुर)]

चाहे उसकी पकड़ में उनके दल के लोग आते, चाहे २२ वर्ष तक शासन में रहने वाले कांग्रेस दल के लोग आते। इस तरह के मामले सबके सामने आने चाहिये ताकि औरों के भी कान खड़े हो जायं और वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। मुझे शंका थी इसलिये मैंने इसकी तरफ आपका ध्यान खींचा। मैं समझता हूं कि चौधरी साहब जब खड़े होंगे तो वे उसके कारणों पर भी प्रकाश डालेंगे।

प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षकों की तनख्वाह ठीक समय पर देने के सम्बन्ध में भी चर्चा चली, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। एक प्रश्न मैंने भी किया था कि जब सरकार इस बात को महसूस करती है तो इस पर विस्तृत रूप से विचार करके कोई निर्णय ले। लेकिन मेरा आप से निवेदन है कि पिछले तीन वर्ष से लगातार संघ मांगें दोहराता आ रहा है, आवाजें उठाता रहा है, इसके लिये अध्यापकों ने हड़तालें कीं, वे जेल भी गये, अध्यापकों ने लड़कों के इम्तहान का वहिष्कार भी किया, ये तमाम जो घटनायें हुईं, मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जब जवाब देने के लिये खड़े हों तो पहले सुझाव को मान कर इस बात की स्पष्ट रूप से उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि माध्यमिक शिक्षकों की तनख्वाहें निश्चित रूप से समय से दी जायेंगी। मेरे खयाल से कोषागार से तनख्वाह देने में कोई चीज बाधक भी नहीं होनी चाहिये। अगर यह सम्भव नहीं हो तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा के प्रसार व बढ़ोत्तरी के लिये ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो वेल इस्टेबलिश्ड हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो जाय और उनका वेतन ढंग से दिया जाय तो कोई बुरी बात न होगी। अगर इन सारी गड़बड़ियों को दूर कराना है तो शिक्षा का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है वर्ना ये तमाम सारी बातें सम्भव न होंगी।

माध्यमिक शिक्षकों के बारे में मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनका आन्दोलन हुआ। कोठारी आयोग का मामला है। उन्होंने कम से कम १५० रु० तनख्वाह मांगी है। बिहार प्रदेश में हमारे प्रदेश से अधिक शिक्षकों को तनख्वाह दी जाती है। देवरिया जिले में ऐसे जो शिक्षक हैं उनका वेतन १५० रु० से कम है जब कि उसी से लगा बिहार का प्रदेश है और पास के ही मास्टर को १७५ से ऊपर वेतन मिलता है। यह देखकर तकलीफ होती है। दूसरे और भी प्रदेश जो हमारे प्रदेश से लगे हुए हैं वहां पर भी शिक्षकों को हमारे प्रदेश से अधिक वेतन दिया जा रहा है। उनकी यह मूल मांग है कि किसी भी बेसिक के अध्यापक का वेतन १५० रु० मासिक से कम न हो और इस बात की भी घोषणा होनी चाहिये। मुझे आपके माध्यम से यह निवेदन करना है कि इन मूलभूत बातों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी हमारे भी नेता रह चुके हैं और कल उन्होंने बड़ी प्रशंसा भी की थी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में जब वह हमारी पार्टी में थे तब तो चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग तो वह करते ही थे और कांग्रेस में जाने के बाद भी वह मांग दोहराते हैं। मैं कहता हूं कि वह ठीक है और हम भी उसका स्वागत करते हैं लेकिन जब खतरा पैदा हुआ और जो काम आप कर सकते थे उसके लिए आपने एक कमेटी बना दी और मिल मालिकों को मौका दे दिया कि वे हेरफेर कर सकें। जिस प्रकार से ३० एकड़ वाली बात की तरह से जब कोई बात आयेगी तब इसमें भी तरमीम करूंगा, यह बात हो सकती है। अब कमेटी की रिपोर्ट में उसी प्रकार से कोई तब्दीली आ सकती है। बैंक का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उन्होंने कभी इसको सोचा भी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई इसको चैलेंज करेगा और आर्डीनेंस खत्म हो जायेगा। हम आपके माध्यम से कहें कि चौधरी साहब ने पिछले दिनों जब चुनाव का जमाना था इस बात की घोषणा की कि जब मैं मुख्य मंत्री होऊंगा तो गन्ने के दाम बढ़ जायेंगे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब का ध्यान उधर खींचना चाहता हूं जो उन्होंने १९६७ में संविद के जब वे मुख्य मंत्री थे उस समय कहा था। उन्होंने कहा था कि हमने स्थानीय मिल मालिकों को बुला कर कहा है कि मद्रास और महाराष्ट्र के गन्ना मिल मालिकों के समान ही तथा अन्य दूसरे प्रदेशों के समान ही यहां पर काश्तकारों को गन्ने के दाम मिलने चाहिये और उन्होंने कहा कि हमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश के मिल मालिकों से उनको ज्यादा पैसा दिलवा दिया। अबकी फिर चौधरी चरण सिंह साहब अपनी पावर इस्तेमाल करें और किसानों को गन्ने के दाम ज्यादा दिलवा दें। वीरेंद्र वर्मा साहब जगजीवन राम जी के पास गये और कहा कि गन्ने के दाम १० रु० कुंतल कर दीजिये। जो कुछ कहा जाय उसका पालन अवश्य होना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और मिल मालिकों को बुलाकर ज्यादा दाम काश्तकारों को दिलवा सकते थे। वे ऐसा कर सकते थे कि गन्ने का मूल्य १०–१५ रु० से कम नहीं होना चाहिये। चौधरी साहब आज भी मुख्य मंत्री हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे अपने वचन का पालन करें जिसकी कि उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने पिछले चुनाव के टाइम यह घोषणा की थी कि गन्ने के दाम को बढ़ायेंगे। उनका यह शरण लेना कि यह तो केंद्र की सरकार करेगी, उचित नहीं है। मान्यवर, इस तरह तो कथनी और करनी में फर्क आता है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय हो गया है। कल भी आपको ५ मिनट दिये गये थे।

श्री राम करन (गोरखपुर)--

तो अब मैं खत्म कर दूंगा। इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान मैं खींचना चाहता हूं। मैं सवा छः एकड़ से लगान की माफी वाली बात को फिर दोहराना चाहूंगा। आज भी बहस के दौरान बहुत सी बातें हुयी। यह सुन कर मुझे दुःख हुआ कि चौधरी साहब कहते हैं कि सवा ६ एकड़ की जोत अलाभकर नहीं है और किसान इसे चाहता ही नहीं है। किसान के ठेकेदार अकेले वे ही नहीं हो सकते हैं। हमारी मांग पिछले २० वर्षों से रही है कि सवा ६ एकड़ भूमि का लगान माफ होना चाहिये, क्योंकि यह अलाभकर जोत है। हमारी पार्टी के मेनिफेस्टो में यह चीज शामिल है। उसी आधार पर हम यहां विधान सभा में चुनकर आये हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि किसान लगान की माफी नहीं चाहता है। हो सकता है पश्चिम का किसान न चाहता हो, मगर मेरा किसान तो वह चाहता है, क्योंकि उसने मुझे यहां चुनाव में जिता कर भेजा है। तो यह कोई माकूल दलील नहीं है कि किसान लगान की माफी नहीं चाहता है। क्या लगान की माफी हो जाने से किसान और दूसरी सुविधाओं से बंचित रहेगा ? उसको वे सब सुविधायें जरूर मिलेंगी। लगान की माफी की बात आज तक होती रही है। मान्यवर, यह बड़े शर्म की बात है कि सवा ६ एकड़ की जोत जब अलाभकर है फिर भी सरकार पिछले २४ वर्षों से उसको अनइकानोमिक होल्डिंग नहीं मान रही है। इस मांग के चलते रहने की जिम्मेदारी किस पर है ? यह पद्धति का सवाल है कि किस से टैक्स लेना चाहिये। यह तो केवल सिस्टम का सवाल है।

मिसाल के तौर पर मैं पश्चिमी जिलों को ही लेता हूं। एक किसान पश्चिमी जिलों में एक वर्ष में करीब ८,००० रु० या ९,००० रु० की पैदावार करता है। ये आंकड़े पूरब के नहीं हैं, वहां तो इससे सवा ६ एकड़ में एक वर्ष में बहुत कम पैदा होता है। पश्चिमी जिलों को ही लेकर हम कह सकते हैं कि एक किसान की तमाम खर्चे-बीज, खाद, पानी, मजदूरी, कटाई इत्यादि निकालकर आमदनी ५,००० रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या उसके कुल खर्चे ३,००० रु० के भी नहीं होंगे। तो ५,००० रु० प्रति वर्ष आमदनी किस श्रेणी में आयेगी। ५,००० रु० पर इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। मेरी समझ में चौधरी साहब की यह दलील नहीं आती है कि सवा छः एकड़ की जोत

[श्री राम करन (गोरखपुर)]

अलाभकर नहीं है और उसे लगान से माफी नहीं मिलनी चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात तो बड़े ही अचम्भे की हो गयी । उन्होंने ३ १ ८ एकड़ तक तो लगान पूरा माफ कर दिया और इसकी सीमा साढ़े १२ एकड़ तक बढ़ा दी । इसके करने का कौन सा सिद्धांत है कि अलाभकर को तो पूरी छूट न मिले और लाभकर को छूट मिल जाये ? मेरी समझ में तो कोई भी सिद्धांत नहीं आता है । जो छूट चाहते हैं उनको छूट नहीं मिल रही है । यह कौन सा सिद्धांत है ?

चौधरी साहब ने इस विषय में एक बीच का रास्ता निकाला है । इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, यह किसी की मूंछ का सवाल नहीं है, यह तो फारमूले का सवाल है, टैक्सेशन पद्धति का सवाल है। पांच हजार छोड़ कर इनकम टैक्स लेते हैं तो अगर पांच हजार तक प्राफिट किसान का नहीं हो पाता सवा छः एकड़ की जोत से तो उससे भी लगान लेने का औचित्य नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर विचार कर चौधरी साहब जो कल इसकी घोषणा करने वाले हैं सही ढंग से इसको लायेंगे । इन शब्दों के साथ मैं जायसवाल जी ने जो संशोधन रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)--

श्रीमन्, आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि पंद्रह विधायकों के दस्तखत किया हुआ एक पत्र आप की सेवा में प्रस्तुत किया है । उसमें उन विधायकों ने इच्छा प्रकट की है कि वे अपना समय मुझे बोलने के लिए दे रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको भी समय मिलेगा। जो पत्र आया है उस पर विचार करूंगा ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि १५ एम०एल०एज० ने बोलने का समय इन्हें दे दिया तो यह चेयर का अधिकार है या एम०एल०ए० का ।

श्री हरनरायन --

या तो माननीय सदस्य ने समझने में गल्ती की या मैं समझा नहीं पाया । मेरे कहने का मतलब यह है कि पंद्रह सदस्यों ने लिखित प्रार्थना की है कि वह अपना समय हर नरायन एम०एल०ए० को दे रहे हैं । उन्होंने आपसे (चेयर से) प्रार्थना की है।

*श्री ईश्वर दयाल त्यागी (जिला मेरठ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । राज्यपाल महोदय ने सरकार की नई नीतियों की जो घोषणा की है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । इस गांधी शताब्दी के अवसर पर ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को और खास कर ८५ प्रतिशत किसानों की जो सरकारें २०-२२ साल तक हुकूमत करती रहीं उन्होंने नारेबाजी से काम लिया और आज पहली सरकार आयी है जिस ने नारेबाजी से हटकर कुछ कदम उठाये हैं जिनसे पिछड़े वर्ग का और खासकर देहात का लाभ होगा । शहर भी उसमें छूटे नहीं है । आज ऐसा महसूस हो रहा है कि किसान की सरकार है, किसान का भी उसमें प्रतिनिधित्व है क्योंकि जो घोषणायें हुई हैं उनमें सर्वप्रथम घोषणा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की है जिसका किसानों ने ही नहीं चीनी मिल मजदूरों ने भी पुरजोर स्वागत किया है । यह कदम शहर और गांव में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए श्रेयस्कर है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक जोत बही की कीमत का प्रश्न है पिछली सरकार ने ३ रुपये की थी उसको कम करके १ रुपया कर दिया गया है इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। खाद की बिक्री पर जो ३ प्रतिशत टैक्स पहले था सरकार ने उसे हटा दिया है यह कदम भी इस बात को महसूस कराता है कि किसान का ध्यान रखा जा रहा है। जो इस बात की चर्चा सदन में चली कि किसान को उसकी फसल का अपना मूल्य मिलना चाहिये तो इसके प्रति भी राज्यपाल के अभिभाषण से जाहिर होता है कि सरकार उदासीन नहीं है बल्कि प्रयास किया जा रहा और इसके लिए ही यह संकेत है कि अब गन्ने की फसल तो आधी रह गयी, रबी की फसल आ रही है तो गेहूं की खरीदारी का जो संकेत अभिभाषण में है उससे साफ जाहिर होता है कि किसान को उसकी फसल का उचित भाव मिले इसका ध्यान रखा जा रहा है और अगर अनाज का दाम तेज होने लगे तो जो स्टाक जमा किया जायगा वह बाजार में बेचा जायगा जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी के ऊपर बड़ा शोरगुल सदन में चल रहा है। उसके प्रति सरकार की जो मान्यता है उसमें ३ १/८ एकड़ तक का लगान माफी कर दिया गया है और साढ़े १२ एकड़ तक के किसानों को छूट दी गयी है। मैं इस घोषणा का हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि अब टेक्नोलाजी बढ़ जाने के कारण और जमीन बढ़ नहीं सकती इसलिये पैदावार ही बढ़ायी जा सकती है। इसलिये हमें ३ १/८ एकड़ में उतना पैदा करना चाहिये जितना पहले हम सवा ६ एकड़ में पैदा करते रहे हैं । इस तरह से हम अलाभकर जोत की सीमा घटा सकते हैं । हो सकता है कि किन्हीं परिस्थितियों में सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी का प्रस्ताव पास हुआ हो, लेकिन मैं आज दावे से कह सकता हूं कि ३ १/८ एकड़ में भी अगर पूरी मेहनत की जाय तो कहीं ज्यादा पैदावार ले सकते हैं । और फिर छूट की सुविधा तो साढ़े १२ एकड़ तक मिल रही है। तो यह आरोप जो हमारे चौधरी चरण सिंह पर लगाया जा रहा है कि वह छोटे काश्तकारों के हामी नहीं हैं यह सत्य नहीं है ।

जहां तक हदबन्दी का सवाल है वह घोषणा करके तो मैं कहता हूं कि चौधरी साहब ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है । इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय क्रांति दल से जो आशा यह प्रदेश करता था वह जरूर पूरी होगी और उन्होंने इस कदम से यह साबित कर दिया है कि वह बड़े किसानों के ही नहीं बल्कि छोटे किसानों के भी हमदर्द हैं और वह अपने हर कदम से यह साबित करना चाहते हैं कि असमानता हमारे प्रदेश में है उसको बहुत जल्दी दूर करने का प्रयास वह कर रहे हैं । इससे यह भी जाहिर होता है कि जो लोग खेती पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं, फरजी तरीके से जमीनें और बाग लिखाये हुये हैं वे सब हट जायेंगे और जो लोग बिना जमीन के हैं उनको फायदा होगा और फिर हर आदमी पैदावार करने की कोशिश करेगा । फिर समझ में नहीं आता कि चौधरी चरण सिंह में क्या खराबी हो गयी ? कुछ दिन हुए १० तारीख को जब गुप्ता जी ने इस्तीफा दिया था तो उस उक्त उन्होंने खुद गवर्नर साहब को यह प्रेरणा दी थी कि हमारी जगह चौधरी चरण सिंह को मुख्य मंत्री बनाया जाय । उसके बाद उसका समर्थन हमारी दूसरी पार्टियों ने जनसंघ ने और सोशलिस्ट दल ने किया और उसके बाद अगर चौधरी साहब को इंडिकेट का समर्थन मिल गया तो उन में न मालूम क्या-क्या बुराई आ गई । मुख्य मंत्री वह उनके सहयोग से बनाये जा रहे थे लेकिन दूसरों के जरा से सहयोग से उनमें बुराई आ गई यह तो केवल राजनीतिक चाल ही है । हम यहां पर इसलिये नहीं एकत्र होते हैं कि यहां पर हम आरोप और प्रत्यारोप करें, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जिस कार्य के लिए यहां आये हैं वह करें और अगर कोई सरकार सही काम कर रही है और सही कदम उठा रही है तो उदारता से उसका समर्थन करना चाहिये और यह कि चूंकि वह विरोधी पक्ष में बैठे हैं इसलिये सही बात भी न मानना यह उचित नहीं है। मैं उपाध्यक्ष महोदय आप से प्रार्थना करूंगा कि आपने लाल बत्ती कर दी, कृपा कर के मुझे ५ मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

२ मिनट का समय आप और ले लें, वैसे तथ्य के अनुसार कोई बोलते हैं तो थोड़ा समय हम और दे देते हैं ।

श्री ईश्वर दयाल त्यागी---

मैं कह रहा था कि चौधरी साहब वही हैं जिनका गुप्ता जी ने समर्थन किया था वह अब बुरे नहीं हो गये । उनका प्रयास हो रहा है कि जितने भी जनता के वर्ग हैं सब का हित हो और ऐसी हालत में केवल विरोधी पक्ष में बैठने के कारण विरोध करना मेरी समझ में नहीं आता । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में संकेत है कि यदि कोई अन्य सही और ठोस सुझाव दिये जायेंगे तो सरकार उन पर विचार करेगी और आने वाले बजट में उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी । मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि यहां आरोप और प्रत्यारोप किया जाय ठोस सुझाव दिया जाय तो प्रदेश का कल्याण होगा । इन शब्दों के साथ माननीय गेंदा सिंह जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और उसके पूर्ण समर्थन के साथ ही उसमें निहित सरकार की नीतियों के लिए उसको धन्यवाद देता हूं ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन माननीय जायसवाल जी ने तथा दूसरे बन्धुओं ने रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । जो मेरा और मेरे दल की ओर से संशोधन है उसे तो मैं बाद में पढ़कर सुनाऊंगा लेकिन इसके पहले कि मैं उसको आपके समक्ष रखूं एक बात करना उचित समझता हूं । मैंने पिछले तीन चार वर्षों में संशोधन के प्रस्ताव देखे हैं और यह कार्य माननीय गेंदा सिंह जी को ही सौंपा जाता है और उन्होंने अपने तरीके से उपयुक्त मंगलाचरण भी किया, लेकिन यदि मैं उनकी परिस्थिति में होता तो यह काम अपने लिए स्वीकार न करता । इसलिये कि बड़ा विरोधाभास है एक बार गुप्ता जी की सरकार की तरफ थे तो उनकी विरोध में बैठे और उनके विरोध वाली सरकार आई तो उस की तरफ हो गये । पता नहीं कैसे वह ऐसा करते हैं लेकिन मेरा विश्वास है कि यह काम उन्होंने अपने हृदय से नहीं किया है बल्कि औपचारिक दृष्टि से यह चीज उन्होंने सदन के सम्मुख रखी है ।

उन्होंने जो यह गवर्नर के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है इस संबंध में मैं प्वाइंटवाइज कहूंगा । पहले तो गांधी शताब्दि और बादशाह खां के यहां आने का जिक्र किया गया है। इन दोनों के बारे में मैं कहूंगा कि मुझे बड़ा दुख है क्योंकि मैं गांधी जी और उनके बिचारों का भक्त हूं, उनके विचारों की उनकी शताब्दि में उनके उसूलों की हत्या हुई है। इस शताब्दि में ही प्रजातंत्र की जड़ों को हिला दिया गया है, उन जड़ों को हमने हिलते देखा है, देश के सबसे बड़े महान पद को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की अनुशासन हीनता के कारण हम ने आज जनतंत्र की जड़ों को खोखला होते देखा है । हमने पदासीन बने रहने के लिये यह भी देखा कि कोई काम अनुचित नहीं समझा गया और कोई नीची बात छोड़ा नहीं गई । महात्मा गांधी ने कहा था कि 'रघुपति राघव राजा राम' इसके पीछे भी एक रहस्य था कि राजनीति में भी धर्म को स्थान मिले और हमारी राजनीति किसी अनुशासन और धर्म की राजनीति हो । लेकिन मुझे दुख है कि इस गांधी शताब्दि के वर्ष में ही इस देश में अपनी सुविधा अनुसार राजनीति को चलाकर डेमोक्रेसी में डिफेक्टर्स की कद्र की गई । उनकी कीमत बढ़ायी गयी, उनको लालच दिया गया । डेमोक्रेसी के सारे नियम तोड़े गये जो महात्मा गांधी के सारे उसूलों के विपरीत हैं । आज सम्प्रदायवाद और जातिवाद का बोलबाला है। इस गांधी शताब्दी वर्ष मेंऐसी बातों का होना उनके नाम पर एक कलंक है । उनके प्रति मेरे हृदय में बड़ा आदर है ।

जहां तक बादशाह ख़ान के स्वागत करने का संबंध है मैं उस स्वागत समिति का सदस्य था । उनके सामने मेरा नत मस्तक है लेकिन काश्मीर में जो उन्होंने प्लेबिसाइट की मांग की है, उससे मुझे बड़ा दुख हुआ है । उनका मतलब स्पष्ट शब्दों में था कि मैं इसका समर्थन करता हूं । मुझे इस विषय पर भी दुख था ।

अब मैं इस सरकार के गठन पर आता हूं जो नियमों और संविधान के प्राविधानों के विरुद्ध हुआ है। हमारे जो राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने सरकार के गठन में क्या किया इसकी ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसके लिए संविधान का कोई तरीका या कोई नियम नहीं अपनाया गया । इस सदन के ४२६ सदस्यों में से जिस व्यक्ति की सरकार बनी, उस पार्टी की संख्या केवल ९६ है। तो कौन सा आधार अपनाया गया । सारे देश और प्रदेश की जनता जानती है कि कौन सा तरीका अपनाया । उस वक्त तक दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन भी नहीं हुआ था । यों तो चौधरी साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है। मैं एक बात से बड़ा चिन्तित हूं । माननीय चौधरी साहब साम्यवाद के बड़े विरोधी थे । उन्होंने यह भी कहा है कि वे एक स्वच्छ, कुशल व सुदृढ़ प्रशासन चाहते हैं, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा । ये मितव्यता की बात करते हैं लेकिन इन्होंने एक ऐसे प्रधान मंत्री से गठबंधन किया जिन्होंने ४० लाख रुपया अपने दौरे पर खर्च किया । क्या वे समाजवादी बन सकते हैं, जिन्होंने ऐसा किया ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू तो मोटरों से दौरा करते थे लेकिन ये तो ३–३ हैलिकाप्टरों से दौरा करती हैं । दूसरे देश के जो अराजकीय तत्व हैं, केन्द्र की सरकार ने उनके दल से गठबंधन किया है । तो यह देश किधर जा रहा है । आज उस दल से, जो सरकार में घुस कर संविधान को तोड़ना चाहता है, गठबंधन किया गया है मुझे आश्चर्य है कि आज कौन सा कारण है कि कोई भी नीति चौधरी साहब की स्पष्ट नहीं है। केवल रोग को देख लिया लेकि नइस रोग के निदान का नाम नहीं लिया। कह दिया गया कि निदान करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया गया है । यह कोई नीति और घोषणा नहीं है । लोक सभा में बी० के० डी० के सदस्यों ने घोषणा की कि हम इंडीकेट सरकार का समर्थन नहीं करेंगे लेकिन यहां पर कहा गया कि हम हर चीज में साथ देंगे और गठबन्धन हो गया । आज ये कोई स्पष्ट नीति नहीं कर पाते हैं । मर्ज के निदान का क्या होगा । कहते हैं कि बड़ा स्वच्छ और कुशल प्रशासन देंगे । मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं । जो लोग बड़ाई का काम करते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन जब कोई पग गलत उठाया जायेगा, गलत नीति बनायी जायेगी, तो उसकी आलोचना जनहित में जरूर होगी ।

करप्शन दूर होना चाहिये । उसके लिये जो भी उचित कदम उठाये जायेंगे उसकी हम सराहना करेंगे । मगर उसके लिये जो कदम इस सरकार ने आते ही उठाये, देखना होगा कि क्या वह सही थे ? आपने बस्ती के एक आदमी को निलम्बित कर दिया । और भी कदम उठाये । उन पर हमें देखना पड़ेगा कि वे कहां तक सही हैं । आज माननीय चौधरी चरण सिंह साहब जिन साथियों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिन दल बदलुओं को साथ ले कर चल रहे हैं, जिस तरह जतिवाद और साम्प्रदायवाद का वे सहारा लेकर चल रहे हैं, जिस तरह रुपये पैसे का सहारा लेकर चल रहे हैं उसको देखते हुये हमें सन्देह है कि वे इस प्रदेश के लिये कुछ कर पायेंगे, करप्शन को दूर कर पायेंगे । यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि किस तरह से हमारे दल के लोगों पर प्रहार किये गये, प्रलोभन दिये गये, क्या-क्या किया गया। जब रुपये का दौर चला तो देख कर मेरी तबीयत बड़ी दुखी हुई । चारों तरफ से जब नाना प्रकार के प्रलोभन दिये गये तो देख कर बड़ा दुख हुआ । दल बदलने वालों की आज समझ में यह आया कि जनसंघ दल खराब था, इसके पहले उनकी समझ में यह क्यों नहीं आया, उसके पहले क्यों वे दुनिया को धोखा देते रहे, क्यों जनता की नजरों में धूल झोंकते रहे । प्रलोभन किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसके कारण जब दल बदले जायेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रजातंत्र

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

की कैसे रक्षा हो सकेगी । क्या इससे प्रजतान्त्र का पतन नहीं होगा ? जब इस तरह का आदमी सरकार का गठन करेगा तो आप सोचिये कि प्रशासन कैसे स्वच्छ रह सकेगा ?

हम देखेंगे चौधरी चरण सिंह जी, अपनी इच्छा रखते हुये भी, कैसे स्वच्छ प्रशासन दे पायेंगे । ऐसी परिस्थितियां आयेंगी, ऐसा प्रेशर उन पर पड़ेगा कि वे उनसे बच नहीं सकेंगे और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं कर सकेंगे । उनको गलत काम करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा । मुझे पता नहीं कि सही है या गलत, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि जब सीलिंग का निर्णय लिया गया तो कुछ मंत्रियों ने पहले ही अपने खेतों को बेच लिया । अगर यह गलत होगा तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा, किन्तु मैंने ऐसा सुना है । अगर यह बात सही है तो यह बड़ा ही निन्दनीय है । सरकार की जो भी नीति हो सब के लिये समाज में समान होना चाहिये, समान रूप से सब पर लागू होना चाहिये । अगर मंत्रीगण उसका अनुचित लाभ उठाते हैं तो वह गलत है, उसकी निन्दा होनी चाहिये । किसी सरकार को केवल बदल देने से ही स्वच्छता आ जायेगी ऐसी बात नहीं है ।

यहां सदन में श्री जियाराम जी की बात आयी । वह बिलकुल सही थी । अगर माननीय सदस्यों ने उसकी आलोचना की तो बिलकुल सही की । मैं चौधरी साहब की नीयत पर शक नहीं करता, मगर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या जियाराम जी को वे २ रोज बाद नहीं बदल सकते थे, एक हफ्ते बाद नहीं बदल सकते थे ? मुझे याद है चौधरी साहब ने, जब वे इधर थे, तो उन्होंने माननीय गुप्ता जी की इसी कारण निन्दा की थी कि उन्होंने अपनी सरकार बनाते ही ३–४ आफिसरों को हटा दिया । माननीय चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं कि जब वे मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने अपनी कही हुई बा पर क्यों अमल नहीं किया ? अगर वे एक हफ्ता रुक जाते, कुछ दिन रुक जाते तो उससे कौन सी हानि हो जाती ? हां, अगर उनको यह शंका थी कि ३–४ दिन में उनकी सरकार गिर जायेगी, इसलिये उन्होंने ऐसा किया तो ठीक है, बात दूसरी है । लेकिन अगर यह बात नहीं थी, तो लोगों ने जो आलोचना की है वह सही है ।

मान्यवर, उन्होंने जिला परिषदों के बारे में भी पहले कुछ कहा था । उन्होंने उसकी आलोचना की थी । मैं पूछना चाहता हूं कि जिला परिषदों को भंग करने के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है ।

पब्लिक इन्क्वायरी आर्डिनेन्स जो पहले निकाला था वह कहां गया ? आज उसकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है ? इसीलिये तो कि उसमें उनको ही सपोर्ट करने वाले काफी लोग आ जायेंगे, अपने ही लोगों के खिलाफ उनको जांच करानी पड़ जायेगी । आप से, श्रीमन्, मैं सच कहता हूं कि पोलिटिकल प्रेशर का सबसे बड़ा नमूना आज देखने में यह आ रहा है कि आज जो नीतियों की घोषणा कर जाते हैं कल को उसमें तब्दीली लाने की आवश्यकता पड़ जाती है । आज माननीय चौधरी साहब ऐसे प्रेशर में हैं, ऐसी संगति में हैं कि जिससे वे बच नहीं सकते और वे एक दिन नन्दा जी बन कर रहेंगे ।

जैसे वह थे, कहा था कि साल भर में भ्रष्टाचार न हटाया तो हट कर रहेंगे । करप्शन के बारे में अनेक रिपोर्टें हैं । संथानम कमीशन की रिपोर्ट आई, उसने एक सिद्धान्त निर्धारित किया, कारण खोजा, नियम दिया । उसकी रिपोर्ट पर आपने अमल क्यों नहीं किया ? आपने उसको देखने की बात क्यों नहीं कही ? उस रिपोर्ट में यह चीज काफी गम्भीरता से आई है कि डिस्क्रेशन जहां होता है, डिस्क्रेशन की जहां पावर होती है, वहीं भ्रष्टाचार पनपता है । जिसको जरूरत होती है वह रुपया देकर निर्णय अपने फेवर में लेने का प्रयास करता है । इस प्रकार के लूपहोल्स को प्लक करने का आपने क्या प्रयास किया ? इसके बारे में कोई भी नीति आपने घोषित नहीं की । जब आप संविद में थे, तो बड़े-बड़े शब्दों में बोलते थे, लेकिन आज यह साफ्टनेस क्यों है ? इसका कारण मैं जानता हूं और सभी जानते हैं कि भविष्य में आप ऐसे लोगों को मंत्री बनायेंगे, बनाना पड़ेगा जिन्हें आप स्वयं पसन्द नहीं करते । यह मेरे मन की

भावना की बात है कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपको सही बात नहीं करने देंगे, स्वच्छ प्रशासन नहीं देने देंगे, जनहित के काम नहीं करने देंगे। संथानम कमेटी की रिपोर्ट में लूपहोल्स के बारे में लिखा हुआ है कि यदि किसी को ५ बोतल तेल देने का अधिकार है तो वह आपको मिल जायेगा, लेकिन अगर किसी को ५ बोतल देने का अधिकार इस प्रकार का है कि वह चाहे माधवप्रसाद त्रिपाठी को दे या न दे, तो वह मुझसे अवश्य कुछ इच्छा रखेगा, उसमें काफी गुंजाइश हो जाती है।

आप कहते हैं कि नारे पर काम नहीं करना चाहिये, नारों पर ध्यान नहीं देना चाहिये, लेकिन आप उसी के अनुसार काम करते हैं। मैं पूंछता हूं माननीय चौधरी साहब से कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पहले से थी, आपने उस पर अमल क्यों नहीं किया? आपको चाहिये था कि आप एक कमेटी बिठाल देते जो यह देखती कि पूर्व गठित कमीशनों की रिपोर्टों पर अब तक अमल क्यों नहीं किया गया और उन पर अमल करवाने की आप कोशिश करते। यदि कमीशन के निर्माण में और उसके कार्य में जनता का धन व्यय हुआ है तो उसकी रिपोर्ट पर अमल भी होना चाहिए, नहीं तो जनता के धन का यह अपव्यय बड़ा अनुचित है। केन्द्र से जो नारा चला है वह यहां भी चला आ रहा है। केन्द्र में जो नारा चला उसकी रूह यहां भी पहुंच गई है। चौधरी साहब भी उसके जाल में फंस गये हैं। आप लोगों को इतना समय नहीं है कि उस पर आप पूरी तरह से विचार कर सकें। आप तो हवा में बहे जा रहे हैं। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट पर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया, दूसरा कमीशन उसी संबंध में नियुक्त करने की क्या जरूरत थी पब्लिक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर आपने ध्यान नहीं दिया, पटेल कमीशन, जो कि प्रदेश के पूर्वी जिलों की दयनीय दशा का अध्ययन करने के लिये बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट पर आपने अमल क्यों नहीं किया? इस विषय में आपने जो कमीशन नियुक्त किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, मैं हर अच्छी चीज का स्वागत, समर्थन करता हूं, लेकिन जनहित में एक तीखी आलोचना इसलिए करनी पड़ती है कि आपने पटेल कमीशन की रिपोर्ट पर तनिक भी अमल नहीं किया और एक कमीशन बिठला दिया। ला कमीशन की भी अपनी रिपोर्ट है—गरीबों को राहत कैसे मिले, शीघ्र और सस्ता न्याय कैसे मिले, क्या ढंग हो जिससे मुकदमें का ढेर न लगे इन तमाम विषयों पर रिपोर्ट में प्रकाश डाला गया है, फिर दूसरा कमीशन लाने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत इसलिए थी कि अपने आदमियों को अपनी पार्टी के आदमियों को उसमें लगा दिया जाए। अपने पक्ष के आदमियों को घुसाने के लिए यह सारा खेल किया गया है। यह नारा नहीं है तो क्या है। और फिर हम सब लोग जानते हैं कि उनकी रिपोर्ट पर भी कोई अमल होने वाला नहीं है। क्योंकि यह आज एक परम्परा बन गई है कि किसी मसले को टालने के लिए उसके लिए एक कमीशन नियुक्त कर दिया जाए, और वही आपने भी किया।

आज पूर्वी जिलों की दशा बड़ी ही खराब है। कलकत्ता से लखनऊ कोई भी व्यक्ति डेढ़ दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहां से ४-५ दिन से पहले कोई रोगी अस्पताल भी नहीं पहुंच सकता है। आप उन गरीब दुखी लोगों के लिये रास्ते बनायें, सड़कें बनाएं और उनको राहत दें। इन बातों पर सोचने का टाइम नहीं है। फिर यह भी है कि न जाने इंडिकेट कांग्रेस की क्या राय हो जाय। तो सिद्धांत कहां है? यह चलने वाली चीज नहीं है।

मान्यवर, सवा छः एकड़ के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। मुझे भय है कि आपकी लाल बत्ती न आ जाय। सवा छः एकड़ पर हमने निर्णय किया कि लगान माफ होना चाहिये। हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। आज उस पर प्रश्न पूछा गया। मालूम हुआ कि चौधरी साहब उस पर टाइम लेना चाहते हैं। कल अपने विशेषज्ञों से पूछ कर जवाब देंगे। सवा छः एकड़ पर तो लगान उन्होंने माफ नहीं किया, लेकिन ३ १ ८ एकड़ पर किया। दो दलीलें दीं। एक तो स्टेट को बैंकरप्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरे उन्होंने कहा कि फ्रैगमेंटेशन हो जायगा। लेकिन उन्होंने और फ्रैगमेंटेशन करा दिया। पहली बात यह कि

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

गरीबों का हित नहीं हुआ । उनकी निगाह में ३ १ ८ एकड़ वाले की वही हैसियत है जो साढ़े बारह एकड़ वाले की है । मैं यह समझा नहीं पाया । मान लीजिये ३ १ ८ एकड़ का पांच रुपये लगान है तो ३ १ ८ वाले के भी पांच रुपये बचते हैं और साढ़े बारह एकड़ वाले के भी पांच रुपये बचते हैं । फ़्रैगमेंटेशन भी नहीं रुकेगा । १८ एकड़ वाला दो हिस्सों में कर लेगा, साढे बारह एकड़ के नीचे हो जायगा । ३१/८ का लगान माफ हो जायगा । तो फ़्रैगमेंटेशन यों बढ़ा । लगान यों ही कम हो गया । अन्धेरे में भटकने लगे, रास्ता ही नहीं मिला । जब फ़्रैगमेंटेशन बढ़ा और मालगुजारी कट गयी तो हुआ क्या ? दूसरी दलील यह है, मालूम होता है कि उनकी समझ में आया कि यह अन्याय हो गया, इस लिये दूसरी विज्ञप्ति निकाली । लेकिन जो उस सरकार ने किया था वह चीज नहीं आयी । अगर सवा छः एकड़ पर १० करोड़ की मालगुजारी का नुकसान होता है तो इसमें अब १५ करोड़ का नुकसान होगा । ३३ एकड़ वाला भी तीन हिस्सों में करवा लेगा ताकि मालगुजारी माफ हो जाया । फ़्रैगमेंटेशन बढ़ेगा और रेवेन्यु का लास होगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । एक स्लोगन लगा यहां की चीनी मिलों के बारे में इसमें दो मत नहीं और मैं इसका समर्थन करता हूं कि इन बड़े आदमियों से जिन्होंने चीनी मिल अपने पास रखीं, हस्तांतरण और नवीनीकरण करना आवश्यक है । लेकिन बड़ी जल्दी की, देरी भी की और जल्दी भी की । आपने जिस चीज को देने की घोषणा की उसमें आपने मजदूरों को क्यों नहीं रखा ? हमारे दल ने कहा कि हर कंसर्न में लेबर कैपिटल होना चाहिये । उन्होंने सरकारीकरण की घोषणा की । सरकारी करण से किसानों का कल्याण नहीं होने वाला है । मैंने भी उस भाषण को पढ़ा था । सरकारी करण से कोई फायदा नहीं होगा । सहकारी-करण होना चाहिये । किसानों को राहत देने के लिये चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है यह नारा आप न लगायें । इससे किसानों का लाभ नहीं होगा । उनका लाभ तो तब होगा उनको जब गन्ने का दाम पूरा मिलेगा और उनका गन्ना खड़ा नहीं रह जायगा । क्या कारण था जब आप संविद में थे तो गन्ने का दाम बढ़ गया था और अब नहीं बढ़ रहा है ? आज चीनी के दाम में और गन्ने के दाम में सन्तुलन होने की आवश्यकता है । उसे सरकार को करनी चाहिये । किसानों को गन्ने के दाम १५ रुपया क्विन्टल के हिसाब से मिलना चाहिये । उसका प्रयत्न करना चाहिये । मगर क्रशर को भी अगर गन्ना दिया जाता है तो वहां भी ज्यादा दाम उसको नहीं मिलता है । २, २।। रुपये के अन्तर से उनको लाभ होता है । तो ऐसी हालत में आपने किसानों का क्या भला किया ? अगर उनको गन्ने का दाम १५ रुपया क्विन्टल नहीं मिलता है तो उनका गन्ना भी खड़ा रह जायगा और दाम भी नहीं मिलेगा । आज भी वही हालत है । गन्ना खड़ा है और हाहाकार मचा हुआ है । क्रशर को लाइसेन्स दिया गया तो उससे भी उनको लाभ नहीं है । वह जबरदस्ती उधर जाते हैं तब जाकर २, २।। रुपया पाते हैं । सरकार को इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिये कि जितना भी गन्ना खड़ा है उसको पेरा जायगा । उसको क्रय करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को कहना चाहिये कि जो गन्ना खड़ा है वह खड़ा नहीं रह पायेगा । मई, जून में गन्ना जला दिया जाता है तो ऐसा न हो कि इस साल भी लोगों को अपना गन्ना जलाना पड़े ।

आज वही दशा पैदा हो गई है । अगर सरकार ने उनके लिये कोई काम नहीं किया तो फिर बात कहने से कोई लाभ नहीं होगा । मुझे तो भय है कि कहीं दूसरी बात न हो जाय । जैसे किसी आदमी को चोट लगती है तो वह फिर दूसरी तरह से सोचने लगता है । कहीं ऐसा न हो कि एलेक्शन का समय आ जाय और कुछ उनसे दूसरी तरह की बात हो जाय यह सारा मामला ही खतम हो जाय । इस लिये सरकार को समझकर कदम उठाना चाहिये जिससे लोग यह न कहें कि आपने चतुराई से कदम नहीं उठाया । मैं समझता हूं कि यह केवल मुझे भय है और ऐसा नहीं होगा कि मिडटर्म पोल की बात आ जाय तो इन चीनी मिलों से रुपया पैसा लेकर इसको टाल दिया जाय क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मिडटर्म पोल की सम्भावना अब बहुत

बढ़ गई है। अगर चौधरी साहब की पार्टी ने केन्द्र में अपना हाथ खींचा तो वहां पर ऐसी खिंचाई होगी कि आप धड़ाम से आगे गिरेंगे और उसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। यह सोचने की चीज है और अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। आपने २, ४ काम अच्छे किये लेकिन अगर कोई बड़ा काम खराब हो गया तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर यह किसानों के हित में नहीं होगा तो उसको सहन नहीं किया जा सकता है।

चीनी मिलों के बारे में सोच समझकर कदम उठाया जाता तो अच्छा था। अगर इस सम्बन्ध में केन्द्र से भी कुछ सलाह मशविरा कर लिया जाता तो अच्छा होता। हो सकता है कुछ नसे विचार किया गया हो, मैं इसको कह नहीं सकता लेकिन केन्द्र में भी एक इस विषय में आयोग गठित हुआ है जो सारे चीनी मिलों की स्थिति के बारे में विचार करेगा और उस पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा। यहां पर भी एक समिति का गठन किया गया है। दोनों का आपस में कोई ता तम्य होता तो अच्छा था। कहीं ऐसा न हो कि दोनों के सिद्धांत में कोई किसी तरह का कनफिलक्ट पैदा हो जाय। यह बताया गया है कि यहां पर जो चीनी मिलों के लिये समिति बनाई गई है उसमें बड़े चीनी मिलों के एक्सपर्ट हैं। लेकिन उसके अन्दर गरीब किसानों की भावना को व्यक्त करने के लिये कोई नहीं रखा गया है। माननीय गेंदासिंह जी यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे बहुत नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि उन्होंने ही यहां पर धन्यवाद के प्रस्ताव को मूव किया है। मैं कह नहीं सकता कि इस लीडरी से उनका क्या लाभ होगा? उनके विषय में कुछ कहने में मुझे कठिनाई होती है। पर वह याद रखें कि यदि किसी आदमी को किसी जाल में फंसाना हो तो उसको पहले उस जाल में फंसाया जाता है ताकि वह कुछ कहने न पाये। इसी प्रकार से आपको भी फंसाया गया है और आप भी फंस गये। पता नहीं कि इस चीनी वाले मामले में आप किस परिणाम पर पहुंचेंगे.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

मैं चाहता हूं इस मामले में आप भी स्पष्ट बतला दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मुझे भय है कि इस जाल में फंसकर कहीं आप भी अपनी स्थिति को भूल न जायं और फिर एलेक्शन वाली बात के चक्कर में आ जायं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि हरिजनों की बड़ी दुहाई दी गयी। मैं स्वयं यह महसूस करता हूं कि जब तक हरिजनों के प्रति प्रेम और सौहार्द्र भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन हरिजनों का इसमें जिक्र तक नहीं किया गया। कौन सी लाइन है जो हरिजनों से सम्बन्ध रखती है। १८ फीसदी कोटा सर्विसेज में पूरा नहीं हुआ। कहा जाता कि मैं इसको जोर से देखूंगा ताकि इसका कार्यान्वय न हो जाय। सीलिंग की जमीन हरिजनों को न मिल कर और सभी लोगों को मिली। यह कहा जाता कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि सबके कब्जे से जमीन वापस निकलवा कर हरिजनों को दिलवाऊंगा।

यह कहा जाता कि अनटचेबिलिटी पर कड़ा कदम उठाऊंगा और पेयजल की व्यवस्था सभी हरिजनों के लिए होगी, किसी को स्पेयर नहीं किया जायगा। वोट के लिये नारे लगाना आप जैसे महान लोगों को शोभा नहीं देता। क्या राजनीति में मारेलिटी का स्थान नहीं है? वचन का कोई मूल्य नहीं है? सब धूल में मिल गया। हरिजनों की बात बड़े जोर से कही गयी, शक्ति में बने रहने के लिये सम्प्रदायवाद, जातिवाद के आधार पर कीचड़ उछाली जाती है। क्या इस तरह समाजवाद आप लायेंगे? मैंने एक मांग की थी गुप्ता जी के सामने कि १० करोड़ रुपया अलग कर दिया जाय हरिजनों के लिये तो क्या आप उसके लिये तैयार हैं। लेकिन जो बड़े हितैषी हैं हरिजनों के उन्होंने एक शब्द भी उनके लिये नहीं कहा। (व्यवधान) मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, बड़े धैर्य से सबकी बात सुनता हूं। इस सदन में यह नारा भी लगाया

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गया कि अगर भावना को भड़काया गया तो विशाल हरियाना बनायेंगे । मेरा निवेदन है कि जितनी शक्ति होगी उसे लगा कर यही प्रयत्न होगा कि विशाल हरियाना बनने न पाये । आप यह सेपरेटिस्ट मेनटेलिटी कहां से ले आये? राजनीतिक सत्ता ही सब कुछ नहीं है । भविष्य देखिये, हम आप नहीं रह जायंगे ।

एक चीज बड़ी दुखदायी है और वह यह कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फेल्योर इसमें है कि इसने ३ प्रधान मंत्रियों को दिया और तीनों ने इसे पीछे घसीटकर बिहार और उड़ीसा के पीछे कर दिया । जहां यहां १६ रुपये प्रति व्यक्ति प्लान के लिये रुपया केन्द्रीय सरकार ने दिया है उसके मुकाबले पंजाब, राजस्थान को ७२ व ६८ रुपये दिया है । तो क्यों हुआ? मैं कुछ नहीं कह सकता हूं । अगर दक्षिण में ऐसा हुआ होता तो लजाता । उत्तर प्रदेश इन २२ सालों मे पीछे रह गया है । लेकिन आप कहते हैं कि हमारी प्रधान मंत्री को गिराने का प्रयास किया गया । लेकिन उन्होंने क्या किया ? हमने प्रधान मंत्री इसलिये नहीं दिया था कि वह पेट में छुरा मारें । आपको विचार करना चाहिये था ।

मैं कहना चाहता था कि हमारे जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, उनके सम्बन्ध में मैं रेडियो पर सुन रहा था । अगर मैंने ठीक सुना तो वह यह था कि दंडित कर्मचारियों को फिर से काम पर लिया गया और उनकी गलतियों को माफ कर दिया गया । अपने परिवार की समस्या समझकर इस पर विचार करना चाहिये । इस प्रश्न को नजरंदाज नहीं करना चाहिये । मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे ।

दूसरी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों तथा गैर शिक्षक कर्मचारियों के समय पर वेतन दिलाने की जिम्मेदारी सरकार स्वयं अपने ऊपर ले । जिद्द पर सरकार नहीं चला करती हैं । इस संबंध में मैंने कारेसपोंडेंस भी की थी और वित्त मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से भी मिला था कि इस समस्या का हल होना चाहिये । उन्होंने सरक्यूलर भी निकाला मैं बांत कर रहा था । सब कुछ तय हो गया था । लेकिन पासा पलट गया । आप प्राइमरी शिक्षा तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन शिक्षकों के स्तर को उठाना नहीं चाहते । उनके दुख दर्द को सुनना नहीं चाहते हैं । लेकिन उनसे ईल्ड अच्छी लेना चाहते हैं । खेत में पानी नहीं देंगे, अच्छी खाद नहीं देंगे और ईल्ड अच्छी चाहेंगे तो यह कैसे सम्भव हो सकता है । उस सरकार ने जो किया उसको आपको आगे बढ़ाना चाहिये । जैसा मैंने कहा कि आपके अच्छे कामों की मैं सराहना करूंगा और बुरे कामों की भर्त्सना करूंगा ।

इसके साथ ही साथ अपने दल की ओर से मेरी आपसे यह प्रार्थना है और हमेशा मैं इसको प्रेस करता आया हूं कि गौवंश की निकासी अपने यहां से बन्द कर दी जाय ।

पेशा कर के संबंध में मुझे यह कहना है कि इसको समाप्त किया जाय । अगर कोई बिजनेस-मैन कमाता है दस हजार रुपया तो वह चार हजार ही दिखाता है और ६ हजार की चोरी करता है लेकिन सरकारी कर्मचारी जो ४००–५०० रुपये कमाता है वह छिपा नहीं सकता है । इस लिये उसको पेनेलाइज किया जाता है । इसलिये इस कर को जल्द से जल्द हटाया जाय ।

प्राथमिक विद्यालयों को ठीक किया जाय । जो कमीशन मुकर्रर किया गया था उसकी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाना चाहिये । शिक्षकों की तनख्वाहें बढ़ाई जायं । मुझे बड़ी तकलीफ होती है । शिक्षा में राजनीति नहीं आनी चाहिये । आज हर एक आदमी कराह रहा है । जिला परिषदों ने इसको चूर-चूर कर दिया है । आज मास्टरों की हालत यह है कि ४, ६ महीने तक उनको वेतन नहीं मिलता है । आज आप एजूकेशन निगम बनाइये और एजूकेशन को जिला परिषदों से ले लिया जाय । इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं होना चाहिये ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि जब तक वह प्रशासन में हैं तब तक जितने अच्छे कार्य पिछली सरकार ने किये, या घोषणायें कीं, उनके ऊपर विचार करना चाहिये और उनका कार्यान्वयन होना चाहिये । कोई भी राजनीति

जिद्द पर नहीं चलती है। मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि अगर वह अपना विवेक प्रयोग करते, सारी चीजों का समावेश करते तो इन चीजों को हटाते नहीं। लेकिन यह भी सब राजनीति का विषय बना हुआ है। इन शब्दों के साथ माननीय गेंदा सिंह जी ने राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और उस पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

*खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया था, उस संबंध में जो भाषण यहां पर हुए, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। कल जब मैं यहां नहीं था तो कुछ बातें मैं नहीं जान सका लेकिन सिद्धान्ततः जो विचार यहां दोनों ओर से व्यक्त हुए, उनमें विशेष आलोचना की तीन ही बातें थीं। पहली तो यह थी कि राज्यपाल ने इस सरकार का गठन करने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। दूसरी यह कि सरकार ने कोई कार्य नहीं किया और न किसी कार्य का राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र किया। तीसरी बात मुख्य मन्त्री और उनके अन्य मन्त्रियों की नीयत के संबंध में की गयी।

जहां तक राज्यपाल के विवेक की बात है, उसके संबंध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। केवल इतना ही कहूंगा कि राज्यपाल ने क्या किया, कैसे किया, उचित किया या अनुचित किया, इसको आप अपने हृदय पर हाथ रख कर, विशेषकर वे लोग जो इन बेंचों पर उस समय बैठने वाले थे, सोच लें। वे सोचें कि तीन महीने तक राज्यपाल ने क्या किया और जो एक दिन में किया उसको भी सोच लें। जो कुछ उन्होंने किया वह उन्होंने अपने विवेक से किया, उस पर हमें कुछ नहीं कहना चाहिये, हमें तो वह कहना चाहिये जो हमने किया और आपने किया। जरा उस पर भी विचार कीजिये जो आपने राज्यपाल के भाषण के वक्त किया। राज्यपाल का जो दर्जा है, जो उनका ओहदा है, जो संविधान में उनका स्थान है, उसको देखते हुए जो कुछ उस दिन किया गया, वह क्या था? आप सबने उसको देखा है और आप में से बहुत से लोग उसमें शामिल रहे हैं, क्या आप इस पर भी विचार करेंगे कि वह हमारा कैसा कार्य था? क्या हम यह उचित समझते हैं कि उनके अभिभाषण के समय ऐसा किया जाना चाहिये?

राज्यपाल के बाद मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि सरकार १७ तारीख को संगठित हुई क्योंकि १७ तारीख को चौधरी साहब को मुख्य मंत्री के रूप में बुलाया गया और २६ से सदन प्रारम्भ हो गया है। इस सात आठ दिन के बीच में हमारे दोस्त हर उस बात का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, हमारी सरकार पर लगाते हैं, जो कि उन्होंने खुद बैठ कर किये हैं। मैं इन आरोपों पर एतराज तो नहीं करता हूं क्योंकि इन्हीं की जगह पर आया हूं लेकिन यह प्रार्थना है कि वह न्याय करें कि किस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सात दिन के भीतर इस सरकार से कितने काम की आप अपेक्षा करते थे और सात दिन दिन के अन्दर इस सरकार ने जो कुछ किया है उस काम को भी आप देखें। वह कार्य आप के मन के चाहे अनुकूल न हों, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूं लेकिन मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं और आप सोचेंगे कि क्या सरकार ने जो कदम उठाये हैं वह जनहित में नहीं हैं, वह देश हित में नहीं हैं? (व्यवधान) निश्चित रूप से हैं। अगर वह जनहित में नहीं हैं तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार ने जो सीलिंग लगाने का वादा किया है वह दोस्तों के हिसाब से जनहित में नहीं है?

श्री चेतराम गंगवार—

सीलिंग को आप लगा ही नहीं सकते हैं, आप में दम ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवधान न करें, उनको आप सुनें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्रीपति मिश्र--

सरकार ने ३ १/८ एकड़ तक लगान माफी की जो घोषणा की है, जो ३० एकड़ तक सीलिंग की घोषणा की है, जो शुगर मिल्स को टेक ओवर करके किसानों को देने की घोषणा की है, जो शासन में स्वच्छता लाने की घोषणा की है, तो हमारे मित्र जो इन कामों को नहीं कर सकते थे, उनके विचार से यह जनहित में नहीं है। अगर यही आप की कल्पना है तो ठीक है लेकिन मैं समझता हूं कि ७ दिन के अन्दर जो कदम इस सरकार ने उठाये हैं वह निश्चित रूप से ऐसे कदम हैं जिनसे पता लगता है कि वह क्या आगे कदम उठावेंगे। अब आप देखें कि अभी माननीय त्रिपाठी जी ने और कुछ बातें कहते हुये बीच में जाते जाते कह दिया कि हरियाना और विशाल हरियाना ह नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें शुरू की गई हैं और आज हमारे एस० एस० पी० के नेता, श्री जायसवाल ने इस सदन में बारबार पूर्व और पश्चिम कह कर एक यह नक्शा खड़ा करने की कोशिश की है कि कोई पूर्व चाहता है और कोई पश्चिम चाहता है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि कोई भी नक्शा खड़ा करना चाहता हो, चाहे चौधरी साहब हों, चाहे आप हों या मैं हूं, या हिन्दुस्तान के रहने वाले, जो कोई विभाजन का नक्शा खड़ा करना चाहते हैं, उसको आप मिटावें और अपनी तरफ से खड़ा करके उस जहर को न फैलावें। आप इस बात को आधार न बनावें क्योंकि जो बात यहां से चलती है वह एक विशेष रूप धारणे कर लेती है।

सीलिंग के सम्बन्ध में जो एलान हुआ और उसके बाद जब गवर्नमेन्ट ने कुछ करना चाहा तो लोगों ने कहा कि चौधरी साहब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप का विचार यह है तो करना तो चौधरी साहब को है। आपके विचार से हमको तो कोई एतराज नहीं है लेकिन सीलिंग की बात को चौधरी साहब ने घोषणा की, इस पर उनका कल भी वक्तव्य है और आज भी उन्होंने बतलाया कि जनता के हित को देखते हुये हम सीलिंग के संबंध में एक दम उठाना चाहते हैं। हमारा यह स्पष्ट मत है कि हमारी नीति प्रजातंत्र में सुधार करके जनहित करने की है। हमारी नीति न तो उन लोगों की है जो जनता के दुख दर्द से परिचित नहीं हैं या अगर परिचित हों तो उस को कायम रखना चाहते हैं और हमारी नीति उन लोगों की भी नहीं है जो लाठी और डंडे के जोर से जबरदस्ती सुधार लाना चाहते हैं। ऐसी दशा में सीलिंग का मसला जो आपके सामने है और जिसकी चौधरी साहब ने यहां घोषणा की है इससे संबंधित हम जितने भी लोग हैं, चाहे आप की पार्टी के हों, चाहे हमारी पार्टी के हों, सब मित्रों से मेरा कहना है कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें, उन सुझावों पर पूरी कीमत के आधार पर विचार किया जायेगा और हम ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो अधिक से अधिक लोगों के हित में हो। हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कदम न उठावें जिससे कि हम जनता का हित न कर सकें या जिसमें हम कोई ऐसा कदम उठावें जो दिखावे के लिये साधारण ढंग से न हो बल्कि मजबूरी दिखला कर डंडे के जोर से कोई सुधार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कदम हम उठाने जा रहे हैं वह अधिक से अधिक लोगों के हित में हो और अधिक से अधिक लोगों को समझा कर उस लाइन पर लाया जा सके, इस तरह का सुधार हम करना चाहते हैं।

बहुत बार यहां जिक्र किया गया और आज भी हुआ और मेरे दोस्तों ने कहा कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ होना चाहिये। मैं सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप तो इसके पुराने हामी हैं और आपका सवा ६ एकड़ का नारा बहुत दिनों से है और इसके लिये आपको मैं धन्यवाद जरूर देता हूं कि कम से कम आप लोगों ने उनके मुंह भी सवा ६ एकड़ के लिये खुलवा दिये जो कभी उस तरफ अपना मुंह नहीं खोलते थे। जिनका मुंह अब तक बन्द था उन्होंने भी सवा ६ एकड़ तक की लगान माफी के लिये बोलना शुरू कर दिया। मैं तो पहले ही से कहता रहा हूं। अब उन्होंने कब कहा और आपने कब कहलवाया, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। उनके नारे लगाने से मेरा ऐसा विश्वास है कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ होना उतना ही कठिन हो गया। इसलिये आप धोखे में इनके न रहें। जिस तरह से आप मेरे ऊपर सन्देह करते हैं उसी तरह से मैं भी उनके ऊपर सन्देह करता हूं। यह ठीक है कि वे नारा दे रहे हैं और अपने नारे से कम से कम समर्थन तो दे रहे हैं और यह अच्छी बात है कि कुछ लोगों ने इस तथ्य को स्वीकार किया। मैं आप से निवेदन कर दूं कि हमें इस

बात की कोई जिद्द नहीं है, हम बहुत सोच विचार कर ही वास्तविक माने में इस चीज को लाना चाहते हैं। पहले भी हमारे सामने सोच विचार के बाद ही कुछ चीजें आयीं। हो सकता है कि इसमें गलती भी हो, हो सकता है कि सही न हो लेकिन काफी सोच विचार के बाद जो चीज हमारे सामने आयी उसका हमने एक हल निकाला हमने उसका एक यह हल निकाला कि हम ३ १/८ एकड़ तक लगान माफ करेंगे। कई अखबारों में यह निकला होगा। आप में से बहुतों ने कहा कि १२ एकड़ या साढ़े १२ एकड़ तक और इसकी चर्चा भी अखबारों में जरूर हुयी थी मगर हम ने जो निर्णय अभी तक लिया है वह यह है और १२ या साढ़े १२ एकड़ का हमने कोई निर्णय नहीं लिया है मगर हमारा जो निश्चित निर्णय हो चुका है वह ३ १/८ एकड़ तक की पूरी माफी का हुआ है।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

मुख्य मन्त्री जी का जो भाषण अमीनुद्दौला पार्क में हुआ था उस को आपने सुना होगा। वह आप ने....

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं वहां था और वहां पर उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वह ३ १/८ एकड़ तक की भूमि का है जिसको हम बता रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, सदन में अध्यादेश को रखा जाना चाहिये। मंत्री जी कहते हैं कि उनका निश्चित निर्णय ३ १/८ एकड़ तक की जोत का है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप को इसमें क्या दिक्कत है कि जो अध्यादेश है उस को सदन के पटल पर रख दिया जाय और उसका विधेयक आप यहां पर प्रस्तुत कर दें जो तुरन्त ही पास कर दिया जाय। आप सवा ६ एकड़ तक की माफी का विधेयक यहां पर प्रस्तुत करें और तुरन्त ही अपने किसी आदमी से उसको ३ १/८ एकड़ का संशोधन करवा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करने से जो आप चाहते हैं उसको आप करवा लेंगे और यह तुरन्त ही हो सकता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो उसको आप बतायें।

श्री श्रीपति मिश्र—

जो आप ने कहा है उसका उत्तर मैं दूंगा, आप मेरी बात को सुनें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो निर्णय आप ने ले लिया है वह तो आप अध्यादेश को यहां रख कर करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय शिक्षा मंत्री जी भाषण दे रहे हैं उसको पहले आप सुनें। जो आप कह रहे हैं उसके विषय में ही वह कह रहे हैं। पहले उनको कह लेने दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं तो केवल यही कह रहा हूं कि जो चीज मन्त्री जी बोल रहे हैं वह बोलें लेकिन जो आपने घोषणा कर दी है और जिसके विषय में आपने निश्चित निर्णय ले लिया है उसको वैधानिक रूप देने और कानून में बदलने के लिये जो आप का यह अध्यादेश है उसका अधिनियम यहां पर उपस्थित करवा दें और जो संशोधन आप चाहते हैं वह यहां पर करवा कर उसको इमीजियेटली तुरन्त ही कानून के रूप में परिवर्तन करवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय वह अपना भाषण दे रहे हैं पहले आप उनको सुन लें फिर जब आप को समय मिलेगा तब आप उनका ध्यान जिस तरफ चाहें आकर्षित करवा सकते हैं।

श्री चेतराम गंगवार—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय गवर्नर के अभिभाषण पर डिबेट चल रही है। इस डिबेट में माननीय मन्त्री भी भाग ले रहे हैं। यहां इस डिबेट में बहुत सारी चीजें होंगी। मन्त्रीगण जो जो चीजें यहां पर कहेंगे वे किसी पालिसी के आधार पर ही कहेंगे और ज्वाइंट रेसपान्सिबिलिटी के आधार पर ही कहेंगे। जो कुछ भी वे यहां पर कहेंगे वह किसी पालिसी विशेष की घोषणा ही समझी जायेगी। क्या वह चौधरी चरण सिंह, मुख्य मन्त्री की पालिसी की द्योतक नहीं समझी जायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस बहस में मन्त्री जी बोल रहे हैं और भी दूसरे मन्त्रीगण बोल रहे हैं। जब कोई अन्तर उनकी बातों में होगा तभी तो सवाल उठ सकता है। जब कभी ऐसा कोई सवाल उठेगा उस पर मैं अपनी राय दूंगा। इस वक्त तो मंत्री जी अपना भाषण कर रहे हैं। आप तो एक हाईपोथेटिकल (काल्पनिक) बात कह रहे हैं। आप यह कैसे समझ रहे हैं कि वे अपने मंत्रि-परिषद् के संयुक्त कर्त्तव्य के प्रति सचेत नहीं हैं ? वे इस समय भाषण कर रहे हैं। आप अनावश्यक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि ३ १/८ एकड़ तक का लगान माफ किया गया है। मुख्य मन्त्री जी जब अमीनुद्दौला पार्क में भाषण कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि साढ़े १२ एकड़ तक माफी मिलेगी। तो क्या अब स्टैंड बदल गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर वे इसका उत्तर देना उचित समझेंगे तो वे देंगे।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। आप उस वक्त उपस्थित नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्रीमन्, तो मैं कह रहा था और उसी बीच में माननीय अनन्तराम जायसवाल ने सवाल उठा दिया कि सवा छः एकड़ तक लगान की माफी का अध्यादेश जारी कराया था उस अध्यादेश को सदन के पटल पर रख दिया जाये। तो आप को याद भी होगा और अखबारों में भी पढ़ा होगा हमने भी उस को देखा है। आपने सवा ६ एकड़ तक लगान की माफी की बात को कैसे मनवाया था ? यह उसी प्रकार मनवायी गयी थी जैसे किसी के गले पर फांसी लटका दी जाती है और कहा जाता है कि हाथ तब तक नहीं उठेगा जब तक वह बात नहीं मान जाता है। उस अध्यादेश पर हम निर्णय ले रहे हैं—कैबिनेट में बैठ कर, सोच विचार कर कार्य करेंगे। हम किस ढंग से निर्णय लेंगे या किस साजोसामान को अपने हाथ में लेकर फैसला लेंगे, उस सारे फैसले को एसेम्बली में पेश करेंगे यह हमारा अधिकार है। हमको आप इस वक्त उस बहस में न रखें। हम को सोच-विचार कर निर्णय लेने दें।

श्री अनन्त राम जायसवाल—

यह दूसरी चीज हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी वे भाषण दे रहे हैं। आप स्पष्टीकरण अगर मांगना चाहें तो मांग सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं निवेदन कर रहा हूं आप के माध्यम से मान्यवर, मंत्री जी से। अभी इसके पहले उन्होंने यह कहा कि उनका निश्चित निर्णय हो गया है कि ३ १/८ एकड़ तक का लगान वे माफ कर देंगे। दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि वे किसी दबाव से नहीं करेंगे, बल्कि सोच-विचार कर करेंगे।

श्री श्रीपति मिश्र---

मैंने यह कहा है कि सोच विचार कर करेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं तो, श्रीमन्, यह कह रहा हूं कि निर्णय को कानून में अभी तत्काल बदलने में आप को क्या दिक्कत है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

मुझे कह लेने दें। मैं इसके विषय में आप से प्रार्थना करता हूं। आप ने देखा होगा कि मैं किसी की बात के बीच में कभी नहीं बोलता हूं। मुझे थोड़ा सा मौका दें अपनी बात कहने का और इस प्रकार का व्यवधान न उपस्थित होने दें। मेरे जो भाव हैं उन्हें आप सुनें और आप के भाव हम सुनेंगे। हम अपने निर्णय को सदन में लायेंगे, मगर अपने ढंग से सोच-विचार कर के लायेंगे।

इसके पश्चात् एक और प्रश्न उठाया गया माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रारंभिक शिक्षक संघ के विषय में। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों की भूख हड़ताल यहां पर चली। यह हड़ताल यहां इस भवन के सामने चली। और आपका यह प्रारम्भ होने से पहले, २६ से पहले मैं उनके यहां गया था। मुझको उनकी मांगों में औचित्य मालूम होता था। मैंने उनको समय दिया था मिलने का उनके जो अध्यक्ष हैं वह शायद यहां आये थे लेकिन मैं समय से नहीं पहुंच सका था। मैं उनके घर पर गया था जहां वह अनशन कर रहे थे। मैं उनके सहयोगी की तरह उनकी समस्या हल करने के लिए गया था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं आपकी समस्याओं पर विचार करूंगा आप मुझे सहयोग दें। उन्होंने सहयोग दिया और हड़ताल हटा ली। कम से कम मैं इतना कहूंगा कि उन्हें विश्वास है कि मैं उनकी समस्या को हल करूंगा। अगर वे अपना अविश्वास प्रकट करें कि नहीं किया जा रहा है तब आप उसका नारा लगावें। माध्यमिक शिक्षक संघ की बात जहां तक है वह समस्या हल हो गई थी ऐसा कहा जा रहा है। उसकी हड़ताल भी चल रही थी। १० तारीख को या उसी वक्त उन्होंने हड़ताल बन्द कर दी और उनकी समस्या का समाधान हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ का प्रश्न हल किया गया था और माना गया था तो उसमें दो, चार, छ दिन, एक महीने का टाइम था उसे पहले कहलवा लिया। लेकिन वास्तव में अपने दिल पर हाथ रख कर सोचें कि क्या आप उस फैसलें को फैसला समझते हैं, जो फैसला १० तारीख की दोपहर को लिया जाय चीफ मिनिस्टर द्वारा और वही चीफ मिनिस्टर ७ बजे शाम को इस्तीफा दे दे। वह फैसला इसलिए लिया गया कि उसका कार्यान्वियन किया जाना था तो ऐसा नहीं था। मैं अपने मित्र जायसवाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक क्रान्तिकारी कदम उठाने के लिए उन लोगों से हामी भरवा ली जो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते थे।

एक सदस्य---

आप भी कुछ क्रान्तिकारी कदम उठावें।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं भी उठाऊंगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं भी एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । तीस एकड़ और सवा छः एकड़ का मसला तो अपनी जगह है लेकिन जो लाखों एकड़ भूमि सीलिंग या ग्राम समाज की पड़ी है तो उसका वितरण कब कराने जा रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

मैं माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक संघ के सम्बन्ध में बोल रहा था । उसे खत्म करके इसके बारे में भी कहूंगा । माध्यमिक शिक्षक संघ के बारे में बहुत कहा गया । उसके बारे में हमसे यहां यह प्रश्न हुआ कि हम देना चाहते हैं या नहीं हम भार ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं । मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मांग वास्तविक है, बहुत कुछ सत्य है और उसके औचित्य में तनिक भी संदेह नहीं । लेकिन जो राजाज्ञा प्रसारित की गयी उसमें जो दोष और कमियां हैं उनको देखने के बाद ही हम इस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं । जो जिम्मेदारी हम उठायें उसका वाकई निर्वहन करें और इसलिए हम उसकी जांच-पड़ताल करना चाहते हैं और उसके लिए हमने, जो विभागीय लोग हैं, जिनको जानकारी है उन सब से कहा है कि इसमें सहयोग दें ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर सकें ।

अब मैं थोड़ी बात जो त्रिपाठी जी ने तबादलों के बारे में, नयी तकर्रुरी के बारे में कही उस विषय में कहना चाहता हूं । तबादले दूसरी सरकारें भी करती रही हैं, यह सरकार भी करती है । तबादले कर देना अपने में न कोई गुण है न कोई दोष । तबादले क्यों किये जाते हैं, किस उद्देश्य से किये जाते हैं, वास्तव में यह असली बात है जिसकी विवेचना से ही कोई वास्तविक अर्थ निकल सकता है । वैसे हम तबादला करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनमें कुछ गुण दोष दिखलायी पड़े और आप तबादला करेंगे तो हो सकता है कि हमको उनमें कुछ गुण दोष दिखलायी पड़े । तो इसका समर्थन और विरोध आप वहां से और हम यहां से कर सकते हैं । लेकिन इसका नतीजा तो बाद में ही दिखायी पड़ेगा । दो दिन के बाद अगर हम तबादला या मुकर्ररी करते हैं तो उसमें क्या हमको नुक्सान होता है या क्या फायदा होता है, अगर हम देर से कदम उठाते तो यह कहा जा सकता था कि आप बड़ी देर कर रहे हैं और हमने जल्दी कदम उठाया तो जल्दी कर दी, तो यह कोई कारण इसका नहीं है । जो आदमी मुनासिब समझा गया उसको वहां बिठाया गया । उसका काम आपके सामने आयेगा, आप उसे देखेंगे । जो शासन यहां चल रहा था, जो विरासत में हमको मिला है, जिसक लिए आप कहते हैं कि शायद इसलिये फैसला नहीं किया कि महीने भर रहना है, मैं कहता हूं एक दिन रहना है, आधा घंटा रहना है, एक पल रहना है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, विश्वास पर ही काम चल सकता है कि जब तक यह सरकार रहेगी तब तक वह नियमों के अन्तर्गत जनता के हित में ही कार्य करेगी, आप नहीं रहने देंगे तो कोई बात नहीं है लेकिन यह कुर्सी पकड़ कर बैठें चाहे वह चरमर करती रहे सिर्फ उसको ढकेलने के लिए हम अपना लेबर फोर्स लगाने नहीं आये हैं ।

जो हमारी नीति है उसको कार्यान्वित करने के लिए हम आये हैं और उसको कार्यान्वित करने में शासन का ढांचा ढकेलने नहीं आये हैं । तो निश्चित ही हमको परिवर्तन करने होंगे बड़े और छोटे अफसरों के और हमको ऐसा करना होगा कि जो बात हम कहें उसका कार्यान्वयन वास्तव में हो । और अगर हम सफल नहीं होते हैं, जनता को अगर हम कुछ कर के नहीं दिखा सकें तो हम बहुत जोर से चिल्ला कर भी अगर कहें तो भी ठुकरा दिये जायेंगे । आप तो हमें हमेशा ठुकरायेंगे क्योंकि हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं लेकिन जो जनता है, जो जज है वह हमें कान पकड़ कर निकाल देगी और उसका निर्णय बदकिस्मती से हमें आप को सभी को स्वीकार करना होगा, हम उसे चाहे या न चाहें । आप ने हमें केवल अभी

७ दिन का ही मौका दिया है और इस छोटे से समय में मैंने अभी तक जो भी कार्य किये हैं वे केवल जनता के हित को ही सामने रखकर किये हैं। माननीय बंशीधर पांडेय जी कह कर चले गये, उन्होंने कहा कि शुगर मिल मालिकों के बारे में राय देते, बात ठीक है हमें उनसे राय लेना चाहिये क्योंकि शुगर मिल मालिकों के स्वभाव और उन के कार्यों के बारे में उनकी मालूमात अधिक होंगी, हमें उन से इस विषय में मालूम करना चाहिये था कि किन किन चोर दरवाजों से सामान निकलेगा, उन को हमें बन्द करना चाहिये था। हमने उन को पकड़ा है और ऐसी तरकीब की है कि अब चोर दरवाजे से भागने का मौका उन को नहीं रह गया है। इतना विश्वास मैं आप को दिला देना चाहता हूं कि जो समुचित प्रबन्ध इस दिशा में हैं वे सब कुछ हो चुके हैं और यह सब आप जब अपने क्षेत्र में जायेंगे तो आप को मालूम हो जायगा। अब कोई ऐसी बात नहीं रह गई है कि उन को फिर मौका मिल जाय, इस संबंध में पक्का निर्णय हो चुका है। हां, कुछ चोर दरवाजे अब भी ऐसे हो सकते हैं जिन के बारे में पांडे जी को या उन के साथियों को मालूम हो क्योंकि उन का ज्यादा रियाज होगा, हमें तो मालूम नहीं कि कोई चोर दरवाजा रह गया होगा जिससे वह भाग निकलें, हमें पता लगेगा तो हम उस को भी देखेंगे और भागने नहीं देंगे।

(एक आवाज—वह तो आप की तरफ ही ज्यादा हैं)

ठीक है अगर हमारी तरफ ज्यादा हैं तो उन से भी पूछ लिया जायगा। ज्यादा उन की जानकारी की जरूरत नहीं है, उनके बारे में जनता की राय आ चुकी है और ज्यादा कहने की जरूरत अब नहीं रह गई है.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठ जायं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि समय का ध्यान रखें और थोड़ा समय लें।

श्री श्रीपति मिश्र—

तो अभी मैं कह रहा था कि अगर कोई चोर दरवाजा रह जायगा तो वह रास्ता भी बन्द किया जायगा।

ला कमीशन की भी बात कही गई है। उसकी नियुक्ति हुई है और वह इस दृष्टिकोण से हुई है कि यहां न्याय देरी में होता है जो जल्दी होना चाहिये इसी दृष्टिकोण से उसकी स्थापना हुई है। जनता को जहां भी दर्द है या तकलीफ है उस तरफ हमारी निगाह गई है और उसकी हर तरह से सहायता के लिए हम ने हाथ बढ़ाया है, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उन से हम कहेंगे कि फिर भी हमारा हाथ कोई ईश्वर का हाथ नहीं है जो हाथ हम जनता की मदद के लिए बढ़ा सकते थे वह हमने बढ़ाया है।

अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और वह यह है कि जिला परिषदों के संबंध में कहा गया, त्रिपाठी जी ने यह कहा कि जिला परिषदें जिन के बारे में चौधरी साहब बार-बार कहते थे कि वहां बड़ा करप्शन है उन को वह क्यों नहीं छूते हैं और क्यों नहीं देखते हैं? त्रिपाठी जी के कहने से ऐसा लगा जैसे ७ दिन पहले हमारी ही सरकार थी और हम ने ही उनका समय बढ़ा दिया था। बढाया जिसने, उसको हम क्या करें। ३१ माच तक आप बढ़ाकर गये हैं। आप जो काम करके गये हैं अगर उसको हम मानें तब मुश्किल और न मानें तब मुश्किल लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि आपके काम को जिसमें भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको पूर्ण रूप से मिटा देंगे और आपके जो अच्छे कार्य होंगे उनका समर्थन करेंगे। हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और स्वच्छ प्रशासन चलाने की कोशिश करेंगे और अपने कार्य सम्पादित करने का प्रयास करेंगे। यह बात कहना कि हम १ महीने तक रहेंगे या १५ दिन रहेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जितने दिन भी शासन में रहेंगे इस ओर

[श्री श्रीपति मिश्र]

प्रयास करत ही रहेंगे । एक कहावत है कि ज्वाला की अग्नि की भांति जलेंगे, भूसी की तरह नहीं सुलगेंगे जिसके जलने से धुंवा हो जाता है।

इन शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के संबंध में माननीय गेंदा सिंह जी द्वारा धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद का जो प्रस्ताव माननीय गेंदा सिंह जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें जो संशोधन माननीय जायसवाल जी ने प्रस्तुत किये हैं, उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

इसके पूर्व कि मैं कुछ कहूं, मैं माननीय गेंदा सिंह और उधर के बैठने वाले सदस्यों की कम से कम इस शिकायत को दूर करना चाहता हूं कि जो अच्छा काम उन्होंने किया है, उनकी किसी ने सराहना नहीं की है ।

उन्होंने उर्वरकों से सेल्सटैक्स उठा लिया, यह अच्छा काम किया है, इसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं । दूसरे जो किसानों को मिलने वाली पास बुकें हैं, उनके दाम ३ रुपये प्रति से घटा कर एक रुपया प्रति कर दिया है, अच्छा काम किया है । इसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और अगर इसमें माननीय गेंदा सिंह या अन्य किसी माननीय सदस्य का भी योगदान रहा हो तो उनको भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत छोटी या मामूली बातें हैं, पास बुक की कीमत १० पैसे से अधिक नहीं हो सकती है। तो अगर माननीय गुप्ता जी ने ३० गुना मुनाफा लिया है तो आपने भी १० गुना लिया है । सेल्सटैक्स जो ३ प्रतिशत उर्वरकों पर से वसूल होता था वह तो आपने समाप्त कर दिया । आज माननीय गेंदा सिंह जी जिस दल के सदस्य हैं, उसी दल की सरकार केंद्र में शासनारूढ़ है यदि इसके लिए वे अपने महान नेताओं को तैयार करें तो उर्वरकों पर जो १० प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है, उसको वापस ले लें । आज कुछ छोटी मोटी रियायतें पाने और न पाने का प्रश्न नहीं है। आज जो मौलिक प्रश्न है वह यह है कि प्रदेश की हुकूमत की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसके उसूल और सिद्धांत जिसके दोस्त और दुश्मन और जिसके प्रोग्राम का कोई ठिकाना नहीं है। मैं चौधरी साहब का प्रशंसक रहा हूं लेकिन मैं उनके कौन से रवैये, कौन से प्रोग्राम की प्रशंसा करूं क्योंकि उनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहा है। मैं उन्हीं की बात कहता हूं। जब वे मुख्य मंत्री नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि "लैंड रेवैन्यू इज ए प्रोग्रैसिव टैक्स ऐन्ड इन ड्यू कोर्स इट शुड बी एबोलिश्ड"। उसकी मैंने प्रशंसा की लेकिन जब वे मुख्य मंत्री बने उन्होंने उसकी शुरुआत भी करने से मना कर दिया । कहा गया कि गुप्ता जी का गला दबवाकर मनवाया गया। वह किसी भी तरह से मनवाया गया लेकिन वे जनता के सामने सहर्ष कहते हैं लेकिन संविद सरकार में चौधरी साहब ने मालगुजारी में रियायत करने के लिए कहा था तो बाद में उससे मुकर गये और कहने लगे कि मुझ पर दबाव डाला गया । एक व्यक्ति है, वह अगर किसी भी परिस्थिति में आकर कुछ बातों को मान लेता है और उस पर चलता है तो मैं उसको ज्यादा अच्छा समझता हूं बनिस्बत उस आदमी के कि जो मानकर अपनी बात से पीछे हट जाय।

श्रीमन्, उसके बाद क्या होता है। माननीय चरण सिंह स्थान-स्थान पर जाकर प्रदेश में यह घोषणा करते हैं कि मालगुजारी माफ नहीं होगी । अगर मालगुजारी वसूल नहीं होगी तो साधनों की कमी हो जायगी और प्रदेश जो पहले से ही पिछड़ा हुआ है आगे और पिछड़ जायेगा। यह सारी बातें गोरखपुर, देवरिया तथा जहा-जहां भी वे गये वहां उन्होंने अपने भाषणों में कही हैं। फिर आज क्या हुआ ? शासन में आते ही उन्होंने ३ १/८ एकड़ तक को क्यों माफ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर दिया? यह भी कहते हैं कि किसी दबाव के कारण नहीं किया। कोई दबाव नहीं पड़ा। अगर दबाव नहीं पड़ा तो किस कारण से वे बदल गये? पहले क्यों उन्होंने कहा था कि मालगुजारी माफ नहीं होगी? उनके ऊपर शासन में आते ही दबाव पड़ा और उसके कारण वे फिर झुके और उनको ३१/८ एकड़ को माफ करना पड़ा।

श्रीमन्, आज सुबह अलाभकर जोत की बात हुई। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी जोत लाभकर या अलाभकर नहीं होती। खेत की स्थिति और जो साधन उपलब्ध होते हैं उससे पता लगता है कि उसकी उपज कैसी है, वह लाभ कर है या नहीं। मैं अमेरिका के एक ऐसे किसान को जानता हूं जिसके पास एक एकड़ ही भूमि है जो करोड़पति है। वह तितलियों की खेती करता है और उसकी एक एक तितली का जोड़ा १० हजार का बिकता है। तो आप अगर इस तरह से काम करायेंगे, खेत की उपज बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे तो कोई जमीन अलाभकर नहीं होगी। समाज और देश की जनता की स्थिति को ध्यान में रख कर ही कोई कानून बनाये जाते हैं। आज जिस स्तर की खेती हमारे यहां हो रही है, जो साधन आज किसान को हमारे यहां उपलब्ध हैं, मैं माननीय गेंदा सिंह जी और शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं माननीय चरण सिंह जी से नहीं क्योंकि उनको तो खेती का कभी अनुभव रहा नहीं, न उन्होंने खेती की है, कि उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ वे कितना मुनाफा समझते हैं? मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में फी एकड़ मुनाफा ज्यादा से ज्यादा २०० रुपये है। इससे ज्यादा अगर सरकार समझती है तो उसके पास उसके आंकड़े होंगे वह बताये। पंजाब जैसे प्रगतिशील प्रदेश में भी जहां की खेती काफी अच्छी समझी जाती है वहां इसकी जांच करायी गयी थी और यह पता चला था कि प्रति एकड़ १०० रुपये मुनाफा आता है। आपका यह दावा है कि ४ एकड़ का किसान लाभकर जोत वाला है। यह कैसे आप ने मान लिया? अब अगर वह लाभकर नहीं है तो मैं माननीय गेंदा सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि उनके मुजफ्फरनगर वाले प्रस्ताव का क्या हुआ?

मान्यवर, किसी भी हालत में मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि फी एकड़ २०० रुपये से ज्यादा मुनाफा नहीं हो सकता। अब अगर एक परिवार में ५ व्यक्ति ही मान लें तो मुश्किल से एक व्यक्ति पर ८ आना रोज पड़ेगा। एक तरफ सरकार यह करती है दूसरी तरफ वही सरकार सामाजिक न्याय की दुहाई देती है। मैं पूछता हूं कौन सा ऐसा दूसरा व्यवसाय है जिसमें ८ आना रोज आमदनी पर टैक्स देना पड़ता हो? आज श्रीमन्, जो यहां बैठे हुये हैं उनमें सामाजिक न्याय करने का साहस नहीं है। आज माननीय गंगा प्रसाद जी ने एक प्रसंग उठाया सामाजिक न्याय के संबंध में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के समय ४० हजार एकड़ जमीन गांव समाज के पास थी जो कायदे से भूमिहीनों को मिलनी चाहिये थी। इन सामाजिक न्याय करने वालों की आंखें बन्द रहीं और उस ४० हजार एकड़ भूमि में से ३० हजार एकड़ भूमि उन्हीं लोगों को मिली जिनके पास पहले से जमीन थी। है आप में साहस सामाजिक न्याय करने का? और आज मिश्रा जी कहते हैं कि हमारी सात दिन की सरकार है आप मुझसे क्यों जवाब चाहते है। मेरा निवेदन है कि आज यह एक राजनैतिक कला हो गई है कि लोग अपना नाम और वेषभूषा बदल लेते हैं और दूसरा नाम रखकर जनता के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं जनता का असली सेवक बन गया हूं।

जब से देश स्वतंत्र हुआ उस समय से लेकर आज तक २२ वर्ष व्यतीत हुए हैं और इन २२ वर्षों के अन्दर सिर्फ २ वर्ष चौधरी साहब मंत्रिमंडल से बाहर रहे, तो क्या वह पूरी तरह से उस सामाजिक अन्याय और धांधली के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, जो इस प्रदेश में होता रहा? क्या वह इस प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? उनको कुछ भी गलत और अनुचित नहीं दिखाई दिया जब तक जनसंघ, संसोपा आदि तमाम पार्टियों ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन जब एक अप्रैल के दिन उनका इन पार्टियों के साथ, गठबंधन तय हो गया तो उनको उस पार्टी में अपनी पार्टी में सारी बुराई दिखाई देने लगी। चौधरी साहब जब मुख्य मंत्री

श्री भानुप्रताप सिंह—

नहीं थे तब उनको जनहित का ख्याल था, कुर्सी का ख्याल नहीं था। लेकिन कुर्सी मिलते ही मामला उलट गया और जनहित उनकी आंखों से बहुत ओझल हो गया। चौधरी साहब ने अपनी पुस्तक "इंडियाज पावर्टी ऐंड इट्स सालूशन" के पृष्ठ १८२ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है जिसका मैं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद पढ़े देता हूं। "भूमि वितरण के सिद्धांत को स्वीकार करने में दो खतरे हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से ऐसा करना कितना भी वांछनीय क्यों न हो प्रथम तो यह कि इसको स्वीकार करने में भूमि के लिए भूख न केवल खेतिहर मजदूरों में, बल्कि दूसरे लोगों में भी, जिनसे खेती से कोई संबंध नहीं है, जाग उठेगी। दूसरे इसके फलस्वरूप जिस वर्ग-संघर्ष को प्रोत्साहन मिलेगा, उससे विभिन्न राजनैतिक दलों में इस बात की होड़ लग जायगी कि कौन कितनी नीची जोत की सीमा निश्चित करता है और इस सब का लाभ केवल कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगा, जो सामूहिक खेती स्थापित करना चाहती है।" और अन्त में निष्कर्ष रूप में उसमें लिखा है—"किसी भी दृष्टि से भूमि वितरण के प्रश्न पर विचार किया जाय, पूरे देश की दृष्टि में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि न तो अब तक इसके द्वारा देश की आर्थिक दशा में सुधार हुआ है, न किसी समस्या का समाधान हुआ है और न भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना है।"

यह मैं अपनी राय नहीं कहता हूं यह चौधरी साहब की किताब में उनका विचार लिपिबद्ध है। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं किसकी प्रशंसा करूं। आते ही उन्होंने कहा ३० एकड़ तक की हदबन्दी कर देंगे, तो वह जनहित में था या आज की बात जनहित में है, यह मैं उनसे स्पष्ट जानना चाहता हूं? भूमि की सीमा गिराना जबकि शहर की दूसरी आमदनी को उसी स्तर तक न गिराया जांये, देश के लिए पूरी तरह अहितकर ही होगा। यह सामाजिक न्याय नहीं सामाजिक अन्याय है। मैं मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं जो उस आमदनी से ज्यादा वेतन के रूप में पाते हैं, जो रकम यह बड़े से बड़े किसान के लिए निश्चित करने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा यह स्वयं पाते हैं। यह बड़ी रकम उन्होंन अपने लिये रख ली है। मैं समझता हूं कि मंत्रियों को एक हजार रुपया तनख्वाह मिलती होगी। क्या ३० एकड़ वाला किसान कभी भी १० हजार रुपया कमा सकता है, मुनाफा निकाल सकता है? गांधी जी का नाम लेने वाले अपने लिये उससे ऊंची सीमा रखें यह कहां तक उचित है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको एक ही आंख से दिखाई देता है, दूसरी आंख से नहीं दिखाई देता? इंदिरा गांधी ने कहा था कि शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधी जायेगी। लेकिन क्या निकला? चुहिया निकली। उन्होंने क्या किया? सिर्फ यह किया कि ५ लाख तक की शहरी सम्पत्ति पर पांच परसेंट और १० लाख तक की पर साढ़े सात परसेंट का टैक्स बांधा। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर आज कोई सीमा समान रूप से शहरी और ग्रामीण सम्पत्ति पर लगाई जाती है तो मैं किसानों की तरफ से आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप में साहस नहीं है कि आप शहर वालों को छू सकें। आप बारम्बार गांव वालों की गर्दन पर छुरी चलाना जानते हैं।

तीस एकड़ का मैं बता दूं, यद्यपि यह निजी बात है, मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, चौधरी साहब की सीलिंग का। लेकिन साथ ही मैं कहता हूं चौधरी साहब की सही राय इस किताब में लिखी है। अब वोटों के लालच में यह बात कही गई है। श्रीमन्, यह तो कार्यक्रम के विषय में हुआ। अब मैं चौधरी साहब के सार्वजनिक जीवन के विषय में कहना चाहता हूं। जिस समय डाक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर प्रेसीडेंट का चुनाव होने वाला था, विभिन्न पार्टियों ने बैठ कर दिल्ली में सुझाव दिया, उसमें स्वतन्त्र पार्टी के लोग थे, जनसंघ के लोग थे, भारतीय क्रान्ति दल के चौधरी साहब मौजूद थे। सबने यह सुझाव दिया कि डाक्टर चिन्तामणि देशमुख को यह पार्टियां खड़ा करें। उनके उस सुझाव को सबने मान लिया। मानने के बाद उनको खड़ा कर दिया। उसके बाद माननीय चौधरी चरणसिंह ने वही किया

जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। उनके दिल में भी अन्तरात्मा जाग उठी थी, और चौधरी साहब की भी अन्तरात्मा जाग उठी। सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता, उसके भीतर ऐसा आचरण, अपनी बात कह कर हट जाना, अपने शब्दों से हट जाना। मैं तो कहता हूं कि आज इस प्रदेश में यदि किसी कम्युनिस्ट की सरकार कायम हो जाय तो मैं उसको बेहतर समझूंगा, क्योंकि इस प्रदेश की जनता समझ जायगी कि वह कहां खड़ी है। अपनी वास्तविक स्थिति उसको स्पष्ट हो जायगी। लेकिन चौधरी साहब के राज्य में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। (व्यवधान) मैं हर ईमानदार आदमी की चाहे उसकी राय गलत हो या सही इज्जत करता हूं बनिस्बत ऐसे आदमी के जो बराबर अपनी राय को बदलता चला जाय। मैं भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों से कहता हूं कि आप कब तक अपने नेता के साथ दाहिने और बायें, बायें और दाहिने करते रहेंगे। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष---

(श्री हरनरायन के खड़े हो कर कुछ कहने पर) आर्डर, आर्डर। आप अनावश्यक ढंग से खड़े हो कर ऐसी बात न करें। इस तरह से न करें। आप बैठें। आप निर्णय नहीं करेंगे, मैं निर्णय करूंगा। आप बार-बार खड़े हो जाते हैं और दूसरे को रोकते हैं। व्यवस्था मैं रखूंगा, आप बैठिये। आप बैठ जाइये।

श्री हरनरायन---

संभल कर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि बार-बार खड़े हो कर दूसरे को व्यवधान न करें। उस हालत में दूसरा भी खड़ा होगा। कोई खड़ा हो कर निर्णय देने का दुस्साहस न करे। यह काम आपने मुझे सौंपा है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

मैं दूसरा उदाहरण देता हूं चौधरी साहब के सार्वजनकि जीवन का। उन्होंने घोषणा की, समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ कि इंडिकेट और बी०के०डी०, इंदिरा गांधी और बी० के० डी० के नेता के बीच में जो निर्णय होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। जब मौका आया तो चौधरी साहब खिसक गये। बोले यह तो मेरी व्यक्तिगत बात थी। मेरी पार्टी ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। मैं पूछता हूं, या तो नेता कमिटमेंट को अपने दल वालों से पूछ कर करें या फिर अगर वह कमिटमेंट कर देता है तो फिर वह अपने अनुयायियों से उसको मनवाये। एक दिन कोई घोषणा, दूसरे दिन कोई बात। वास्तव में बात तो यह है कि कुछ लोगों का इस प्रदेश की राजनीति में वैस्टेड इन्टरेस्ट हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण में भी उसका चर्चा है। आज मैं यह कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा वेस्टेड इन्टरेस्ट हमारे प्रदेश में मुख्य मन्त्री का और दिल्ली में प्रधान मन्त्री इन्दिरा गान्धी का है उससे बड़ा और कोई वेस्टेड इन्टरेस्ट नहीं है। यह बड़े ही दुख की बात है और बड़े खतरे की बात है। यह दोनों व्यक्ति आज एक हो गये हैं। इस तरह का वेस्टेड इन्टरेस्ट किसी भी जनतन्त्र के लिये.....

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य इस सदन में नहीं है उसके बारे में टीका-टिप्पणी करना क्या उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था यह है कि अगर प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री के बारे में कोई चर्चा होती है तो साफ है कि नीति का ही वह मामला है। अगर वह किसी व्यक्ति का नाम लेंगे तो मैं टोकूंगा।

श्री हरनरायन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि चौधरी चरण सिंह के पीछे आप लोग इस तरह से कब तक चलते रहेंगे तो यह हमारी पार्टी की नीति है । क्या वह इस तरह से आक्षेप करने के अधिकारी है ?

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि श्रीमती इन्दिरा गान्धी न तो इस सदन की सदस्य हैं और न वह यहां मौजूद हैं। अभी आपने यह व्यवस्था दी कि प्रधान मन्त्री की नीति के सम्बन्ध में चर्चा सदन ही सकती है कि माननीय सदस्य ने जो यहां पर विवेचना की और आलोचना की है वह श्रीमती इन्दिरा गान्धी की नीति की नहीं है बल्कि उन्होंने कहा है कि सब से बड़ा वेस्टेड इन्टरेस्ट श्रीमती इन्दिरा गान्धी का यही है । तो यह व्यक्तिगत आलोचना है जो इस सदन में नहीं हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)--

मेरा यह चार्ज है कि इन्दिरा गान्धी की कोई नीति नहीं है । उन्होंने अपने प्रधान मन्त्री पद को बचाने के लिये यह सारा षड़यन्त्र रचा है । प्रधान मन्त्री की यदि मैं आलोचना करता हूं तो उनकी नीतियों की कमी की ही आलोचना करता हूं । उन्होंने केवल पद की लिप्सा में ही आज इस देश की विचारधारा को विभाजित कर दिया है । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लोगों को सच्ची बात सुनना अच्छा नहीं लगता है लेकिन केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की सरकार, जिनका राजनीति में वेस्टेड इन्टरेस्ट हो गया है, चलने देना इस देश और प्रदेश के हित में नहीं है और प्रजातन्त्र के हित में नहीं है । इसलिये मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जो इधर से रखा गया है ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

उपाध्यक्ष महोदय, समय की महान् यात्रा में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक मील सूचक पत्थर की तरह से हमारी व्यवस्था क्रम के सूचक चिन्ह के रूप में हमारे सामने आता है । श्रीमन्, अगर हम इस सदन में इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को एक योजनाबद्ध कार्यक्रम के रूप में समझें या कोई २० वर्षीय, १० वर्षीय, पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के रूप में समझें तो विधान के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण की जो महत्ता है वह सही रूप में हमारे सामने नहीं आती । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अर्थ यह है कि आने वाले सत्र में, आने वाले अधिवेशन में कौन-कौन विधायी कार्य हमारे सदन के सन्मुख आने वाला है और उन विधायी कार्यों में कौन-कौन नीति का कार्य हमारे सामने आने वाला है । मैं आपसे नम्रता-पूर्वक यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इसी दृष्टिकोण से इस अभिभाषण को देखें और सदन से यही दृष्टिकोण इस अभिभाषण को नापने का रहा है । सरकारें आती और जाती हैं । योजनायें, कार्यक्रम और विधान के अनुसार विधिवत् कानून बनते हैं वे अपनी जगह कायम बने रहते हैं । राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसार जो मुख्य कानून आने वाले हैं वे वही कानून हैं जिनको पुरानी सरकार ने यहां पर प्रस्तुत किया था । सारे अध्यादेश कार्य-सूची में वही हैं और जिनका राज्यपाल के अभिभाषण में संकेत है, जिनका सत्यापन पिछली सरकार द्वारा हुआ था । जो पूरक बजट आ रहा है वह भी वही है जो पिछली सरकार ने प्रस्तुत कया था । इस प्रकार बीमारी वही है लेकिन डाक्टर बदल गया है । अब अगर बीमारी वही है, दवा भी वही होती है लेकिन राजनीतिक विरोध के कारण आप आज उस दवा का विरोध कर रहे हैं । आप अगर डाक्टर होते तो वही दवा प्रेस्क्राइब करते ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं नेता, विरोधी दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो मुख्य संशोधन पेश किया है वह केवल एक विषय पर किया है सवा ६ एकड़ के लगान माफी पर। इसका अर्थ यह है कि बाकी विषय जो राज्यपाल के अभिभाषण में हैं उन सबके लिये वह धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थक हैं। जहां तक सवा ६ एकड़ का प्रश्न है यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है लेकिन हम सबको यह देखना होगा कि इसका स्वरूप आखिर क्या है जिस पर कि हम इतना बल दे रहे हैं ? हमें देखना होगा कि कितने प्रदेश हैं, किस दल की सरकारें वहां हैं जिन्होंने सवा ६ एकड़ के लगान को माफ किया है। मैसूर, गुजरात राज्यों में क्या सवा ६ एकड़ पर लगान माफी किया गया है ? उड़ीसा में जहां स्वतन्त्र पार्टी का शासन है वहां क्या स्थिति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

मैं स्पष्टीकरण के तौर पर बतला दूं कि वहां सम्पूर्ण मालगुजारी ही खत्म कर दी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरे मित्र कुछ ज्यादा आवेश में आ गये, मैं खुद वही बतलाने जा रहा था। मैं यह जानना चाहता था क्या अलाभकर जोतों पर से वहां भूमिकर समाप्त कर दिया गया ? उत्तर प्रदेश की सरकार सम्पूर्ण राजस्व समाप्त कर सकती है लेकिन जितनी अलाभकर जोतें हैं उन पर एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स अथवा सेस लगे या नहीं लगे, यह प्रश्न हमारे सामने आता है ? और अगर ऐसा किया जाता है यहां तो कितने और राज्यों में इस प्रकार किया गया है ?

दिल्ली में जनसंघ का शासन है।

(व्यवधान)

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

जब आप हमारी पार्टी में थे तो आपने इसी मसले पर हम लोगों को जेल भिजवाया था और गेंदासिंह जी तथा आप सवा छै एकड़ वाली बात कहते थे। लेकिन आज आप गद्दी के लालच में इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं अपने मित्र का सम्मान करता हूं। अलाभकर जोतों का मैं हामी हूं और मेरा सारा दल इसका हामी है कि अलाभकर जोतों में किसान को राहत मिलनी चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है। (व्यवधान)

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं नेता, विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पेश किया है वह उनकी मंशा के विरुद्ध है। मैं अभी इसको स्पष्ट करूंगा। संशोधन का प्रस्ताव यह है कि "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सवा छै एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से मालगुजारी खत्म करने के अध्यादेश को तुरन्त अधिनियम बनाने का उल्लेख नहीं किया।" यह अध्यादेश सदन की मेज पर है। यह बड़ी जल्दी में बनाया गया है, इसके विश्लेषण करने की आज्ञा दें। जो माननीय सदस्य चाहते हैं उस सारी व्यवस्था के विपरीत यह अध्यादेश बना हुआ है। अगर यह मंजूर कर लिया गया और अधिनियम बन गया तो यह आप लोगों की मंशा के विपरीत होगा।

जमींदारी उन्मूलन की धारा २४१, २४२ को यह अध्यादेश संशोधित नहीं करता है। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में मालगुजारी को एक व्यक्ति पर सीमित नहीं माना गया है बल्कि जैसे कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसीबिलिटी होती है उसी तरह से मालगुजारी की भी कर दी गई है। इसमें संशोधन नहीं किया गया है इसलिये जब तक इस अध्यादेश में संशोधन नहीं होता है तब तक यह बेइमानी हो जाती है। इसके अलावा एक और विरोधाभास इसमें है कि परिवार की जो परिभाषा अध्यादेश में की गई है वह जमींदारी उन्मूलन विधेयक की धारा २५४ की

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

परिवार की परिभाषा से बिल्कुल भिन्न है । इसमें बालिग को परिवार मेम्बर नहीं माना गया है । लेकिन अध्यादेश वाली परिभाषा में मान लिया गया है । इस तरह से जोतों में परिवार की दो परिभाषायें नहीं चल सकती हैं । इसलिये अगर यह मंजूर हो गया तो किसानों का बड़ा अहित होगा । इसमें लिखा गया है कि सारे उत्तर प्रदेश में किसी कृषक के पास सवा छै एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये । इसके लिये लम्बी-चौड़ी प्रोसीडिंग्स रखी गई हैं । एक प्राधिकारी नियुक्त किया जायेगा । वह तय करेगा कि छूट का हकदार है या नहीं । अब, श्रीमन्, आप अन्दाजा लगायें, एक करोड़ जोत का सवाल है । बन्दोबस्त की तरह से हर एक किसान को यह साबित करना होगा कि उत्तर प्रदेश भर में उसकी और कोई जोत नहीं है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सवा छै एकड़ से अधिक नहीं है । यह भी किसान के ऊपर एक बोझा डाला जा रहा है कि वह प्राधिकारी के सामने यह साबित करे कि सवा छः एकड़ से अधिक उसकी जमीन है या नहीं ।

(श्री चेतराम गंगवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

जब तक तिवारी जी नहीं बैठते मैं आपको समय नहीं दे सकता ।

श्री चेतराम गंगवार---

(श्री नारायण दत्त तिवारी के बैठने पर) श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण यह देना चाहता हूं कि अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि कई वर्ष लग जायेंगे इस बात का पता लगाने में कि किस किसान की उत्तर प्रदेश भर में कितनी जोत है । लेकिन ऐसा नहीं है । किसान केवल एक ऐफीडेविट देगा और प्राधिकारी उसको मान लेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अभी मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि कितना बड़ा अधिकार यह अध्यादेश इस सदन का छीन रहा है । आर्डिनेंस की धारा ३ आप देखिये, कितनी बड़ी नीति का विषय इसमें निहित है । पहली बात यह है कि अगर कोई सीरदार भूमिधर बन जाता था तो उसके लिये यह था कि ४० साल तक उसका लगान नहीं बढ़ेगा । लेकिन श्रीमन्, इस अध्यादेश के द्वारा, जिसका बहुत बहुत डंका पीटा जा रहा है, यह लिखा हुआ है कि लगान ४० साल के बजाय २० साल के बाद ही बढ़ा दिया जायगा । अगर कोई ५०-५१ में भूमिधर बना है तो ७०-७१ में उसका लगान बढ़ा दिया जायगा । अतः यह किसानों पर लगान बढ़ाये जाने वाला आर्डिनेंस है । वैसे तो इसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि सवा छै एकड़ तक की किसानों को छूट दी जा रही है लेकिन यह एक प्रकार से किसानों की मौत ही है । उसमें यह भी कहा गया है कि सेटिलमेंट आपरेशन जो ४० साल के बाद होने थे वह २० साल के बाद ही हो जायेंगे । सेटिलमेंट के विषय में जो धारा २६४ थी उसमें यह दिया हुआ है कि".....मालगुजारी उपज की बचत का ऐसा प्रतिशत होगा जो राज्य सरकार की सिफारिशों पर विचार करके उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पास किये हुये प्रस्ताव से निश्चित की गयी हो ।" इसके द्वारा जो सेटिलमेंट किसानों के लिये होगा और उसमें जो लगान बढ़ाया जायगा, उसके लिये यह बताया गया है कि लगान किस फारमूले से बढ़ाया जायगा, इस बात को सदन निश्चित करेगा । वह सदन द्वारा निश्चित किये हुये फार्मूले के अनुसार बढ़ेगा । लेकिन इस आर्डिनेंस में विधान मंडल द्वारा पास किये हुये प्रस्ताव से निश्चित की जायगी" ये शब्द निकाल दिये गये है और उसकी जगह पर शब्द रख दिये गये है---"ऐसी उपज की बचत के पांचवें भाग के बराबर होगी" । यह प्रिन्सिपिल इस आर्डिनेंस में ले डाउन किया गया है ।

उपज में से पांचवा भाग लेने के लिये रखा गया है और उस पर भी आप इस अध्यादेश का इतना डंका पीट रहे हैं । मैं मित्रों से आग्रह करूंगा कि केवल माननीय प्रधान मन्त्री के विरोध

के कारण इतना बड़ा जो सदन का अधिकार है वह छिन रहा है और आने वाले लगान के लिये उपज का पांचवां भाग निर्णीत कर रहे हैं । यह ठीक नहीं हैं और इस पर आप पुनर्विचार करें और जिस संशोधन को रख रहे हैं वह कितना किसान विरोधी आर्डीनेन्स है, यह सोचकर उसको संशोधित करेंगे । श्रीमन, राज्यपाल के अभिभाषण के समय इस सरकार को गठित हुये केवल, ९, १० दिन हुये थे लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं कि उसने जो सारे देश में एक लहर समाजवाद की चल रही है और जो समाजवाद की दिशा देश ने ग्रहण की है उसके अनुकूल कार्य किया है ।

श्रीमन्, हमारे बहुत से मित्रों को प्रधान मंत्री से नीति का विरोध हो सकता है लेकिन क्या यह सही नहीं है कि पिछले एक वर्ष में देश ने समाजवाद की दिशा ग्रहण की है । सारे दल, सारी सरकारें और पार्टीज को बामपंथी होना पड़ा है । प्रजातान्त्रिक समाजवाद में सारा देश आगे बढ़ रहा है । दक्षिणपंथी पार्टीज पश्चिम पन्थियों की ओर जा रही हैं । जो पार्टीज बैंक राष्ट्रीयकरण का विरोध करती थीं आज उसके पक्ष में हैं । वह पार्टीज जो प्रिवी पर्स बने रहने के पक्ष में थीं आज उसके खतम करने की बात कर रही हैं यह सरकार बधाई की पात्र है कि उसने अभिभाषण में समाजवाद की ओर कदम उठाया है । मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण क्या समाजवादी कदम नहीं है ? हमेशा यह कहा गया है कि उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करके समाजीकरण करें । यह चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में एक अभिशाप रही हैं । अगर इससे मुक्त करने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है तो उसका स्वागत होना चाहिये । तो सरकार समाजवादी दिशा में बढ़ रही है । गल्तियां हो सकतीं हैं, उनको हम दूर करेंगे । अभिभाषण में कहा गया है कि माननीय सदस्य जो भी सुझाव देंगे उनको हम स्वीकार करेंगे । यह सारे सदन की सरकार है इसलिये इसको दलगत रूप में देखना उचित नहीं है । इसलिये मेरा आप सभी से आग्रह है कि हम दत्त चित होकर इस अभिभाषण की जो गुत्थियां हैं उनको समझने का कष्ट करें और इस धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार करें और जो संशोधन दिया गया है मुझे विश्वास है कि विरोधी दल समाजवादी विचारों के कारण इस अध्यादेश का अध्ययन करेगा और यह देखकर कि यह कितना किसान विरोधी है इसको वापस ले लेगा, क्योंकि इसमें उपज का पांचवां भाग लगान के रूप में लिया जाने वाला है ।

कई सदस्य—

इसमें बचत का पांचवां भाग है ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरख र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जायसवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुई उस समय जब मैंने धन्यवाद का प्रस्ताव और समर्थन का प्रस्ताव दोनों में ही उन नामों को देखा जिनका सम्बन्ध समाजवादी विचारों से रहा है । और श्रीमन्, समर्थक माननीय सदस्य के भाषण से तो मुझे कुछ आशा बंधी थी कि उस पक्ष में बैठने के बावजूद भी उन्होंने कुछ नीतिगत सुझाव की बातों पर चर्चा करने का प्रयास किया है लेकिन अभी माननीय सदस्य नैनीताल और माननीय सदस्य देवरिया जो इसके प्रस्तावक हैं इन लोगों की बातों से मुझे बेहद निराशा हुई ।

श्रीमन्, आप यह देखें कि एक कदम ऐसा था, आप को याद होगा जब इस सदन ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था तो चारों तरफ किसानों में एक लहर फैली और उस लहर से गांव के छोटे किसानों में, गांव के दबे हुये और पिछड़े वर्ग के अन्दर एक प्रेरणा पैदा हुयी कि यह सरकार या यह विधान सभा कुछ उस के लाभ की दिशा में सोचने के लिये तैयार है । लेकिन जब उसके पल्ले वह अध्याय पड़ा जिसके अनुसार तत्कालीन मंत्री ने जो कि आज मुख्य मन्त्री हैं, उस समय उसी दल में बैठते थे जो कि शासक दल था, उस समय भी

[श्री कल्प नाथ सिंह]

जो जमींदारी उन्मूलन की नीति निर्धारित हुई उन नीतियों के आधार पर ही यह सवा छः एकड़ लगान की माफी उसी समय की गयी होती तो सम्भवतः जमींदारी उन्मूलन का पूरा प्रकरण समाप्त हो गया होता। मैं यह इसलिये कहता हूं कि तर्क यह दिया जाता था कि पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग २२ करोड़ रुपया किसानों से जमींदार वसूल करते हैं और केवल ७ करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करते हैं। कहा जाता था कि जमींदार लोग बाकी रुपया खा जाते हैं, इनके पेट में जाता है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि आप देखें कि जो पैसा जमींदार वसूल करते थे वह सरकार वसूल करने लगी। इस तरह से जब सरकार ने स्वयं पैसा वसूल करना शुरू किया तो आखिर उन लोगों को राहत देने में इनको क्या कठिनाई है? इस सिद्धांत को मान लेने में क्या कठिनाई है? वे लोग जो उत्पीड़ित थे, जिन लोगों को सीधे-सीधे एक वक्त रोटी भी मुश्रस्सर होना मुश्किल हो गया हो उनके ऊपर भी लगान का बोझ बने रहना किस बात का द्योतक था।

दूसरा तर्क दिया जाता है आयकर का जिसकी चर्चा माननीय तिवारी जी ने की। मैंने कल अखबार में देखा है कि केन्द्रीय सरकार ने ५ हजार तक की आय पर आय कर की छूट दे दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अलाभकर जोतों पर से लगान माफ करने की बात कही जाती है तो उसी नीति के आधार पर उसको क्यों नहीं मान लिया जाता? अगर सवा ६ एकड़ लगान माफी की बात हमने कह दी या किसी दूसरे ने कह दी और इस वजह से आपको चिढ़ है तो आप अपनी तरफ से उसमें संशोधन लाकर उसमें एक डिसमिल और बढ़ा दें या एक डिसमिल और घटा दें तो हमें कोई एतराज नहीं है। मगर मैं जानता हूं कि जो लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और जो ३ १/८ कहते हैं वे वास्तव में लगान माफी नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह साधारण नीति व मान्यताओं के विरुद्ध है। आचार्य नरेन्द्र देव की रहनुमाई में इस प्रदेश के उन लोगों ने कुछ सीखा, श्री जयप्रकाश नारायण और डाक्टर राम मनोहर लोहिया की रहनुमाई में जिन लोगों ने समाजवाद की दुन्दुभी बजायी...

श्री अध्यक्ष—

अब आप साढ़े ४ बजे के बाद जारी रखें।

जिला प्रतापगढ़ के थाना कन्धई की हवालात में एक अबला नारी के साथ बलात्कार तथा झुलसे और उपल वृष्टि से खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

यह ध्यान आकृष्ट करने वाले जो प्रस्ताव हैं वे ये हैं जिनमें से मैंने श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्री राम देव दूबे, श्री तेजभान सिंह तथा श्री राजित राम पाण्डे का यह प्रस्ताव कि प्रतापगढ़ के थाना कन्धई की हवालात में एक अबला के साथ बलात्कार किया गया, उसको मैंने स्वीकार किया है। इस पर माननीय मुख्य मन्त्री १२ मार्च को वक्तव्य देंगे। इस बीच में हमारे पास और भी प्रस्ताव आ चुके हैं। श्री शम्भू नाथ चौधरी का झुलसे के रोग एवं उपल-वृष्टि के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में बढ़ोत्तरी। इस पर माननीय खाद्य मंत्री जी ११ मार्च, १९७० को वक्तव्य देंगे।

एक सदस्य—

वहां के थाने का दरोगा उसको धमका रहा है कि तुम अपना बयान बदल दो। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि वे कोई आदेश भिजवा दें जिससे वह उसको परेशान न करें।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझको इसकी सूचना दे दें मैं उसको मुख्य मन्त्री जी के पास भिजवा दूंगा।

इलाहाबाद में उपल वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री राम गोपाल संड तथा श्री भगवत दयाल का यह प्रस्ताव कि इलाहाबाद में उपल-वृष्टि से फसल को हानि तथा झांसी जिले में ललितपुर तहसील में उपल वृष्टि से फसल को हानि। श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा का जो प्रस्ताव मैंने स्वीकार किया है और जो आज लिया जायगा उसी में यह आ जायगा। यह सूचना सम्बन्धित मंत्री जी को दे दी गई है। श्री भगवत दयाल जी का भी प्रस्ताव कि झांसी जिले की ललितपुर तहसील में उपल वृष्टि से फसल को हानि, इसको भी इसी में शामिल कर लिया जायगा।

आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री गोविन्द सिंह नेगी का कि आयुर्वेद कालेज के छात्रों द्वारा हड़ताल, इस विषय पर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री १० मार्च को वक्तव्य देंगे। इस सूचना को उसमें सम्मिलित कर दिया जायगा।

जिन-जिन सदस्यों ने इन प्रस्तावों को दिया है उनके नाम उसमें आ जायेंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

शेष सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया है और वे इस प्रकार हैं। श्री राम बचन यादव का तीन से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को शिक्षा, आदि में सुविधा न मिलना। श्री हरिवंश सहाय तथा श्री रामधारी शास्त्री कि देवरिया जिले में नक्सलपंथी कम्युनिस्टों द्वारा पुलिस को धमकी तथा देवरिया स्टेशन पर गांधी प्रदर्शनी ट्रेन के देखने वालों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज। श्री निहाल सिंह तथा श्री अमर नाथ दूबे का वाराणसी जिले में नक्सलपंथी कम्यु-निस्टों द्वारा पुलिस को धमकी।

ये प्रश्न अविलम्ब महत्व के प्रश्न नहीं हैं और मैं एक ही रोज इनके लिये स्वीकार करता। इनका थोड़ा सा महत्व हो भी सकता है लेकिन उनको मैं स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि अभी १३ तारीख तक यह काम चलेगा और इस समय जितना एकमोडेट हो सकता है वह आ गया है।

एक सदस्य—

मैंने भी अखबारों में पढ़ा और जगह-जगह पर बनारस युनिवर्सिटी में, इन लोगों के द्वारा यह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप लोग इसके बारे में कुछ और कहना चाहते हैं तो आप लोग १० बजे मेरे कमरे में आ जायें मैं सुन लूंगा।

कई सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष—

इनकी बात तो हो जाने दो।

(व्यवधान)

श्री रामबचन यादव (जिला आगमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, अखबार में पढ़ कर मालूम हुआ है कि गरीबों और दीनों पर नये प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं। यह कहा गया है कि जो परिवार नियोजन नहीं करायेगा उसे सुविधाएं नहीं दी जायेंगी। शिक्षा संबंधी सुविधाओं के विषय में मैं कहना चाहत हूं कि अगर कोई परिवार नियोजन नहीं भी कराता है तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। अगर वह नियम लागू किया ही जाता है तो सब पर लागू होना चाहिये। अगर केवल यह नियम गरीबों और दीनों पर ही है तो उन पर यह बड़ा कुठाराघात होगा। जिस व्यक्ति के भी ३ बच्चों से अधिक हों उन पर यह नियम लागू होना चाहिए। हम समाजवाद, समाजवाद चिल्लाते हैं, मगर यह नकली समाजवाद है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आपने कह लिया।

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

देवरिया रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने रास्ता बन्द कर दिया। पुलिस ने वहां लाठी चार्ज कर दिया और वहां दर्जनों आदमी घायल हैं। कुछ रेलवे के कर्मचारी भी घायल हैं। वहां पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। इसके विषय में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। वहां पर गांधी जी की प्रदर्शनी देखने के लिये लोग गए हुए थे। वहां पर स्थानीय पुलिस की ओर से पी० ए० सी० को बुला लिया गया। वहां पर ३ टिकट क्लेंक्टर्स भी घायल हैं। जनता में घोर क्षोभ है।

एक सदस्य—

इलाहाबाद जिले के २०० गांवों में लगान की मुअत्तली के आदेश हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि सम्पूर्ण जिले के लिये ये आदेश होने चाहिये क्योंकि वहां पर एक-एक दाने के लाले पड़ गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस पर ५ बजे विचार होगा। उसी समय आप कहियेगा। अब समय समाप्त हो गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

पूरे प्रदेश में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विषय में परिवार नियोजन को जोड़ दिया गया है। हर जिले के अधिकारियों को ये आदेश दे दिये गये हैं कि जिस व्यक्ति के ३ बच्चों से अधिक हों उनकी शिक्षा की सुविधा में कमी की जाये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये आदेश Directive Principles of the State Policy के कतई विरुद्ध हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखते हुये मौजूदा सेरकार से अपनी तरफ से कहें और उनका ध्यान आकर्षित करें कि ऐसे आदेशों का जारी करना डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स आफ दि स्टेट पालिसी के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष—

आप और दो-चार आदमी इसको लिख कर दे दें तो मैं उनके पास भेज दूंगा।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं। १६ फरवरी, १९७० को महाराजगंज, जिला आजमगढ़ में एक विद्यालय के अध्यापक अनशन कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने आप के पास नोटिस भी दी थी, मगर उसका कोई जिक्र नहीं है। वे लोग विद्यालय के कार्यालय के सामने अनशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न किस विषय से संबंधित था--उनकी क्या मांग है ?

एक सदस्य--

साल भर से उनका वेतन नहीं मिला है। इसका मैंने आप के पास नोटिस भी भेजा है।

श्री अध्यक्ष --

एक अध्यापक की ?

एक सदस्य--

नहीं, पूरे अध्यापक कर रहे हैं आजमगढ़ के।

श्री अध्यक्ष--

उसके बारे में आप लिखेंगे तो वक्तव्य दिलवा दूंगा। यह नियम ५१ के अन्तर्गत नहीं आ सकता क्योंकि १३ तक एक-एक का समय निर्धारित हो गया है। अगर आप चाहेंगे तो शिक्षा मंत्री कभी वक्तव्य दे देंगे।

मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच खोलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक शाखा मुख्य मन्त्री महोदय अपने घर मेरठ में खोलना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में सन् १९५६ की ल कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें श्री शीतलवाड, श्री छागला, श्री बांछू, श्री के० एम० दास, श्री राजू, श्री पाठक और श्री जोशी थे। इन्होंने रिपोर्ट दी है कि किसी भी प्रान्त में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए उसकी शाखा नहीं खुलनी चाहिए। मुख्य मन्त्री जी जो बंटवारा कर रहे हैं, पूरब पश्चिम का फर्क डाल रहे हैं, विशाल हरियाना की तरह उत्तर प्रदेश को भी विभाजित करना चाहते हैं तो यह जो चौधरी साहब की प्रवृत्ति है उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुःख है कि आप समय नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

अगर इस रिपोर्ट की कापी मुझे भेज देंगे तो मैं मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मुख्य मन्त्री जी तो स्वार्थ का चश्मा लगाये हैं, वे थोड़े ही सुनेंगे। मैं रिपोर्ट भेज रहा हूं, आप उसे पढ़ कर सदन में चर्चा के लिये समय दें।

श्री अध्यक्ष--

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, तो आप कह सकते हैं।

*श्री राजितराम पांडेय--

हाई कोर्ट का सवाल बहुत महत्व है। मैं तो मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वहां इलाहाबाद में जो गंगा जमुना का संगम है उसे भी ले जायं। श्रीमन्, हाई कोर्ट का मसला मामूली मसला नहीं है। आप देखें कि न्यायालय जहां बना हुआ है वहां कितने जज रहते हैं। मुख्य मन्त्री का उद्देश्य है कि हरियाना की तरह डिवाइड करें पूरे प्रदेश को, न्यायालय को इलाहाबाद से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजितराम पांडेय]

उठाकर मेरठ में ले जायं तो भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा जरिया होगा। इसको मुख्य मंत्री पर न टालें। आप सदन के मालिक हैं। आप उस कुर्सी पर हैं जिस पर टंडन जी जैसे लोग बैठे हैं। इसलिये आप समय दें चर्चा करने का। यह इलाहाबाद का ही मसला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश का मसला है। कमलापति जी भी मौजूद हैं, चरण सिंह जी भी मौजूद हैं। चरणसिंह जी के यहां हाई कोर्ट बनती है तो कमलापति जी के यहां बन जाय और प्रान्त का बंटवारा हो जाय। तो श्रीमन्, यह बात टालने की नहीं है। आप इसके लिए टाइम दें।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

श्रीमन्, एक सूचना चाहता था। मैंने नियम ५२ में दिया था कि बलिया जिले में जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ। तो उस पर चर्चा के लिए समय मांगा था। वह कब के लिए स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष--

वह पिछले साल दिया था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

उस समय सदन निरस्त हो गया था। आज फिर दिया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं उस पर विचार कर लूंगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

वहां जमींदारी का खात्मा नहीं हुआ और करीब ५२ हजार रुपया लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस सत्र में ही चर्चा के लिए वह आ जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैं देख लूंगा। किसी और दिन हो जायगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि जो समाजवादी विचारों को मानने वाला व्यक्ति होगा वह कतई मौजूदा सरकार की तारीफ नहीं कर सकता इसलिये कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, अभी भी बैठे हैं, अगर मैं गलत कहता हूं तो मुझे करेक्ट कर दें--समाजवादी कहलाने की गलती कभी नहीं की है।

मुख्य मन्त्री (श्री चरण सिंह)--

यह गलती की है और वह यह है कि गांधी जी के समाजवाद को बी० के० डी० मानती है, मार्क्सिस्ट समाजवाद को नहीं मानती है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम मंत्री जी के मुखारबिन्दु से समाजवाद का शब्द तो निकला।

श्री अध्यक्ष--

उसको सर्वोदयवाद कहना चाहिये था ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

वह जो कहते हैं कहने दीजिये, उनका भाष्य न करिये । आप के भाष्य में तो मुझे विश्वास है लेकिन जब अन्तरात्मा का दौर चला तो उसमें माननीय मुख्य मन्त्री जी भी कूद गये, उस गंगा में नहाये बिना न रह सके । माननीय जायसवाल जी ने कहा कि डबल डायरी है . . . मुख्य मन्त्री जी नाराज हो रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा । मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ३१ अक्तूबर को मुख्य मन्त्री जी जब नेता, विरोधी दल थे तो इनका क्या बयान छपा था, पंडित जी उस समय सिंचाई मंत्री थे अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तब पिछली सरकार ने शायद सिंचाई रेट के बारे में कुछ फैसला किया था तो वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सिंचाई रेट का बढ़ाना किसानों के प्रति घोर अन्याय है और आज सुबह ही जब प्रश्न आया तो मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सरकार का कोई इरादा रेट कम करने का नहीं है । आप देखिये कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद कौन-सी बात और उस कुर्सी पर बैठने के बाद कौन-सी बात ।

श्री चरणसिंह--

कुछ थोड़ा-बहुत सच्चाई से काम लेना चाहिये । यह तो ठीक है कि आप विरोध में हैं और विरोध करना चाहिये लेकिन पूरा बयान क्यों नहीं पढ़ते ? उस बयान में यह लिखा होगा कि महज सिंचाई की दर क्या कोई भी टैक्स बढ़ाने का तभी अधिकार होगा जब स्वच्छ और कुशल प्रशासन दे सके । दूसरे यह कि जितनी एकोनामी कर सकते हैं उतनी कर चुके हों और लोगों में यह विश्वास हो कि फिजूलखर्ची कोई नहीं कर रहे हैं । तभी गवर्नमेन्ट को अधिकार होगा टैक्स लगाने का । इसका समाजवाद से क्या वास्ता कि सिंचाई बढ़े या न बढ़े ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

किसान के लगान से समाजवाद का वास्ता नहीं है, सिंचाई रेट से समाजवाद का वास्ता नहीं है, नैतिकता से समाजवाद का वास्ता नहीं है, समाजवाद का वास्ता किससे है भगवान जाने । (व्यवधान) नहीं, कुर्सी सिंह मैं नहीं कहूंगा उनको तकलीफ हो जायगी, आखिर हमारे मुख्य मन्त्री हैं । स्वच्छ प्रशासन की बात की मुख्य मन्त्री ने तो जब पंडित जी उप मुख्य मंत्री बन कर बैठे तभी सरकार गड़बड़ थी और जब उन्होंने आपको वहां बिठा दिया तो प्रशासन स्वच्छ हो गया । यह विधि की विडम्बना है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि स्वच्छ प्रशासन की बात हम सुन रहे हैं, बहुत ठीक है वह होना चाहिये । लेकिन सवाल केवल इतना है कि क्या नीतिगत बातों से जिन पर कोई प्रशासन चलता है उन नीतियों को तिलांजलि देकर चला करेगी, बहुत बड़ा मौलिक प्रश्न है कि जो नीतियां कोई दल या सरकार तय कर के चुनाव घोषाणा-पत्र में वादे कर के जनता से आती है उन नीतियों पर उनके आधार पर शासन चलाने की बात कर सकते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री की ऐसी बात नहीं है जैसे उन सबको उन्होंने तिलांजलि दे दी हो । एक दिन पहले तक कहा कि लगान माफ करने से सवा ६ एकड़ तक की होलडिंग्ज छोटी हो जायंगी और लोग बटवारे करने लगेंगे और उसके फलस्वरूप उपज घट जायगी और उसके दो दिन बाद ३ १/८ एकड़ की बात आ गई । पता नहीं यह क्यों किया ? अगर ३ ही एकड़ कर देते तो क्या अन्तर हो जाता, या ६ एकड़ या ५ एकड़ कर देते तो क्या फर्क हो जाता, कौन सी ऐसी बात थी कि यह १/८ एकड़ साथ में जोड़ दिया, क्या मजबूरी थी ? कहा जायगा कि पक्के ५ बीघे किया . . . .

श्री चरण सिंह--

आप को यह मालूम ही नहीं है कि ३ १/८ एकड़ ४ बीघे के बराबर है या ५ बीघे के बराबर है या ८ एकड़ के बराबर है या ३ बीघे कितना होता है? हिसाब लगा लीजिये पहले ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मुझे नहीं मालूम कि वह ३ बीघे के बराबर है या कितने के बराबर हैं लेकिन अगर सवा ६ एकड़ ही मान लेते तो क्या एतराज होता ? आप देखें कि इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है कि ३ १/८ एकड़ यानी ५ बीघे । मैं मुख्य मंत्री जी का मुकाबला तो कभी नहीं कर सकता क्योंकि इन कुर्सियों पर बैठने का उन का एक बड़ा अनुभव है और वह हिसाब के भी माहिर हैं लेकिन उनके प्रति मैं वह भाषा या वह जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। केवल इतना कहता हूं कि जिन नीतियों पर वह विश्वास करते हैं उन पर हम नहीं करते । एक बात और सीधी से मैं कहूंगा कि आज एक बात कही गई, हमारे दोस्त माननीय सदस्य, नैनीताल ने कहा कि उत्पादन के साधन, आप फैसला करें कि उत्पादन के साधन आप किस तरह से प्रयोग करेंगे। आप देखें कि यू० पी० के आदमी के लिए कपड़े के उत्पादन का साधन और जूट मिलों के उत्पादन का साधन नहीं था । मुझे बड़ा अफसोस और हैरत होती है और मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि वह जरा विचार करें । कहा जाता है कि गन्ने की मिलें ले ली जायंगी । मैंने अखबारों में देखा उससे लगता है कि न राष्ट्रीयकरण होगा, न सहकारीकरण होगा, मैं नहीं जानता कि क्या होगा। कहा गया कि लोगों की आंख में धूल झोंकने का प्रयास कैसे होता है, सरकार के बनते-बनते लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए माननीय सदस्यगण दिल्ली चले गये दस रुपया क्विंटल गन्ने के दाम दिलाने के लिए ... काश्तकार बेचारा इन्तजार कर रहा है। वे सोच रहे हैं कि अब तो मुख्य मंत्री हमारी वकालत कर रहे हैं , माननीय गेंदा सिंह जी हमारी वकालत कर रहे हैं, वीरेंद्र वर्मा जी हमारी वकालत कर रहे हैं और उनकी सरकार वकालत कर रही है जो किसानों की हामी भरते भरते अघाती नहीं है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार और इस सरकार के बीच में गन्ने के बारे में जो बातें हुयी हैं वे स्पष्टतया सदन के सामने आयें कि इस सरकार ने क्या फैसला लिया है। मैंने अखबारों में यह देखा कि केंद्रीय सरकार से इस सरकार के लोगों ने यह कहा कि वर्षों से गन्ने के दाम के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। उसी सरकार के बारे में हमारे दोस्त कहते हैं कि यह समाजवादियों की सरकार है, किसानों के हितों का ध्यान रखने वाली सरकार है । किसानों की सरकार १ नम्बर पर दिल्ली में बैठी हुयी है और नम्बर २ पर लखनऊ में बैठी हुयी है। यह हो न हो लेकिन एक बात जरूर है कि छोटे-छोटे किसानों को बेदखल करने की नीति इन लोगों की रही है । जमींदारों के उन्मूलन के समय खुद काबिज की ऐंट्री का अधिकार पटवारी और कानूनगो को देकर उन्होंने छोटे किसानों का भला नहीं किया । एक ओर उनकी जमीन को लूटने का प्रयास किया गया और दूसरी और सवा ६ एकड़ वाली बात का न किया जाना भुलाया नहीं जा सकता है । जो लोग यह समझते हैं कि वे इससे जनता की आंखों में धूल झोंक देंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम चाहो पूर्व और पश्चिम का भेदभाव पैदा करलो लेकिन जनता को इसके लिए आन्दोलन करना पड़ेगा। जनता को अपनी मांग के लिए लड़ना पड़ेगा अगर उसकी इच्छा के अनुरूप उसकी मांग को पूरी नहीं कर सकते।

आज उन लोगों के दिल और दिमाग पर इस बात की सफाई होनी चाहिये जो लोग जनता को गुमराह करने के लिए तुले हुए हैं । आपके इरादों को वे जानते हैं, आप चाहे इंडिकेट वाले हों या बी०के० डी० वाले हों । आप सरकार को बनाने में कितनी ही दुर्नीतियों को इस्तेमाल कर लें लेकिन, श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जनता के हकों पर कुठाराघात करने के लिए साजिश की जा रही है, मैं अपनी जनता को जो इस समय लड़ने के लिए तैयार हैं, उनका आवाहन करता हूं । दिल्ली की सरकार और लखनऊ की सरकार से लड़ने का काम कोई साधारण काम नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जनता के वे लोग हैं जिन्होंने सवा ६ एकड़ की जमीन के लगान माफी का आर्डिनेंस निकाला या उधर की सीटों पर बैठे हुए हैं जो जनता के मार्ग में बाधा बनाये हुये हैं, जो उनकी आकांक्षाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं और प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय कल्पनाथ जी यह कह रहे थे कि मुख्य मंत्री कौन-से समाजवाद में विश्वास रखते हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं गांधी जी के समाजवाद में विश्वास रखता हूं। आपने उसी वक्त केवल डेफिनीशन कर दी। आपने सर्वोदय की तरफ इशारा कर दिया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो त्रिपाठी जी की मदद से सरकार बनी है वह क्या उनकी पार्टी की सरकार न होकर पार्टी लेस सरकार हो गयी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह आप उसी उक्त पूछते, अब समय खत्म हो गया है।

*श्री मनफूलसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय गेंदा सिंह जी ने जो धन्यबाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय विरोधी दल के सदस्यों के वक्तव्यों को सुन कर मुझे बड़ा दुख हुआ। बार-बार उनके द्वारा सवा छः एकड़ की ही बात कही गयी। सभी के मुंह से इसी की रट लगी रही, मगर जो हमारे समाजवादी भाई समाजवाद के लम्बे-लम्बे नारे लगाते हैं इस पूरे गांधी शताब्दी के अवसर पर उनके मुंह से हरिजनों के बारे में एक भी शब्द नहीं निकला कि यह छुआछूत मिटाई जाय, उनको क्या सहूलियतें दी जायें। शिक्षा में समानता की बात भी किसी के मुंह से नहीं निकली। कक्षा ५ तक फ्री शिक्षा की बात किसी ने नहीं कही। किसी ने ऐसे सुझाव नहीं दिये जिससे समाज में समानता लायी जा सके।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी गांधी शताब्दी की बात कही, और हरिजनों की बात कही, तो मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि गांधी जी ने गांधी शताब्दी के अवसर पर यह भी कहा था कि चमार राज्य मुर्दाबाद के नारे लगाकर मुख्य मंत्री की कुर्सी हासिल करो।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनफूलसिंह--

श्रीमन्, किसी ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि किन बातों का समावेश उसमें किया गया है। मैं पूछता हूं कि अब तक इस सीट पर जो लोग बैठे उन्होंने कितना खेतिहर मजदूरों तथा हरिजनों की ओर ध्यान दिया ? अगर आप कुछ दिन और इन्तजार करते तो आप देखते इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है जैसा कि पहले गुप्ता जी की कथनी और करनी में अन्तर था। जिन चीजों का उन्होंने हरिजनों के लिए एलान किया उनको कभी पूरा नहीं किया। न्यायालयों में, सीड स्टोर में, सप्लाई विभाग में, हर विभाग में आज, भ्रष्टाचार मौजूद है। यह सरकार उसको दूर करने के लिए कटिबद्ध है। हमें खुशी है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सब से बड़ी चीज जो की गयी है वह है ३० एकड़ की सीलिंग की जिससे बची हुई भूमि भूमिहीनों को मिल सकेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मनफूल सिंह]

अब एक पास दो बीघा जमीन है एक के पास एक एकड़ है तो एक एकड़ वाले के लिए तथा सवा छः वाले के लिये आप यह कहना चाहते हैं कि उसका माफ हो । मैं आपके यह बताऊं उसके पास तो कोई जीविका कमाने का साधन भी है, किन्तु आपने कभी यह नारा भी लगाया है कि जिसके पास जीविका कमाने का कोई भी साधन नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिये। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहते हैं और देहात के लोगों को रोजगार में लगाने की कोशिश करेंगे, ग्रामों में स्माल स्केल इंडस्ट्रीज खोलेंगे, जिससे उनको रोजगार मिल सके । इससे उनको रोजगार मिलेगा जो आज बेरोजगार और भूखे नंगे हैं । हमारी यह नीति है कि जिन मिलों का हम समाजीकरण करने जा रहे हैं, उसमें हिस्सेदार किसान और मजदूर होगा । अब उसका मुनाफा न केवल एक व्यक्ति को जो पूंजीवादी मनोवृत्ति का था उसको मिलेगा बल्कि देश के लोगों को मिलेगा जो दिन रात उसमें काम करते हैं जो अपना खून पसीना बहाकर उसके लिए उत्पादन करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कह देना चाहता हूं कि आज देश की किसी पार्टी की मनोवृत्ति किसी सिद्धांत का प्रतिपालन करने की नहीं रह गई है बल्कि एक रिएक्शनरी भावना से, प्रतिद्वन्द्विता की भावना से काम करने और विचार करने की हो गई है । वह यही सोचा करते हैं कि कब यह सरकार गिरे और कब हम यहां पर आकर बैठें। यदि आप समाजवाद लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सूबे में समाजवाद आये तो आप का सीलिंग का जो विचार है उसका समर्थन करें । तभी आप सच्चे अर्थों में समाजवादी कहलाने के अधिकारी होंगे । लेकिन यदि आप क्रियात्मक भावना से दूर हटकर केवल विरोध की भावना से व्यक्ति विशेष का विरोध करते हैं तो क्या इससे प्रजातंत्र बच सकेगा ? आप सब प्रदेश भर से आये हुए प्रतिनिधि हैं और हम सब इस प्रदेश के रहनुमा कहलाने के अधिकारी तभी हो सकते हैं जब हम उस विचार से कार्य करें, सोचें, जो वास्तव में प्रजातंत्र का फायदे कर रहे हैं। यदि आप हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं और थोड़े समय में इंसाफ देन चाहते हैं, तो हम जो प्रगतिशील और समाजवादी कदम उठा रहे हैं, उनसे स्वाभाविक है कि जो पूंजीवादी मनोवृत्ति के लोग, जो उधर बैठे हैं और जिन्होंने इस बुराई को जन्म दिया और प्रोत्साहन दिया है, उनको ठेस पहुंचेगी । और जब उनको ठेस पहुंचती है तो वह चिल्ला कर शोर मचाकर कहते हैं वही केवल सवा छः एकड़ की रट । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं . . .

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह पूंजीवादी मनोवृत्ति का सूचक है तो समाजवादी मनोवृत्ति का सूचक क्या है ?

श्री मनफूल सिंह--

मैं अपने दोस्तों को यह बतलाना चाहता हूं कि यदि वह प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं हिन्दुस्तान और अपने सूबे में गरीब आदमियों की रहनुमाई करना चाहते हैं तो आपको पार्टी की इतनी मजबूत फीलिंग को छोड़ना पड़ेगा और उन कार्यों का समर्थन करना पड़ेगा जिनसे इस सूबे का भला हो, जिससे पिछड़े हुए लोगों का लाभ हो । कोई ऐसा कानून आपने उनके लिये बनाने का प्रयास नहीं किया जिससे ऐसे लोगों का भला हो सके जिनकी संख्या आज यहां पर ८० फीसदी के करीब है । एक भाई ने कहा ८-१० दिन से जो सरकार बनी है, वह किसानों की रहनुमा नहीं है । मैं आपके माध्यम से, श्रीमन्, अपने मंत्रियों से यह बतलाना चाहता हूं कि वह चीज यह है कि हमारे हाउस के नेता का सबसे पहले कहना यह है कि जमीन प्राकृतिक देन है । इस पर सबका समान रूप से अधिकार है । जब यह प्राकृतिक देन है तो क्यों चन्द लोगों का इस पर अधिकार हो ? जिन लोगों को इस पर कानूनी अधिकार है वे इसके ट्रस्टी हैं । उनकी जिम्मेदारी है कि वे समाज के ट्रस्टी के रूप

में कार्य करें। हमारे प्रतिद्वन्द्वी भाई इसलिए बौखलाहट पैदा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको बार-बार कुर्सी की याद आ रही है।

श्री राजबहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर वह नहीं बैठते तो कैसे मांगेंगे ? वह तो खड़े हैं।

(श्री मनफूल सिंह के बैठ जानेपर।)

श्री राजबहादुर चन्द--

बार-बार वह प्रतिद्वन्द्वी शब्द कहते हैं। प्रतिद्वन्द्वी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कुर्सी के प्रतिद्वन्द्वी या किसके प्रतिद्वन्द्वी ?

श्री मनफूल सिंह--

प्रतिद्वन्द्वी से मेरा मतलब विरोधी है। मेरा मतलब यह था कि हमारे विरोधी भाई जो एक ऐसी हालत पैदा करना चाहते हैं वह इसलिए कि वह इधर आकर कुर्सियों पर बठें और जनता का शोषण करें और जो तरीके अब तक उन्होंने अपनाए हैं उनको पुनर्जीवित करें। जनता यह महसूस कर चुकी है कि आज किसान का बेटा मुख्य मंत्री की सीट पर बठा है। कल शायद मजदूर का बेटा भी मुख्य मंत्री की सीट पर बैठे। वे लोग जो वेस्टेड इन्टरेस्ट के हामी थे, वे चाहते हैं कि उनको फिर सरकारी बेंचों पर बैठने का मौका मिलने लगे। जैसा कि नारायण दत्त जी तिवारी ने बताया, समाजवाद की लहर इंदिरा गांधी या किसी की कृपा की बात नहीं है बल्कि यह समय की पुकार है। जो रिएक्शनरी फोर्सेस कंट्री को पीछे ले जाना चाहते थे आज जनता उनके बारे में जान चुकी है। उनकी सांठगांठ सब लोगो को मालूम हो गई है और आगे संभवतः उन लोगों को जनता ज्यादा तादाद में नहीं भेजेगी और शायद उनको यहां बैठने का मौका न मिल सके। राज्यपाल के भाषण में सरकार ने जिन नीतियों को रखा है, जिन प्रोग्रेसिव स्कीम्स को रखा है वे जनकल्याण की हैं। मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि उन नीतियों को वह मंजूर करें और सरकार को एक साल का मौका दें। तब देखें कि कथनी और करनी में क्या मतलब रखते हैं ? मैं अन्त में श्री गेंदा सिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि अगर वास्तव में इस सरकार के जो सिद्धान्त हैं उनको लागू देखना चाहते हैं तो आइए भेद भाव भुलाकर सरकार का समर्थन कीजिए। इसमें देहात के लोगों का भला है, शहर के लोगों का, गरीब आदमियों का भला है और उन लोगों का जो दिन-रात काम करते रहते हैं, उनका भला है।

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जिन नीतियों पर चर्चा हुई है उन पर विचार व्यक्त करूं मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारा दल विरोधी पक्ष में होते हुए भी हमारी भूमिका नकारात्मक नहीं होगी। हम हर प्रश्न पर विचार करके सरकार का समर्थन या विरोध करेंगे। अफसोस है कि इतिहास में पहली बार इस सदन के अन्दर राज्यपाल महोदय के ऊपर आक्षेप किया गया है। उन पर आक्षेप किया गया है नई सरकार के गठन के बारे में। मैं अपने दल की तरफ से राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता को उस भ्रष्ट शासन से मुक्त करवाया है जिससे बुद्धि मुक्ति के लिये इस प्रदेश की जनता कराह रही थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह]

मान्यवर, समाजवाद और प्रजातंत्र की बात कही जाती है लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो प्रजातंत्र की बात करते हैं कि जब मंत्रिमण्डल से १० व्यक्तियों ने इस्तीफा दे दिया और आपकी सरकार अल्पमत में रह गई तो क्यों नहीं उस दिन इस्तीफा दिया था ? फिर आप बात करते हैं प्रजातंत्र की ? जब विभिन्न दलों ने आपके सामने यह मांग रखी कि सदन को बुलाकर तय करें कि कौन अल्पमत में है या कौन बहुमत में है तोआपने सदन को नहीं बुलाया ? ११ तारीख को जब सदन बैठने वाला था तो आपको इस बात का एहसास हो गया कि आपकी सरकार अल्पमत में है तो आप इस्तीफा देकर बैठ गये, यह कहां का प्रजातंत्र है ? चौधरी साहब की जहां तक बात है मैं उस चक्कर में जाना नहीं चाहता । आप लोग अनहोनी बात समझते हैं तो समझें वह हमारी समझ में अनहोनी नहीं है । कुछ अन्दरूनी बात आपकी और उनकी होगी दोनों की कुछ अन्दरूनी बात होगी । हम तो दोनों की बात सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं और हमारा मनोरंजन होता है । मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि माननीय चौधरी साहब ने नई सरकार का गठन किया है । मेरे मित्र उस सरकार को पसन्द नहीं करते लेकिन इस प्रदेश की जनता ने इस सरकार को बहुत पसन्द किया है । इस सरकार से इस प्रदेश की जनता को बहुत आशा और आकांक्षा है ।

जब हम माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ते हैं तो आशा की किरण नजर आती है और आशा की झलक नजर आती है लेकिन कुछ शक-शुबहा की गुंजाइश भी नजर आती है । इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को देखा जाय तो पता चलेगा कि सब से बड़ी बात इसमें चीनी उद्योग को राष्ट्रीयकरण करने की है । मैं समझता हूं यह फैसला जो इस सरकार ने किया है बहुत हिम्मत का फैसला है, हम इसका स्वागत करते हैं । चीनी उद्योग न केवल इस प्रदेश के अन्दर बल्कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर बहुत महत्व रखता है । हमारे उत्तर प्रदेश में भी चीनी उद्योग का बहुत महत्व है । सारे भारतवर्ष में चीनी मिलों की संख्या १६८ है । इसमें केवल ७० कारखाने हमारे प्रदेश में हैं । हमारे देश के अन्दर जो चीनी का उत्पादन होता है उसका ५०.४ प्रतिशत हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर पैदा होता है । इतना महत्वपूर्ण स्थान इस चीनी उद्योग का है । लेकिन हमने इसमें क्या देखा कि बजाय इसके कि यह उद्योग हमारी आर्थिक स्थिति में विकास के लिये सहयोग देता, हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारता इस उद्योग ने हमारे प्रदेश की राजनीति के अन्दर एक भ्रष्टाचार पैदा किया । हमने देखा है कि हमारे इस प्रदेश में मालिकों ने राजनीतिज्ञों को सुवर्ण कलश बना दिया है । यह इस प्रदेश का दुर्भाग्य है । अगर पूंजीपतियों के हाथ से इन चीनी मिलों को इस सरकार ने लेने का निर्णय किया है तो प्रदेश की जनता इसका स्वागत करती है । लेकिन एक संदेह पैदा हो गया है । वह संदेह यह पदा होता है कि आपने बड़े-बड़े पूंजीपतियों से इन उद्योगों को लेने की बात तो कही लेकिन यह नहीं कहा कि किसको ये मिलें दी जायेंगी । यह कहा गया है कि उनसे लेंगे तो फिर किसको देंगे यह स्पष्ट नहीं किया गया है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी और चौधरी साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चहता हूं कि जिन चीनी के कारखानों को आप लेंगे उनके मिल-मालिकों को पैसा दिया जायगा और कंपेन्सेशन दिया जायगा लेकिन उन मजदूरों का क्या होगा जो ६० हजार मजदूर इनमें काम करते हैं और जिन्होंने खून-पसीना लगा कर इन उद्योगों को जिन्दा रखा है । मैं समझता हूं कि इस बारे में आपकी नीति स्पष्ट नहीं है । इस बारे में मैं चाहता हूं कि चौधरी साहब अपनी नीति स्पष्ट करें कि चीनी उद्योग के उद्योग-पतियों को आप मुआविजा देने जा रहे हैं लेकिन जिन मजदूरों ने खून-पसीना करके इनको बनाया है उनको क्या देने जा रहे हैं इसको स्पष्ट करने की जरूरत है ।

जहां तक सीलिंग का प्रश्न है मैं इसका स्वागत करता हूं कि आपने ३० एकड़ तक सीलिंग की बात कही है । इस प्रदेश के अन्दर जो पहला कानून सीलिंग का है उसको बदलने की जरूरत है । हमने देखा है कि चाहे वह आज के मंत्री हों, चाहे कल के मंत्री रहे हों और चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों वे सब बड़े-बड़े फार्म हथिया कर बैठे हैं । बड़े-बड़े सहकारी

फार्म्स के नाम पर, कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम पर ये लोग हथिया बैठे हैं सीलिंग के कानून के बावजूद। एक रानी साहिबा अख्तरगढ़ में भूमि दान में देती हैं लेकिन वह खेत मजदूरों को नहीं मिलती है, बिड़ला जी को मिल जाती है। तराई में जाइए बड़े-बड़े सेठ, बड़े-बड़े अफसर, बड़े-बड़े फार्म्स लूटे बैठे हैं। सीलिंग का हम स्वागत करते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलेगा जब तक आप कोआपरेटिव ऐक्ट में संशोधन नहीं करेंगे और यह निश्चित नहीं करेंगे कि वही कोआपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होंगी जिनमें खेतिहर मजदूरों का शेयर होगा।

कल माननीय चौधरी साहब का बयान अखबारों में पढ़ कर मुझे सन्देह हुआ कि उनके तथा त्रिपाठी जी के दल में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रांतिकारी भूमि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि समाजवाद हजरत महल पार्क तथा अमीनाबाद पार्क में लम्बे भाषण देकर नहीं आ सकेगा। आपको या तो गरीब जनता की तरफदारी करनी होगी या बड़े-बड़े किसानों की तरफदारी करनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि बड़े-बड़े जो जमींदार हैं, धनी किसान हैं उनके दबाव में आ कर जो घोषणाएं आपने जनता के सामने की हैं उनको कहीं आप वापस न ले-लें। अगर ऐसा होगा तो मैं अपने मित्र अनन्तराम जायसवाल जी को बतलाना चाहता हूं कि इस सदन के बाहर उनकी और हमारी पार्टी तमाम किसानों के साथ मिल कर इसका विरोध करेगी।

यहां देहात के अन्दर संपत्ति की सीलिंग की भी चर्चा की गई। त्रिपाठी जी से मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई कांग्रेस सेशन में प्रस्ताव पास हो चुका है कि शहर की संपत्ति की सीलिंग की जाय। उस सम्पति की सीलिंग के बारे में उन्होंने चौधरी साहब को मशविरा दिया है या नहीं क्योंकि राज्यपाल महोदय के संबोधन में उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है।

सवा ६ एकड़ के प्रश्न पर यहां बहुत बहस हुई लेकिन मैं त्रिपाठी जी तथा चरण सिंह, दोनों को याद दिलाना चाहता हूं कि कराची कांग्रेस में प्रस्ताव पास हुआ था राजनीतिक आन्दोलन के जमाने में कि अलाभकर जोतों को खत्म करो। तब से आज तक आप उन कुर्सियों पर रहे हैं। क्या आप यह तय नहीं कर सके कि क्या अलाभकर जोत रहेगी? यह आर्थिक मांग नहीं है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की मांग रही है और इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है, इसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री जी ने बतलाया कि फाइनल तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है, प्रश्न उनके सामने विचाराधीन है, तो वह सोच-समझ कर इस पर निर्णय लेंगे।

जहां तक साधनों का संबंध है मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि साधन उनको मिल सकते हैं अगर भू राजस्व की प्राणली में वह परिवर्तन करें। जमींदारी उन्मूलन कमेटी जिसमें उनका प्रमुख रोल था उसमें यह सिफारिश थी कि हमारे प्रदेश में जो भू-राजस्व प्रणाली है वह बहुत पुरानी प्रणाली है।

अब तक मान्यवर, दो किस्म से रेवेन्यू वसूल की जाती है। एक तो नेट असेटस के ऊपर रेवन्यू वसूल की जाती है और दूसरे जमींदारी एरियाज केहिसाब से वसूल की जाती है। जमींदारी एबालीशन कमेटी की सिफारिश है कि भू-राजस्व एकड़ के हिसाब से न ली जाकर पैदावार के हिसाब से ली जाय। जोतों के जो अलग-अलग हिस्से हैं उनके हिसाब से ली जाय। अगर इस तरह से आप परिवर्तन इस प्रणाली में करते हैं तो इकोनामिक सर्वे कमेटी की जो सिफारिश है उसमें कहा गया है कि सवा छः एकड़ तक मालगुजारी माफ करने के बाद भी आपको और रुपया मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस प्रणाली में संशोधन करेंगे तो आपके दल में विरोध होगा, माननीय त्रिपाठी जी के दल में विरोध होगा क्योंकि बड़े-बड़े किसान इसका विरोध करेंगे वहां पर आपकी परीक्षा होगी। वहां पर समाजवाद की परीक्षा होगी। अब देखना यह है कि आप उन साथियों का, जो प्रगतिशील कदमों का विरोध करते हैं, कैसे मुकाबला करते हैं।

अन्त में मैं स्वागत करता हूं कि इस अभिभाषण में क्षेत्रों के असंतुलन के बारे में कुछ कहा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी कांग्रेस के भाइयों ने तमाम पर्वतीय इलाकों में यह प्रचार

[श्री गोविन्द सिंह]

करना शुरू कर दिया है कि जब चरण सिंह शपथ लेंगे तो पर्वतीय इलाकों के लिये वह काला दृश्य होगा। चरण सिंह पर्वतीय इलाकों का विरोधी है। गुप्ता जी ने क्या सोना पहाड़ों में बांट दिया है। इस प्रदेश में चार क्षेत्र हैं। इसकी औसत आय २७५ रुपये पर कैपिटा है। सेंट्रल जोन की ३०८ रुपये है, वेस्टर्न जोन की २९९ रुपये है और पहाड़ी इलाकों में २८४ रुपये हैं। बुन्देलखण्ड के बारे में कहा जाता है कि बहुत पिछड़ा इलाका है। लेकिन आप देखेंगे कि वहां की औसत आय ३३७ रुपये पर कैपिटा है। हमारा टिहरी-गढ़वाल जिला हिन्दुस्तान के सब से पिछड़े जिलों में से आता है। हिन्दुस्तान में ४४ जिले पिछड़े हैं। उनमें से २२ जिले उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें से हमारा जिला टिहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी सबसे पिछड़ा है। हमारे जिले में एक व्यक्ति की औसत आय ८४ रुपये है यानी २४ पैसे प्रति दिन है। इसी तरीके से हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी पहाड़ों से चुन कर आये। बड़े-बड़े लोग पहाड़ों पर वोट लेने के लिये जाते हैं। बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। गुप्ता जी जिनका चुनाव क्षेत्र जिला अल्मोड़ा है उसकी आमदनी प्रति व्यक्ति ५९ पैसे हैं। यह स्थिति हमारे प्रदेश की है। लेकिन कहा गया है कि जो सरकार बनी है वह आने वाले समय में एक कार्यक्रम तैयार करेगी जो बजट में मिलेगा उसमें तमाम चीजें होंगी। लेकिन जो हमारी शंकाएं और शकूक हैं उनका समाधान किया जाय।

आज उधर के मित्र विरोधी कांग्रेस वालों ने इस सरकार की मुखालफत की है। श्री गौतम जी जो विरोधी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, उस समय उन्होंने कुछ सलाह हमको समाजवाद के बारे में दी थी। २७ जून, १९६७ को उन्होंने इसी असेम्बली में कहा था....

श्री उपाध्यक्ष--

आप शीघ्रता कीजिए।

श्री गोविन्द सिंह--

"इस बात को याद रखो कि इस वक्त मोटे तौर से देश ३ पार्टियों में बंटा हुआ है--लेफ्ट, राइट और सेंटर जिनको आज लेफ्ट कहा जाता है, उन कम्युनिस्ट और एस० एस० पी० से मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी संसार में लैफ्टिस्ट पार्टी राइटिस्ट पार्टी से मिलकर काम करती है तो वहां हिटलेरिज्म पैदा होता है"। लेकिन उनको मालूम हो कि हम हिटलेरिज्म इस देश में लाना नहीं चाहते हैं बल्कि समाजवाद लाना चाहते हैं।

झांसी और इलाहाबाद जिलों में ओलावृष्टि से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत श्री कृष्णचन्द्र शर्मा की एक सूचना झांसी जिले में ओला वृष्टि से हुई क्षति के बारे में है और श्री रूपनाथ सिंह की सूचना इलाहाबाद जिले के कतिपय गांवों में वर्षा और ओला वृष्टि से हुई क्षति के बारे में है। उस पर माननीय राजस्व मंत्री अपना वक्तव्य देंगे।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी है कि झांसी जिले की छः तहसीलों में भीषण ओलावृष्टि के कारण रबी की खड़ी फसल नष्ट हो गई है, लगभग ५०० गांव प्रभावित हुए हैं। २५० से अधिक गांवों में फसल को शत प्रतिशत हानि हुई है। चारा और घास भी नष्ट हो गई है तथा मकानों को अपार क्षति हुई है। लोगों के पास खाने को एक दाना भी नहीं है। मकानों के ध्वस्त हो जाने से लोग निराश्रित हो गये हैं।

२—जिलाधिकारी, झांसी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार झांसी जिले में फरवरी महीने की १८, १९ तथा २४ तारीख को उपलवृष्टि हुई है। ६८८ गांव प्रभावित हुए हैं जिनका क्षेत्रफल २,०३,२६१ एकड़ है। रबी की फसल को व्यापक क्षति पहुंची है, १७० गांवों में फसल को नुकसान २५ से ३९ प्रतिशत तक है। बाकी ५१८ गांवों में नुकसान ४० से १०० प्रतिशत तक अनुमानित है। तहसीलदार सूचना नीचे लिखी है—

नाम तहसील	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र एकड़ में	फसल को हुई क्षति का प्रतिशत	
			गांव जहां ४० प्रतिशत से कम	गांव जहां ४० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक
१—झांसी ..	१३७	४१,०७१	४९	८८
२—मऊ ..	१३	३,७०४	—	१३
३—मोठ ..	१३२	४८,९००	४८	८४
४—गरोठा ..	१५७	६७,२७२	—	१५७
५—ललितपुर ..	१०८	१७,८३०	—	१०८
६—महरौनी ..	१४१	२४,४८४	७३	६८
योग	६८८	२,०३,२६१	१७०	५१८

उपर्युक्त तालिका से विदित होगा कि पूरे जिले में २,०३,२६१ एकड़ रबी की फसल को नकसान पहुंचा है जबकि वर्ष १९६७–६८ के लिये प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार झांसी जिले को रबी का कुल क्षेत्रफल लगभग ७,१०,००० एकड़ आता है।

३—चरने की घास को भी क्षति पहुंची है। कहीं–कहीं चारे की कमी की संभावना है। मकानों के ध्वस्त होने की सूचना नहीं है। उपलवृष्टि से किसानों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिये मालगुजारी तथा सभी प्रकार की तकावी की वसूली रोक दी गई है। निर्धन तथा असहाय लोगों को अहैतुक सहायता (खैरात) के लिये २० हजार रुपये का आवंटन जिलाधिकारी ने तहसीलवार निम्न प्रकार से कर दिया है तथा तहसीलदारों को आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्र इसका वितरण करें।

	रु०
१—तहसील झांसी	३,५००
२—तहसील मोठ	४,५००
३—तहसील मऊ	५००
४—तहसील गरोठा	६,०००
५—तहसील ललितपुर	१,०००
६—तहसील महरौनी	४,५००
योग ..	२०,०००

उपर्युक्त २० हजार रुपये के अलावा अहैतुक सहायता के लिये शासन ने ३० हजार रुपया मंजूर किया है। आपदा तकावी के लिये तीन लाख रुपया दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में गल्ले का

[श्री श्रीपति मिश्र]

अभाव दूर करने के लिये जिलाधिकारी १०० सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं। टेस्ट वर्क चालू करने के लिये भी जिलाधिकारी आवश्यक कार्यवाही करा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों पर शीघ्र काम शुरू कराने की व्यवस्था की जा रही है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। चारे का अभाव दूर करने के लिये जिलाधिकारी सरकारी ठेकेदार से आवश्यकतानुसार भूसा खरीदने का इन्तजाम कर रहे हैं। खड़ी फसल को जो नुकसान पहुंचा है उसकी पड़ताल कराई जा रही है और नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने को कार्यवाही की जायेगी।

४—दिनांक २ मार्च, १९७० को माननीय रूपनाथ सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा, इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत इलाहाबाद जिले में उपलवृष्टि से होने वाले नुकसान की ओर ध्यान आकृष्ट करने की सूचना दी। माननीय सदस्य ने यह सूचित किया है कि इलाहाबाद जिले के कई गांवों की फसल ओला तथा पत्थर पड़ने से प्रभावित हुई है। विशेषकर तहसील फूलपुर के कई गांवों में घोर उपल-वृष्टि के कारण रबी की सभी फसलें नष्ट हो गई है। किसानों का पचासों हजार रुपये का नुकसान हुआ है और त्राहि-त्राहि मची है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि उन गांवों की मालगुजारी, सिंचाई तकावी आदि को वसूलयाबी तुरन्त मुल्तवी कर देने में ही जनहित है।

५—इलाहाबाद जिले में कुल आठ तहसीलें हैं। जिलाधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उपलवृष्टि से फूलपुर, करछना, चायल और सोरांव तहसीलों के २२३ गांवों की फसल को ५० प्रतिशतों से अधिक की क्षति पहुंची है। बाकी चार तहसीलों में छुटपुट उपलवृष्टि हुई है और कोई विशेष हानि नहीं बतलाई गई है। समय कम था इसलिए जिले से यह आंकड़े नहीं प्राप्त किये जा सके कि कुल कितने क्षेत्रफल में फसल को नुकसान पहुंचा है। नुकसान की पड़ताल की जा रही है और नियमानुसार छूट दी जायेगी। जिन २२३ गांवों में अनुमानित हानि ५० प्रतिशत से अधिक है वहां मालगुजारी तथा कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है। अहेतुक सहायता (खैरात) के लिये २० हजार रुपया तथा आपदा तकावी के लिए एक लाख रुपया मंजूर किया गया है।

श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

जो जिला अधिकारी के पास से रिपोर्ट आई है वह लगभग सही है किन्तु इसके बाद, २४ के बाद फिर ओला वृष्टि झांसी में हुई और वह गंभीर रूप में हुई है। उसके नुकसान का ब्योरा इसमें नहीं आया है। यदि उस ब्योरे को भी इसमें शामिल कर लिया जाय तो क्षतिग्रस्त गांवों की संख्या लगभग १ लाख हो जाती है। तो मेरी आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो अंतिम बार ओला वृष्टि हुई है उसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी से मंगाने की कृपा करें।

यहां पर जो लगान वसूली को स्थगित करने के बारे में आपने कहा है तो श्रीमन्, मुझे यह नहीं मालूम हुआ है कि कितने प्रतिशत क्षति पर आपने लगान वसूली स्थगित की है। मेरी प्रार्थना है कि जहां पर २५ प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है उसकी लगान वसूली तुरन्त स्थगित होना चाहिये और उसका कारण है कि श्रीमन् पिछली साल वहां सूखा था और इस बार ओला वृष्टि हुई है। पिछले ३ वर्षों से या तो सूखा पड़ता आ रहा है या ओला वृष्टि हो रही है। जहां पर २५ प्रतिशत से ज्यादा क्षति हुई है वहां के किसान भी जो गवर्नमेंट के लोन्स हैं, ड्यूज हैं, रेवेन्यू हैं उनको देने में समर्थ नहीं हैं इसलिये मेरी प्रार्थना है कि गवर्न-मेंट उनसे वह वसूल न करे।

दूसरी बात यह है कि आपने जो २० हजार रुपया अनुदान के रूप में दिया है वह बहुत ही कम है। हजारों गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं। माननीय राजस्व मंत्री ने माना है कि लगभग ५०० गांव ऐसे हैं जहां ५० प्रतिशत से ज्यादा की क्षति हुई है और उसके बाद २७—२८ की रात्रि

में होने वाली ओला वृष्टि से जो क्षति हुई है उसको भी अगर इसमें जोड़ लिया जाय तो हमारा यह विश्वास है कि करीब ७–८ सौ गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब आप ७–८ सौ गांवों के लिये २० हजार रुपये अनुदान के रूप में देते हैं तो ४ हजार रुपया हर तहसील के लिये पड़ता है जो बिल्कुल अपर्याप्त है और उपहासास्पद है। इसलिये आपको बहुत उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम दो लाख रुपया आप तुरन्त भेजें जिससे वहां के लोग अपने लिये गल्ला, कपड़े, खपरैल, लकड़ी आदि खरीद सकें।

इसी तरह से ३ लाख रुपया तकावी के लिये जो आपने सुझाव दिया है और जो प्रस्तावित है वह भी अपर्याप्त है। झांसी जिले में ६ तहसीलें हैं जिनके हजारों गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनके लिये ३ लाख रुपया बिल्कुल नाकाफी है। हमने जिलाधीश से बात की थी। हमने कहा कि कम से कम ५० लाख रुपया वहां तुरन्त आवे ताकि लोग गल्ला खरीद सकें, कपड़ा खरीद सकें, अपने मकान बनवा सकें, लकड़ी ले सकें। इसी तरह से पशुधन की भी वहां क्षति हुई है। मैं नहीं जानता कि जिलाधिकारी ने पशुधन के नुकसान की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। उनकी रिपोर्ट में है कि मकानों की क्षति नहीं हुई है लेकिन मैं इस संबंध में उनसे सहमत नहीं हूं। निश्चित रूप से मुझे रिपोर्ट मिली है कि वहां पशुधन का भी नुकसान हुआ है और मकानों का भी नुकसान हुआ है।

इसी तरह से मैं चाहता हूं कि वहां तुरन्त ही टेस्ट वर्क्स खोलने की सरकार कृपा करे, वहां पर राहत कार्य खोले जायं। हमने यह सुझाव जिलाधिकारी को दिया है और आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री को भी यह सुझाव देता हूं। इस संबंध में एक सुझाव यह है कि वहां के लिये कुछ सड़कें मंजूर हुई हैं जिन पर कार्य पहली अप्रैल से प्रारंभ होगा। मैं चाहता हूं कि वह कार्य वहां फौरन ही शुरू कर दिया जाय, एकदम शुरू कर दिया जाय। पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा जो कार्य पहली अप्रैल से होना है, अगर कोई और वैधानिक दिक्कत न हो तो उसको दो, तीन या चार दिन के भीतर तुरन्त शुरू कर दिया जाय। एक अन्य सुझाव मेरा यह है कि जिन मकानों की क्षति हुई हो उनको बनाने के लिये सरकार जंगल विभाग से लकड़ी की सहायता देने की कृपा करे तो उनको बहुत-सी सहायता मिल जायेगी और उनके कष्ट दूर हो सकेंगे।

अन्त में मैं माननीय राजस्व मंत्री और सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि यह दैवी आपत्ति है जिससे हजारों लाखों आदमी बेघरबार के हो गये हैं, निराश्रित हो गये हैं। ऐसे बहुत से गांव हैं जहां चूल्हे नहीं जले, खाना नहीं खाए। वहां इस साल बड़ा ही बम्पर क्राप था। ऐसी अच्छी फसल २५–३० वर्ष के अन्दर नहीं आई थी और लोग आशा लगाये बैठे थे, जश्न मना रहे थे, उनके अन्दर उल्लास, प्रसन्नता और खुशी थी कि बहुत वर्षों के बाद हमारे दारिद्र्य और संकट के दूर होने के दिन आ रहे हैं और उनका संकट दूर होगा जब वह इस लायक थे तभी उन पर दैवी प्रकोप हो गया। एक बार नहीं बल्कि चार-चार बार पहली बार तो १८ तारीख को, फिर १९ को, २४ को और २८ तारीख को उन पर यह दैवी प्रकोप आया। उनकी फसलें नष्ट हो गयीं और उनकी आशायें नष्ट हो गयीं। ऐसे दैवी प्रकोप में उदारतापूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक सहायता पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिये। यदि उनको विलम्ब से सहायता भी पहुंचती है तो उस सहायता की कीमत समाप्त हो जायेगी इस लिए इसको अविलम्ब पहुंचाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

इलाहाबाद जिले में ३ वर्षों से लगातार सूखा, ओला तथा वर्षा से वहां के काश्तकार पीड़ित हो रहे हैं। गत १८ तारीख तथा २४ तारीख को जो इसका दैवी प्रकोप उन पर पड़ा उसका यही कारण मालूम होता है कि जब जब यह राज्य आया है तब तब काश्तकारों के कष्ट बढ़े हैं। जब चौधरी साहब ने मुख्य मंत्री पद ग्रहण किया उस समय यह आपदा उन पर आई है। चौधरी साहब किसानों के बड़े हिमायती बनते हैं परन्तु यह देखा गया है कि उनके मुख्य मंत्री बनते ही उन पर इस प्रकार का दैवी प्रकोप हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख करना उचित नहीं है। प्राकृतिक प्रकोप के कारण से किसी व्यक्ति विशेष को सम्बद्ध करना ठीक नहीं है। ऐसा करने से अंध विश्वास फैलेगा इस कराण यह ठीक नहीं है।

श्री रूपनार्थासिंह यादव—

जब हमारे प्रदेश में सवा ६ एकड़ वाले किसान खेती करके उससे कोई लाभ नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि सवा ६ एकड़ तक भूमि का लगान माफी न किया जाय। जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने सवा ६ एकड़ तक की जोत का लगान माफ करने का अध्यादेश एलान कर दिया था और ऐसी सूरत में इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है और न तो राज्यपाल महोदय को ही यह अधिकार है कि उस निर्णय के खिलाफ यह लावें। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को यह बताना चाहता हूं कि उसने आर्टिकिल २१३ के अन्तर्गत संविधान का हनन किया है जो राज्यपाल महोदय के भाषणों से स्पष्ट है। अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने वहां की मालगुजारी मुल्तवी कर दी है। पिछली सरकार ने पूर्व ही सवा ६ एकड़ तक की मालगुजारी समाप्त कर दी थी तो इन्होंने ऐसी कौन-सी चीज कर दी। इस सरकार ने कौन से ऐसे कदम उठाये हैं जिससे इनको काश्तकारों का हितैषी कहा जा सकता है। इलाहाबाद जिले को सहायतार्थ जो धन दिया गया है वह बहुत ही अपर्याप्त है। हमको सूचना है कि वहां के २२३ गांव नहीं बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं कि ३०० या ४०० गांव वहां के ऐसे हैं जो ६० से ८० प्रतिशत तक बर्बाद हो गये। वहां पर केवल फसल ही बर्बाद नहीं हुई वरन् उनके मकान भी नष्ट हो गये, जानवर भी नष्ट हुए। मंत्री जी को सूचना मिली है कि केवल २१३ गांवों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि १८ फरवरी, १९७० को वर्षा हुई और जिसके साथ ओले भी गिरे उसमें विशेषकर तहसील फूलपुर के गांव पूरनपुर, बेनीपुर, चितरहा, चिन्तामनपुर आदि गांवों में खड़ी रबी की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई और वहां के किसानों का पचासों हजार रुपयों का नुकसान हो गया और वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। जनहित इसी में हैं कि वहां की मालगुजारी, सिंचाई, तकावी आदि की वसूलयाबी तुरन्त ही मुल्तवी कर दी जाय। जिस प्रकार से दिल्ली में नादिरशाही से कत्लेआम मचा था उसी प्रकार से यहां पर भी नौकरशाही चल रही है।

आज प्रदेश के ४ करोड़ काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं उनका लगान अविलम्ब माफ किया जाना चाहिये। जब १९१६ में गांधी जी दिल्ली और बनारस गये तो वहां की स्थिति को देख कर उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि तमाम बड़े-बड़े शहरों में ठाट-बाट है, बड़ी-बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन रही है। वह रुपया क्यों नहीं गांवों में दिया जाता है। उस रुपये को गांवों के लोगों के पास पहुंचना चाहिये। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी राहत दिलाने का काम शुरू होना चाहिए और तकावी का रुपया बांटा जाना चाहिये। जहां पर आपने २०,००० रु० और एक लाख रुपये राहत देने का निर्णय लिया है वहां पर आप कृपया ५ लाख रुपये का प्राविधान कर दें तभी आप किसानों को राहत दे पायेंगे।

कई सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, हमको भी बोलने का मौका मिलना चाहिये।

(श्री स्वामी प्रसाद सिंह को पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, हमको मौका मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय माननीय स्वामी प्रसाद सिंह बोलेंगे। मैं सबको टाइम दूंगा।

श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहबाद)---

इलाहाबाद की कई तहसीलों में नुकसान हुआ है । मैं आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद सूखाग्रस्त है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको टाइम मिलेगा । अब माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी को बोलने दें । दोनों तरफ के सदस्यों को टाइम दिया जाता है---इधर वालों को भी दिया जाता है और उधर वालों को भी दिया जाता है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)---

मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा । मैं आपका ध्यान बांदा, हमीरपुर और फतेहपुर जिलों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने कुछ पत्र दिये थे, मगर उन पर कोई रिपोर्ट नहीं आयी । सरकार की तरफ से यह रिपोर्ट आनी चाहिए थी कि किन गांवों में क्या नुकसान हुआ और वहां पर क्या सहायता दी गयी । इसका विवरण हम लोगों को सुनाया जाये कि सरकार ने क्या सहायता दी, तभी तो हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज तो केवल दो ही जिलों---इलाहाबाद और झांसी के सम्बन्ध में बहस होनी है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

बांदा, हमीरपुर और फतेहपुर के बारे में भी होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष महोदय ने क्या निर्णय लिया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, बहस के लिए कोई तारीख मुकर्रर कर ली जाये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष महोदय ही उसकी तिथि नियत कर देंगे । चर्चा का जो समय है उसे वे नियत कर देंगे । मैंने यह समझा कि आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं ।

कई सदस्य---

उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी समय मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जितने सदस्य भी बोलना चाहते हैं, सबको मौका मिलेगा । इस समय जितने भी ४---५ माननीय सदस्य खड़े हैं, सबको मौका मिलेगा । यह कैसे हो सकता है कि एक ही समय में सब लोग बोलें ।

*श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । राजस्व मन्त्री जी ने बताया कि इलाहाबाद की केवल ४ तहसीलों में पत्थर का प्रभाव पड़ा है । मैं उनसे बिलकुल असहमत हूं । जिस जिलाधीश ने इस रिपोर्ट को भेजा है मालूम पड़ता है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामचरण]

उन्होंने अपने दफ्तर में बैठे बैठे इस रिपोर्ट को भेजा है और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त नहीं की। इसी कारण उन्होंने गलत-सलत रिपोर्ट यहां पर भेज दी। इलाहाबाद जिले की सिराथू तहसील सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। १८ तारीख और २४ तारीख को वहां पत्थर पड़ा। काश्तकार अपनी फसल को देख कर खुश हो रहा था। इस पत्थर पड़ने का परिणाम यह हुआ कि वहां अब केवल डंठल ही शेष रह गये हैं। इस तहसील के तहसीलदार मई-जून का यानी रबी का लगान वसूल कर रहे हैं। अमीनों के अलावा स्वयं जा-जा कर वसूली कराते हैं। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान सिराथू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके साथ ही साथ दुआबे की ओर भी उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे ऐसे आदेश करें जिससे कि किसानों को सुविधा मिले। उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं और उन बेचारों को तहसील में बन्द किया जा रहा है। आप तहसीलदार द्वारा दिलाये जा रहे इस कष्ट से उनको बचावें। मेरी तहसील में भी एक ढाका रोड है जिसको अप्रैल से बनना है। आपके माध्यम से मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को अविलम्ब बनवाना शुरू कर दें जिससे जो बेरोजगार किसान हैं उनको मजदूरी मिलना शुरू हो जाय। इसके साथ-साथ यह भी प्रार्थना करूंगा कि एक दो दिन के अन्दर वहां के तहसीलदार को आदेश कर दें कि राजस्व ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार की वसूली जैसे इंडस्ट्रियल लोन है या तकावी है उसे भी स्थगित कर दें जिससे कुछ समय काश्तकार को मुसीबत से बचने को मिल जाय।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि पांच मिनट का समय भी न दिया जाय लेकिन सरकार वहां राहत का काम शुरू कर दे। पांच मिनट में क्षेत्र की पूरी बात नहीं कही जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सबको समय मिल जाय आप अपनी बात कह लें।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

श्रीमन, यह दुआबा का क्षेत्र कभी सूखा से पीड़ित रहता है तो कभी ओले से। वहां की तीन तहसीलें चायल, मंझनपुर और सिराथू हैं। इन तीनों तहसीलों में सूखा पड़ा था और मैंने इस सदन में उसकी रिपोर्ट रखी थी और कहा था कि राहत का कार्य शुरू किया जाय। आज भी आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लगान की वसूली मुलतवी करने के लिए और कुर्की का आदेश रोकने के लिए मैं जिलाधीश के पास गया तो उनका उत्तर था कि यह आदेश तो राज्य सरकार का है। एक तरफ तो किसान सूखा और ओले से पीड़ित है और उसके पास गल्ला भी नहीं कि उसे बेच कर लगान दे दे तो ऐसी हालत में उसके बैल कुर्क किये जा रहे हैं, बच्चे और औरतें बंद की जा रही हैं तो यह सरकार के लिए बड़ी बदनामी की बात है चाहे वह कोई सरकार हो। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि तुरन्त वायरलेस द्वारा जिलाधीश को आदेश दें कि वे वसूली को स्थगित कर दें और कुर्की को रोक दें।

दूसरी बात यह है कि इस रिपोर्ट में ३२३ गांव दिखाये हैं। तो चायल तहसील में ही २२३ गांव हैं, बाकी गांवों का जिक्र ही नहीं है। आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि ओले से वहां बहुत नुकसान हुआ है और इस तरह हुआ है कि किसान खेत में हंसुआ नहीं चला सकता, भगवान ने ही हंसुआ चला दिया है। रिपोर्ट में पढ़ा है कि सरकार ने एक लाख रुपया तकावी दी है। जबकि २२३ गांव केवल एक तहसील में हैं और चार तहसीलें हैं तो एक लाख से क्या होगा? जब सरकार इतनी फिजूलखर्ची और पैसा बरबाद कर चुकी है तो क्या कारण है कि विपदा के समय एक लाख रुपया ही दिया जा रहा है। दूसरी बात जो यह २० हजार रुपया खैरात बांटने की बात है वह इस सरकार के लिये लज्जा की बात है क्योंकि २० हजार रुपयों में २२३ गांवों में कुछ नहीं हो सकता।

अगर सरकार जनता को भीख ही देना चाहती है तो २ लाख रुपये दे ताकि चायल, मंझनपुर, सिराथू की जनता इस सरकार को आशीर्वाद दे सके ताकि यह सरकार अपने पूरे समय तक चल सके और गरीब किसानों का आशीर्वाद ले कर हमारे मुख्य मंत्री जी पर जो आरोप लगाये जाते हैं वह गलत साबित हो सकें।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन दिन हुये इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में गया था। वहां तरहार और बारा क्षेत्र के कुछ गांवों के नाम भी आपके सामने रखूंगा जहां फसल बिल्कुल नष्ट हो गयी है। इन गांवों के नाम हैं चायल तहसील में काजू, चरना, तरहार, खुरहट, कोइलहा, पूरामुफ्ती तथा करछना तहसील के बारा परगने के मीरापुर, बेमरा, रेप्टहा, बासी इत्यादि और मेजा तहसील के कोठारघाट तथा ओठगीतरार। यह सही है कि इस समय चायल, हंडिया और फूलपुर में उपलवृष्टि हुई है। यह १९ तारीख को वहां हुआ। लेकिन २४, २५ और २८ की रात को वहां पुनः ओले पड़े। इलाहाबाद जिले में पिछले ३—४ वर्षों से अकाल पड़ रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा राजस्व मंत्री जी से कि तीन दिन का अवकाश हो रहा है। वह स्वयं इन जगहों का और झांसी का दौरा कर लें तो उनको स्थिति मालूम हो जायगी। मेरा सुझाव है कि वहां सस्ते गल्ले की दुकानें खोलें, टेस्ट वर्क खोलें और करछना क्षेत्र की कुछ सड़कें मंजूर हो गयी हैं, वह अप्रैल से चालू होंगी, उनको अभी से चालू कर दिया जाय। इसके अतिरिक्त २० हजार रुपया बहुत कम है चार तहसीलों के लिये। कम से कम प्रत्येक तहसील के लिये एक लाख रुपया तो बांटा जाय। और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बांटने का काम सरकारी कर्मचारियों को दे देते हैं। मैं सरकारी कर्मचारियों का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन वहां कुछ ऐसा दुर्भाग्य है कि जो लोग तकावी वगैरह बांटते हैं उनमें कुछ गलत लोग आ गये हैं। तो कोई ऐसा प्रबन्ध करें कि वह रुपया उनको मिल सके।

इस के अलावा मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि जो लगान वहां वसूल किया जा रहा है वह पिछले तीन साल का बकाया वसूल किया जा रहा है। जिलाधीश चतुर्वेदी जी से मैं मिला था। वह शंकरगढ़ तक गये हैं और उनकी मोटर बरवा तक गयी है, गांवों तक नहीं गयी है। वहां मोटर जा ही नहीं सकती। इलाहाबाद सचमुच बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। वहां पर कई ऐसे स्थान हैं जहां ऊंट पर बैलट पेपर जाते हैं। तो ये तीन-चार चीजें प्रमुख रूप से की जाय, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं, टेस्ट वर्क चालू किये जांय, मंत्री महोदय स्वयं दौरा करें और कम से कम चार लाख रुपये दिये जायं।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट राजस्व मंत्रीजी ने प्रस्तुत की उसे मैंने देखा। इलाहाबाद जिलें में जो चार तहसीलें बतायी गयीं उनमें करछना तहसील में पत्थर के साथ बारिश से भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां के जमुना पार क्षेत्र में मेजा और करछना दो तहसीलें आती हैं। पिछले साल बाढ़ से भी ये दो तहसीलें बहुत दुःखी हुई थीं और इस साल पत्थर और बारिश से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जो सहायता आगे की जायगी वह तो होगी ही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी प्रकार की वसूली तत्काल रोक दी जाए। राजस्व मंत्री जी ने कहा कि जहां ५० प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है वहां हम रोकने जा रहे हैं। यह फरवरी का महीना है। वहां लोगों के पास कुछ खाने को नहीं है और सब तरह की वसूली भी तेजी से की जा रही है। और कहीं-कहीं पर तो अगली फसल की वसूली अभी से तहसीलदार और अमीन करने लगे हैं, मेरा निवेदन है कि मंत्री जी तत्काल आदेश दें कि पूरे जिले में और विशेषकर जमुना पार की करछना और मेजा तहसीलों में वसूली बन्द की जाय और उसके बाद इस नुकसान का हिसाब बनाया जाय। यह एक लाख रुपया २५ लाख की आबादी के लिये सहायता हेतु बहुत कम है। जिन स्थानों का इस रिपोर्ट में जिलाधीश का संकेत है उसके अलावा भी वहां उपलवृष्टि से हानि हुई है और यह अन्दाजा उनके यहां से पूरा नहीं आया है, पूरे जिलें में हानि हुई है, इसलिये वहां से पूरी रिपोर्ट मंगाई जाय और तकावी की रकम उसको देख कर बढ़ाई जाय।

[श्री रामकिशोर शुक्ल]

इसके अलावा नहर व सड़क आदि के जो कार्य वहां शुरू होने वाले हैं जैसे सिरसा-मदराघाट रोड। वह तुरन्त शुरू किये जायं उससे वहां के गरीब किसान मजदूरों का लाभ होगा और उससे उनको राहत व सुविधा मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वयं इलाहाबाद जिले के लिये थोड़ा समय निकाल कर वहां देखकर विशेष सहायता देने की कृपा करें।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन जो उपलवृष्टि इलाहाबाद में हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं दो सुझाव इस विषय में दूंगा माननीय मंत्री जी को वह सौभाग्य से लोकसभा के सदस्य भी हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछली सितम्बर मास से मदरास या तामिलनाड में जहां पर कृपा की नजर केन्द्रीय सरकार की है, जो भी हो वहां थोड़ा-सा ही सूखा पड़ा था, मैं उन दिनों मदरास में ही था मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि वहां पर सूखा कहां था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने वहां के लिये २४ करोड़ रुपया की सहायता दे दी। मैं वर्तमान सरकार की कठिनाई से भिज्ञ हूं, हो सकता है कि वह पूरी सहायता देने की स्थिति में न हो इसलिये मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह तत्काल प्रधान मंत्री महोदय से निवेदन करें, वह उन का जिला है, उनका नगर है और साथ ही बुन्देलखंड के इलाके में जहां पर उपलवृष्टि हुई वहां की तत्काल सहायता के लिये उनसे प्रार्थना करें। उन्होंने मदरास के थोड़े से सूखे के लिये अभी २४ करोड़ रुपया दिया है और यहां तो यह एक हकीकत है और यहां सारी फसल सत्यानाश हो गई है और वहां का कोई क्षेत्र नहीं है जहां ओले से या अधिक वर्षा से फसल नष्ट हुई हो। कहीं ओला पड़ा है, कहीं वर्षा अधिक हुई है, ४ तहसीलों की बात नहीं है मंझनपुर, सिराथू और हंडिया में सब जगह नुक्सान हुआ है। उस नुक्सान को देखते हुये यह एक लाख रुपया कुछ भी नहीं है और जिला अधिकारी क्या सहायता उस से कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां का दौरा कर के देखें कि किस तरह से खड़ी फसल नष्ट हुई हैं, वह लोक सभा के सदस्य भी हैं, वह केन्द्र सरकार से अनुरोध करें कि कम से कम १ करोड़ रुपया इन क्षेत्रों की सहायता के लिये दिया जाय। मुझे आशा है कि उनकी यह उचित मांग स्वीकार होगी और इस क्षेत्र के किसानों को तुरन्त राहत मिलेगी।

जहां तक तकावी की बात है हमारा क्षेत्र भीषण सूखे से ग्रस्त रहा है और वहां के लोगों ने कोई न कोई तकावी अनेक मदों में ले रखी है। और नियम यह है कि जब तक पिछली तकावी की वापसी नहीं हो जाती नई तकावी की रकम नहीं दी जा सकती। जिन की फसल अभी चौपट हो गई है और जिनके पास पिछली भी तकावी बकाया है वह उससे महरूम रह जायेंगे। उनके लिये सहायता न होने पर मृत्यु का संकट पैदा हो जायगा इसलिये कृपा कर के उन को नियम शिथिल कर के हर प्रकार की सहायता दी जाय। केन्द्री सरकार से रुपया लेकर उन को अनुदान के रूप में दिया जाय ताकि वे अपना भरणपोषण कर सकें। उनके लिये खाने, चारे की व्यवस्था और मकान आदि के लिये फौजी सहायता बहुत ही आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हमारी इन भावनाओं को मंत्री जी केन्द्र तक पहुंचा दें ताकि तत्काल कुछ आर्थिक सहायता इन लोगों को मिल सके।

नम्बर दो उनके इस सुझाव का मैं समर्थन करता हूं कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जितनी सड़कों का निर्माण एक या दो महीने बाद होना है, उनको तुरन्त आरम्भ कर दें। उससे दो फायदे होंगे—एक तो इससे राहत का काम होगा और दूसरे जो सड़कें मंजूर हैं, उन पर काम आरम्भ हो जायगा। इससे थोड़े पैसे में ही वहां के निवासियों को राहत मिल सकती है। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे वहां की गहराइयों पर जायें और केंद्रीय सरकार से बात करके अच्छी धनराशि प्राप्त करें और इन से इन किसानों को सहायता पहुंचायें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये मैं उन्हें यहां पर बार बार दुहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि यहां पर बहुत-सी बातें आ चुकी हैं। ओले की बात के संबंध में विचार करते समय मेरा निवेदन है कि इसे केवल ओले का विषय न रखा जाय अपितु इन ३ बातों पर विचार अवश्य किया जाय। एक तो ३ या ४ वर्षों से वहां पर सूखा पड़ रहा है। मेरे खयाल में इलाहाबाद पूरे प्रदेश में सूखे का भीषण शिकार रहा है। पिछली खरीफ की फसल धान में कीड़ा लगने के कारण खराब हुयी है। इस फसल से वहां के किसानों के हृदय में कुछ आशा बंधी थी लेकिन ओला और वर्षा होने के कारण जो फसल बरबाद हुयी है उससे और भी निराशा हुयी है। तो एक तो सूखे के संदर्भ में भी यह घटना देखी जाय। किसानों के घाव पूरे भी नहीं हो पाये थे कि वे बिल्कुल जरजर हो चुके हैं।

अब एक और बात यह है कि वहां पर वृष्टि हो गयी है और जो ओला पात हो गया है, उनकी स्थिति और बिगड़ गयी है। १६ तारीख को वहां पर ओला गिरा और वर्षा भी हुयी है। केवल ४ तहसीलों की बात नहीं है। नुकसान तो सारे जिले में हुआ है। जहां पर खेतों में पानी इकट्ठा हो गया है वहां पर खड़ी फसलें खराब हो गयी हैं। ओला खास तौर से करछना, चायल, मंझनपुर और सोरांव तहसीलों में गिरा है। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि सिराथू में भी नुकसान हुआ है। मैं तो वहां नहीं गया लेकिन वे झूठ नहीं कहेंगे, वहां पर भी ओला पड़ा होगा लेकिन असामयिक वर्षा से तो सारे जिले में नुक्सान हुआ है। मैं परसों अपने क्षेत्र में गया था। मैंने प्रायः किसानों से सुना है कि सरकारी कर्मचारी वहां पर लगान तकावी और सिंचाई के कर आदि का जो बकाया हिसाब-किताब है उसकी वसूली बड़े जोरों से कर रहे हैं। तो यह समय नहीं कि जब कि किसानों पर घोर विपदा पड़ी है तब उनसे हमारे कर्मचारी बेरहमी से पैसा वसूल करें, वारन्ट निकालें और उनको धमकियां दें। हमारी प्रजातांत्रिक सरकार है और संकट के समय सरकार की ओर से कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिये बल्कि वहां के किसानों को आश्वासन होना चाहिये और जैसा कि हमारे साथियों ने कहा हमारे माननीय राजस्व मंत्री अगर वहां पर पहुंच जायं तो किसानों को बहुत ही ढाढस बंधेगा। और वे यह महसूस करेंगे कि हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, हमारी सरकार है। आज जो उनसे पिछले ३-४ सालों की बकाया एक साथ वसूल की जा रही है, यह भी नहीं होना चाहिये। किसान इस हालत में नहीं है कि वे लम्प-सम यानी एक साथ सब बकाया अदा कर सकें। हर हालत में उनको किस्तें तो एलाऊ कर ही देना चाहिये। इसके अलावा जो काम और सड़कें आदि बनाने के वहां २-४ महीने बाद होने हैं उनको अभी से शुरू कर देने चाहिये जिससे कि किसान यह समझने लगें कि संकट के समय हमारे लिये सरकार कुछ कर रही है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को भी यह आदेश होने चाहिये कि वे वसूली में किसी प्रकार की सख्ती न करें। एक बात और कहना चाहता हूं। सरकार अकसर संकट के समय २०-२५ रुपये प्रति काश्तकार सहायता के रूप में दे देती है। पता नहीं यह नीति अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही है या क्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे किसानों को कुछ लाभ नहीं होता। इसकी जगह किसानों को संकट के समय वास्तविक राहत पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिये, यही मेरा विनम्र निवेदन है।

*श्री श्याम सूरत उपाध्याय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, इलाहाबाद जिले की ४ तहसीलों के बारे में ही रिपोर्ट सरकार के पास आयी है कि वहां ओला पड़ा है, परन्तु मुझे खेद है कि हंडिया तहसील के बारे में कोई सूचना सरकार के पास वहां के अधिकारियों ने नहीं भेजी। मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान हंडिया तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां की रिपोर्ट वहां के परगनाधीश जो बद्रीनारायण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्याम सूरत उपाध्याय]

मिश्र हैं जो प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं उनके कारण नहीं आयी। वे बड़े ही आराम तलब हैं, तहसील का दौरा करना वे कभी पसंद नहीं करते, अदालत में बैठ कर मुवक्किलों को डांटना ही उनकी आदत है जिसके कारण मारपीट तक की नौबत आयी है। एक इसी तरह का इस्तगासा भी उनके खिलाफ दायर हुआ है। उनके संबंध में एक शिकायती-पत्र भी जिलाधीश महोदय तथा सरकार के पास आया है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे परगनाधीश के रहते हुए सरकार यह उम्मीद न करे कि हंडिया तहसील के बारे में सही रिपोर्ट उनसे प्राप्त होगी। हंडिया तहसील में भी ओला पड़ा है। मैं शनिवार को अपने क्षेत्र में गया था। राजित राम पांडेय जी भी हंडिया से चुनकर आये हैं। वहां पर कई गांवों में ओले पड़े हैं। मैंने जब कई गांवों के लोगों से सम्पर्क स्थापित किया तो मालूम हुआ कि ओला बहुत पड़ा और इतनी ज्यादा बरसा हुई कि फसल थोड़ी बरबाद हो चुकी है। गेहूं की जो फसल अच्छी थी वह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन फिर भी हंडिया तहसील के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई।

वहां के जिलाधीश ने क्यों वहां की वस्तुस्थति की रिपोर्ट नहीं भेजी ? विशेष रूप से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप इस ओर सोचें। वहां की सड़क जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है जंघई से सवई तक ६ मील की, उसे जल्दी बनवाने के आदेश देने की मंत्री जी कृपा करें। इससे भी लोगों को थोड़ी राहत मिल सकेगी। जैसा कि बाबू रूपनाथ ने फूलपुर के बारे में बताया है कि कई गांवों में बुरी तरह से ओला पड़ा है और ८० फीसदी फसल वहां की बरबाद हो चुकी है, यह वाकया बिलकुल सच्चा है। मुझे भी उसके उत्तरी इलाके में जाने का मौका मिला और मुझे वहां के लोगों ने रिपोर्ट दी कि फसल का नुकसान हो चुका है, फिर भी तकावी वसूल की जा रही है। अभी राजस्व मंत्री जी ने बताया कि वसूली स्थगित कर दी गई है। लेकिन पता नहीं किस प्रकार के आदेश हैं कि अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इतवार के दिन भी अमीन गया था। उसने लोगों को धमकी दी कि यदि तकावी नहीं दोगे तो तुम्हें बन्द कर देंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप तत्काल आर्डर भेजवा दें और फूलपुर तहसील में जो इस तरह की धांधली हो रही है उसको रोकें। फूलपुर तहसील के उत्तरी इलाके के ४–५ गांव ऐसे हैं जहां बुरी तरह लोग त्रस्त हैं। मैं उन गांवों के नाम आपको बता देना चाहता हूं। ये गांव मुबारकपुर, सराय खुन्दमी, भेलवन, सवहांडीह, अतरौला, कपसा है।

*श्री बिश्वनाथ प्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय धर्मवीर जी ने बड़ी ही सहानुभूति प्रकट की माननीय राजस्व मंत्री की ओर। उन्होंने यह सहानुभूति प्रकट की कि प्रांत के साधन इतने नहीं और केन्द्र से कहा जाये। उनकी हमदरदी की मैं दाद देता हूं। लेकिन इस प्रांत के साधनों पर पत्थर कहां से गिरे और किसने गिराया, इस पर भी आप गौर करें। प्रदेश के साधनों में १२५ करोड़ की कमी हुई है और जो उपल पड़े हैं इसकी क्षति कैसे पूरी होगी इस पर भी विचार करें केंद्र की ओर जाने से पहले। मान्यवर, इलाहाबाद में ४ वर्ष के सूखे के बाद इस बार धरती पर हर फसल लहलहाई थी, किसान का मन लहलहाया था और वह अपनी फसल काट कर अपने खलिहान में ले जाने के लिए आशान्वित हुआ था। तभी आकाश से पत्थर की बरसा हुई। आशा के बाद यह घोर निराशा किसान के लिए एक बहुत ही कष्टदायक घटना है। जबकि यह आपके सामने फूलपुर, करछना, चायल और सोरांव क्षेत्र की रिपोर्ट आई है, इसमें सोरांव की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें उन इलाकों में पत्थर पड़े हैं जिन में सिंचाई के साधन नहीं जिनमें किसी और ढंग से खेती नहीं कर सकते, उसमें फूलपुर तहसील भी है । मैं सोरांव निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं । इसके अतिरिक्त चूंकि मेजा तहसील के निर्वाचन क्षेत्र के माननीय सदस्य नहीं हैं, मैं वहां का निवासी हूं उस क्षेत्र की ओर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । धसरी गांव, गोबरी गांव, और छड़ंगड़ा गांव में इस तरह की उपलवृष्टि हुई है कि गोबरी में पेड़ की पत्ती तक नहीं रह गयी है और फिर पत्ती उगने की आशा नहीं है । वहां फसल केवल स्थगित नहीं हुई है खत्म हो चुकी है इसलिये लगान स्थगन न किया जाय, छूट की जाय । जब इस तरह की राहत का मसला आता है तो लगान की छूट और मुल्तवी की बात आती है लेकिन आज किसान पर लगान का इतना बोझ नहीं है जितना तकावी, सिंचाई के रेटों और फर्टिलाइजर वगैरह के कर्जे का बोझ है । इसलिये जब भी छूट या मुल्तवी की बात सोची जाय तो उनकी भी छूट और मुल्तवी की बात की जाय । जब उसके खेत में कुछ पैदा ही नहीं हुआ तो वह इन सब चीजों की अदायगी कैसे करेगा ? इस पर अवश्य विचार होना चाहिये । जिन बातों को माननीय सदस्यों ने कहा है उनको दोहराना नहीं चाहता । केवल एक वाक्य में कहना चाहता हूं कि कोई जबरदस्ती वसूली न की जाय और तकावी की मात्रा बढ़ायी जाय । इन बातों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इलाहाबाद जिले में जो क्षति हुई है उसके ऊपर पूर्ण ध्यान दिया जाय ।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जिले के बारे में हमारे माननीय सदस्य अभी कह चुके हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि झांसी जिला प्रदेश में सबसे अधिक गल्ला पैदा करने वाला जिला है । पिछले वर्ष बांधों में पानी कम भरा इसलिये सूखे के कारण फसल खराब हुई और इस वर्ष बारिश होने से और खासतौर से दीवाली के मौके पर बारिश होने से ज्वार की फसल जमीन पर बिछ गयी । सरकार जो चार-पांच लाख टन ज्वार की खरीद करती थी वह एक मन की भी खरीद नहीं कर सकी । इस वर्ष जो ओले पड़े हैं कत्लों के शक्ल में पड़े । उन्होंने फसल को कैंची की तरह काट दिया । मकानों की बड़ेरें तक टूट कर गिर गयीं । अगर ये ओले रात में न पड़ कर दिन में पड़े होते तो मनुष्यों और पशुओं की सैकड़ों की तादाद में मृत्यु की रिपोर्ट होती । उन किसानों के खेतों पर ओले पड़े । आज खाने तक के लाले हैं । उनके अतिरिक्त जो खेती पर काम करने वाले हैं, कम से कम ५० हजार मजदूर लालपुर सबडिवीजन का ऐसा था जो उनके खेतों को काट कर महीने दो महीने गुजर करता था ।

आपने २० हजार रुपया दिया । इसमें से ८,८ आना भी उन लोगों को नहीं पड़ेगा । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम १,१ लाख रुपया उन तहसीलों को दिया जाय जहां पर ओला पड़ा है । वहां पर जो लोग फसल पर ही अपना निर्वाह करते थे उनके पास अब फसल नहीं रह गई है । वह तो संकट है ही पर उनके सहायता करने के लिए कम से कम ५,६ लाख रुपया वहां पर दिया जाय । टेस्ट वर्क वहां पर खोले जायं । जो भी काम वहां पर होने को हैं वे शीघ्र से शीघ्र पूरे किये जायं ।

एक निवेदन और करना चाहता हूं । अभी राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि तकावी बन्द कर दी गई है लेकिन मुझे मालूम है कि लगान के अलावा जो छोटी-मोटी माल की तकावी है वह अब भी सख्ती के साथ वसूल की जा रही है । आप जानते हैं कि सारी देनदारी और सारे ऋण की देनदारी फसल के ऊपर होती है । इसलिये वहां पर सब प्रकार की वसूली बन्द की जाय यह मेरी प्रार्थना है । इसके साथ ही वहां पर लोगों को कर्जा देने के लिए कम से कम २० लाख रुपया दिया जाय । तकावी बांटने की भी आवश्यकता है और जो लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी]

मजदूरी करने नहीं जा सकते हैं उनको भी कर्जा लेकर गुजारा करना होगा । इस वजह से इतनी रकम के बिना उनका काम चल नहीं सकता है क्यों कि ३, ४ महीने में वह अपना इन्तजाम कर सकेंगे । इतना ही मुझे अर्ज करना था और मुझे आशा है राजस्व मंत्री महोदय झांसी जिले की इन तहसीलों की तरफ ध्यान देंगे ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण (जिला बांदा)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि १७ तारीख से मेरे उस क्षेत्र में २५ तारीख तक तीन राउन्ड उपलवृष्टि के हो चुके हैं लेकिन वहां के जिलाधिकारियों ने इस बात की सूचना सरकार के पास भेजने की कृपा नहीं की है यह आश्चर्य की बात है । आप भलीभांति परिचित हैं । मैं बांदा के चित्रकूट से आया हूं जहां पर लोग परलोक सुधार के दृष्टिकोण से बहुत जाते हैं लेकिन वहां के लोगों की गिरी हुई दशा और वहां की दयनीय दशा को देखने के लिए, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए शायद ही कोई जाता हो । मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि पिछले ५ वर्षों से लगातार वहां पर सूखा पड़ता चला आया है । पानी तक वहां पर राशन की तरह बटता है और ट्रकों से वहां पर सप्लाई होती है । इसकी जानकारी पहले जो भी सरकार यहां रही हो और जो अब भी है उस सबको है लेकिन मुझे दुख है कि आज तक जब कि वहां पर गांव के गांव उपल वृष्टि से पूरी तरह से बरबाद हो गये हैं, महुआ गांव, लमिहारी और झुझाई गांव तो बिल्कुल ही तबाह हो गये हैं, वहां पर खपरैल भी नहीं रह गया है । लेकिन कोई खयाल नहीं किया गया है, वहां के जिलाधिकारियों ने आज तक सरकार के पास सूचना तक भी नहीं भेजी है ।

मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के जिला अधिकारियों से पूछा जाय कि ऐसी परिस्थिति के पैदा होते हुए भी उन्होंने वहां की सूचना क्यों नहीं भेजी ? सरकार मदद करती है और कल्याणकारी सरकार का यह कर्तव्य भी है कि वह सुख दुख में साथ दे लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ५ साल से जो लगान रोका गया है वहां पर वह किन परिस्थितियों में रोका गया है। इस पर विचार करें। जिन परिस्थितियों में रोका गया है शायद उसकी जानकारी आपको नहीं है । भगवान जाने क्या गोरखधन्धा है। सरकारी कागजात का कि कुछ समझ में नहीं आता । जब वहां पर वसूली का समय आता है तब वहां पर बकाया किसानों के ऊपर निकल आता है । कहीं २५ पैसे छूट है कहीं कुछ । लेकिन यह ऐसा गोरखधंधा है कि बकाया कहीं न कहीं से जरूर निकल आता है । बुरी तरह से वसूल होना शुरू हो जाती है । २५ तारीख को नांदिन गांव में मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की की बारात थी लेकिन अमीन दरवाजे पर खड़ा था । उस गांव में बुरी तरह से ओला पड़ा है लेकिन तब भी यह स्थिति है । मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि बांदा जिले की करवी तथा मऊ तहसीलों में सूखा पड़ा और वे उपल वृष्टि से पीड़ित हो गये । लेकिन वहां न कोई विकास कार्य हुआ है, न सड़कें हैं, न नहरें हैं । रबी में बारिश हो गयी थी तो कुछ फसल दिखलाई देने लगी । लोगों को आशा होने लगी लेकिन बीच में ही वसूली का चक्कर चालू होने लगा। ५ साल से सूखा पड़ रहा था तो कम से कम फसल की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिये थी, फसल कट जाती और किसान के घर में गल्ला आ जाता लेकिन जिला अधिकारियों का काम शुरू हो गया, वसूली शुरू हो गयी । फिर भगवान से भी न देखा गया और उपल वृष्टि हो गयी । इस मुसीबत में बांदा जिला गिरफ्त है ।

गवर्नर के सम्बोधन को सुन कर बड़े-बड़ी आशायें बधीं थीं लेकिन मुझे निराशा हुई क्योंकि जो भी सरकार आती है लम्बे-लम्बे वायदे करती है । पिछली बार सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करके बागे नदी पर ७२ लाख की पम्प कैनाल की योजना मंजूर कराई थी लेकिन पूरा साल बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । बाद में बतलाया गया कि अभी इस तरह की योजनायें नहीं ली जा रही हैं और जहां प्रभावशाली व्यक्ति का क्षेत्र होगा वहां पर योजनायें ली जायेंगी ।

तो इन परिस्थितियों में बांदा पिछड़ रहा है। वह ऐसा क्षेत्र है जिस पर मंत्री महोदय की विशेष रूप से कृपा होनी चाहिये। मैं अनुरोध करता हू कि जिला अधिकारियों से अविलम्ब रिपोर्ट मंगा कर इस पीड़ित क्षेत्र की जो सहायता हो सके वह की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब सवा ६ बजे तक भाषण होंगे, फिर उनका उत्तर माननीय मंत्री देंगे।

श्री राजित राम पांडेय—

दो- दो मिनट प्रत्येक सदस्य को दे दिये जांय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है।

श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जिले में सोरांव तहसील में १९ फरवरी को अत्याधिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो गयी है। वहां फसल को इस प्रकार नुकसान हुआ है कि फसल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे काट दिया है। जिन गांवों की फसल पूर्णरूप से नष्ट हो गयी है उनके नाम इस प्रकार हैं, जहां का मैंने स्वयं दौरा किया है।

मुबारकपुर, पूरन कछार, मुबारकपुर ऊपर, हार, सराय जयराम, करीमुद्दीनपुर, खिजिरपुर, कुरेसर, ककरा, रसूलपुर चांधन, चफरी टेकारी, मलिकपुर, फतेहपुर बुदौना, मूसेपुर ओठगी, गंगागंज, महझतपुर, हथगा, टिकरी, रामपुर, महरूडीह, मलाक हरहर, बहोरिकपुर, अरइसपुर, भदरी, मलाक चौधरी, गोरा, बखोली, लेहरा, सिंगारपुर, सराय बाहर, गोहरी, इस्माइलगंज, जल्लूपुर, विगहिया। लेकिन जिला अधिकारियों ने सूचना भेजी है कि इलाहाबाद में लगभग ५० प्रतिशत ही फसल को नुकसान हुआ है। लिहाजा इन गांवों की सूचना मंगाई जाय कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ है? तहसील के अन्य गांवों में भी २५ प्रतिशत की हानि हुई है।

मैं आप का ध्यान दिला रहा हूं कि इस क्षेत्रमें किसान अधिकतर आलू बोते हैं। लेकिन वह फसल नष्ट हो गई है। आज वह किसी भी कीमत पर लगान और तकावी देने में असमर्थ हैं। अधिकारी लोग बड़ी निर्दयता के साथ पेश आ रहे हैं। खाद बीज और लगान को सरकार वसूली कर रही है। किसान खेत में खाद डालता है, बीज बोता है और सिंचाई करता है और जब उसकी फसल आती है तो उस समय उसको पैसा मिलता है। इसलिये किसान उस समय पैसा देता है। लेकिन आज आलू व रबी की फसल बिलकुल नष्ट हो गई है। इसलिये लगान माफ कर दिया जाय और हर तरह की वसूली को स्थगित कर दिया जाय।

*श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इलाहाबाद के कलक्टर साहब की जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि वह सही नहीं है। मैंने खुद दो तहसीलों का दौरा किया है और दो दर्जन से ज्यादा गांवों को देखा है। ऐसा मालूम हुआ कि जिले में कोई तहसील ऐसी नहीं है जो अफेक्टेड न हो। जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि मेज पर बैठ कर रिपोर्ट तैयार की है।

मैं आपके जरिये मंत्री जी से अर्ज करना चाहता हूं कि वे एक दिन के लिये इलाहाबाद चल चलें और सरप्राइज विजिट दें तो असलियत मालूम हो जायेगी। इनकी रिपोर्ट बताती है कि आठ आने से नुक्सान कम है। जहां चार आने का नुक्सान है वहां पर १२ आने का नुकसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हबीब अहमद]--

निकलेगा। मेरे यहां चायल सब डिवीजन में डिप्टी साहब जीप पर तशरीफ ले गये। जीप पर बैठ कर एक आध खेत को देखकर चले गये। मैं उस दिन वहां नहीं था। दूसरे दिन गया तो गांव वालों ने बताया कि डिप्टी साहब आये थे और उन्होंने जीप पर बैठ कर रिपोर्ट तैयार की। इस तरह से बड़ा नुक्सान हो जायेगा। सैयद सरावां और कोरायां दो गांव मिले हुये हैं। वहां एक आध खेत बचा है और १५ आने से कम नुक्सान नहीं है। अगर मन्त्री जी तशरीफ ले जायं तो मालूम होगा कि रिपोर्ट सही है या गलत। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि रिपोर्ट गलत है। अभी सदस्यों ने कहा कि जहां रोड बनने वाली है वहां काम शुरू कर दिया जाय। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां सड़कों की योजना नहीं बनी है। वहां सड़कों के बनने की पहली अप्रैल से पहले कोई आशा भी नहीं है। वहां ओलों से सारी फसल खराब हो चुकी है। ऐसी जगहों पर टेस्ट वर्क जारी कर दिये जायं। ऐसे-ऐसे गांव हैं जहां के लोग खाने के लिये मोहताज हो गये हैं। इसलिये उनको कुछ राहत मिल जायेगी अगर वहां पर टेस्ट वर्क जारी कर दिये जायं। लगान और तकावी की वसूली को बिलकुल रोक दिया जाय। एक लाख की रकम जो मंजूर की और जिनको पैसा बंटना चाहिये, उनको नहीं बंट पायेगा। इसलिये मंत्री जी को चाहिये कि वह सरप्राइज विजिट करें जिससे उनको असलियत मालूम हो जाय।

डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, झांसी जिले की ललितपुर तहसील का जो हवाला दिया गया है वह तारीख १८-१९ को जो उपल वृष्टि हुई थी, उसके बारे में कहा गया है, २४-२५ के बारे में नहीं कहा गया है। मैं २८ तारीख को वहां गया और मैंने देखा कि जखौरा, ननदवारा, आलापुर और भंवरसिला आदि गांवों में तो फसल का एक दाना भी नहीं रहा है। जिलाधीश महोदय, जब तालबेहट में थे तो मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे कहा था कि कहीं ऐसा न हो कि जो पैसा ललितपुर के लिये मिले वह दूसरी तहसीलों को न दे दिया जाय। ललितपुर की हमेशा ही बड़ी भारी उपेक्षा बरती जाती है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप देख आइये कि किस-किस गांव में पानी की जरूरत है। यह पिछले साल की बात है। बहरहाल मैं भागा-भागा फिरता रहा। लेकिन जिलाधीश ने ललितपुर को कोई धन नहीं दिया। इस समय भी जो एक हजार रुपया ललितपुर के लिये दिया गया है, पता नहीं किस प्रकार से दिया गया है। जबकि ललितपुर के जखौरा ब्लाक में सबसे ज्यादा क्षति हुई है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर वसूली को रोकने का ही सवाल नहीं है। वसूली को रोकना तो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वहां पर खाद और बीज का पैसा माफ करने का है।

इसके अलावा टेस्ट वर्क्स तुरन्त चालू कर दिये जाने चाहिये। पूरे दैसवारा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण जो मंजूर हो गया है पूरा करें। जखौरा ब्लाक में दैसवारा सड़क का काम शुरू कर दिया जाय, इससे उधर का सारा क्षेत्र कवर हो जायगा और लोगों के रोजीरोटी का सवाल हल हो जायगा। पाली में भी जो कच्ची सड़क है उसका भी निर्माण-कार्य किया जाय। घटवारा सड़क का निर्माण भी कर दिया जाय।

इसके अलावा एक बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि रुपये आदि का बंटवारा पक्षपात रूप से किया गया तो हमारे क्षेत्र के निवासी इसको सहन नहीं करेंगे। हम लोगों ने बहुत दिन पहले जब राज्यपाल महोदय वहां गये थे, ललितपुर को जिला बनाने की प्रार्थना की थी जिससे हमारी सहायता करने के लिये जो रुपया सरकार से मिलता है वह हमको ही मिल जाया करे। दूसरे जिले में होने के कारण तहसीलों को यह रुपया चला जाता है और हमारी उपेक्षा कर दी जाती है।

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिर्जापुर जनपद की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह क्षेत्र सूखा तथा अतिवृष्टि का शिकार रहा है। गरमी के महीनों में केन्द्र के सिंचाई मंत्री माननीय के० एल० राव आये थे। उन्होंने वहां की जो स्थिति देखी, उससे वहां उनको वहां के क्षेत्र राबर्ट्सगंज के ऊपर बहुत दया आयी। यह अत्यन्त पिछड़ा और पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर १८-२-१९७० को बहुत जोर की वर्षा हुई, और ओले भी पड़े। ओले से हुये क्षेत्र की फसल को बहुत ज्यादा क्षति हुई है। वहां पर गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी अतिवृष्टि और ओले से बिलकुल ही नष्ट हो गयी। विजयगढ़ परगना और अगोरी परगना में तो बिलकुल ही फसल नष्ट हो गयी है। लेकिन सरकारी कर्मचारी वारंट आदि निकाल कर वसूली में लोगों को जेल भेज रहे हैं। इससे वहां की जनता में बड़ा भारी असंतोष व्याप्त है। ग्राम रोरवा के हरिजन शिव बरन और दूसरे खेत कटवा गांव के एक कुरमी को जेल भेज दिया गया है। जिसके पास खाने को दाना नहीं है, उसके बच्चे खाने के लिये तड़प रहे हैं, और उस को जेल भेज दिया, यह बड़े कष्ट और दुख की बात है। राबर्ट्सगंज तहसील में इन्द्र का बड़ा भारी प्रकोप रहा है।

हमारे माननीय मुख्य मन्त्रीजी का पदार्पण हुआ और ओलावृष्टि हो गई। वारिश अधिक होने से सारी फसल गिरकर सड़ने लगी है। इस कारण एक तरफ तो किसानों में असंतोष व्याप्त है और दूसरी तरफ उनसे लगान वसूली की जा रही है। मेरा राजस्व मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि लगान की वसूली स्थगित कर दी जाय तो वहां के लोगों को ज्यादा राहत मिल सकेगी।

*श्री राजित राम पाण्डेय--

आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आप हंडिया तहसील में पिछले वर्ष गये थे। वहां ४ साल से बराबर सूखा पड़ रहा है और वहां पानी भी नहीं मिला था। आपने खुद अपनी आंखों से देखा था। इसलिये मैं माल मन्त्री जी का ध्यान हंडिया तहसील की तरफ दिलाना चाहता हूं कि वहां के लोग ५ साल से लगातार सूखे से परेशान रहे हैं। जहां तक जिलाधीश की रिपोर्ट का सवाल है, मैंने उस दिन सदन में भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि एक बार वहां से रिपोर्ट बनकर आई तो कुछ उंचे कर्मचारियों या सरकार की तरफ से यह कहा गया कि ५० प्रतिशत से कम कर दो जिससे छूट न मिले। मैंने उस बार भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि हंडिया तहसील का बड़ा नुकसान हुआ है। वहां के लोगों ने महुआ खाकर जिन्दगी बसर की थी और आज फिर वही स्थिति आ रही है।

श्रीमन्, मैं ओलों की ही बात नहीं करना चाहता हूं, बरसात के कारण किसान की फसल नष्ट हो गई है। वह खेत में खाद डालता है, पानी देता है और जब फसल खत्म हो गई तो वह कहां से पानी और तकावी का पैसा दे। दो तीन साल से मुतवातिर वहां वसूली रोकी गई थी और वह फिर हंडिया की क्षति हुई लेकिन लगान वसूली की जा रही है। वहां के अमीन गरीबों के गहने, नथ वगैरह बिकवा रहे हैं। वहां पर मूस दंडकर रहे हैं लेकिन लगान वसूली की जा रही है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि वहां पर तकावी मुल्तवी न की जाय। जैसा कि अंग्रेजों के समय में ३ साल के बाद जो रकम बाकी रहती थी वह माफ कर दी जाती थी, तो मेरी दरख्वास्त है कि जो तकावी बाकी है, जैसे कि खाद की रकम है, वह, श्रीमन्, माफ कर दी जाय मुल्तवी न की जाय। अभी खरीफ की फसल मेंधान की फसल वहां पर खराब हो गई थी। आपसे पहले पिछली सरकार से हम लोगों ने इस बारे में लिख कर भेजा था कि धान की फसल बेकार हो गई है। जितना खाद, बीज और पानी डाला था वह सब नष्ट हो गया था और अब रबी की फसल आई तो वह भी नष्ट हो गई, हमारे साथी खेती करते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजित राम पांडेय]

लेकिन मजदूरों से कराते हैं। मटर की फसल में एक रोग होता है। सारी की सारी मटर उस रोग से नष्ट हो गई। मटर किसनवां रोग लगने से खतम हो गई है। जो मैं टांडा लगा हुआ है और गेहूं में गिरहीं लगी हुई है जिससे वह नष्ट हो गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो कि सूखे से पीड़ित रहा है और आज भी पीड़ित है, वहां वसूली रोकी न जाय बल्कि माफ कर दी जाय।

*श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट (जिला झांसी)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील के बारे में जो लिस्ट आयी है उसके लिये केवल ५०० रुपये दिये गये हैं जब कि वहां के तीन गांव—बिजना, हाटी और नौट में एक दाना भी अनाज का नहीं बचा है। जिलाधीश और हाकिम परगना वहां गये तक नहीं उन्होंने बैठे-बैठे ही यह रिपोर्ट तैयार की है। इसलिये तहसील की जितनी भी रिकवरी है उसको तुरन्त बन्द करवा दिया जाय। साथ ही जो सड़क वहां पर बंगरा से बिजना तक बनने वाली है उस पर तुरन्त ही काम लगा दिया जाय जिससे वहां के लोगों को काम मिल सके। साथ ही वहां के लोगों को अन्नदान भी बांटा जाय, कुछ तकावी भी दी जाय। इसी तरह से और काम भी वहां होने चाहिये। वहां के लिये ५०० रु० जो दिया गया है वह बहुत ही कम है।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुने और उनसे मैंने यह नतीजा निकाला कि दो तरह की बातें कही गयीं। एक तो इलाहाबाद के बारे में यह कहा गया कि जो जांच रिपोर्ट है वह ठीक नहीं है, वह गलत लगती है आप लोगों के दृष्टिकोण से। दूसरी बात इलाहाबाद के सम्बन्ध में यह कही गयी कि वहां के लिये जो मदद दी गयी वह पर्याप्त नहीं है। उसके बारे में मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि जहां तक इलाहाबाद की रिपोर्ट का प्रश्न है हम फिर से इस बात को देखेंगे कि वहां की सही रिपोर्ट हासिल करें और अगर उस रिपोर्ट में कोई गलती है तो जिसने भी गैर जिम्मेदारी के साथ यह रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ भी उचित कार्यवाही करेंगे।

जहां तक झांसी की बात है, उसके लिये २० हजार रुपये देने की बात कही गयी थी, इसके अतिरिक्त ३० हजार रुपया और दे देंगे और इस तरह से वह ५० हजार रुपया हो जायेगा। इसके अलावा और जो दूसरी बातें बतलायी गयीं, उन सब को देखते हुये जहां तक सम्भव होगा हम और अधिक सहायता देने का प्रयास करेंगे।

श्री प्रेम नारायण अहेरवार एडवोकेट—

जहां सिंडिकेट का क्षेत्र है वहां ५०० रुपये दिये जा रहे हैं और जहां इंडिकेट का क्षेत्र है वहां ज्यादा रुपये दिये जा रहे हैं।

श्री श्रीपति मिश्र—

हम सही जांच करायेंगे, जैसा कि मैंने बतलाया, और जांच में कोई गलती पायी गयी तो सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ जो उचित कार्यवाही होगी वह करेंगे।

एक बात यह कही गयी कि इलाहाबाद में वसूली रोक दी जाय। जहां तक इलाहाबाद का सम्बन्ध है उस सिलसिले में मालगुजारी के साथ-साथ जो अन्य कृषि देय हैं उनको रोक दिया गया है। उसके बाद भी अगर कहीं वसूली जारी है तो उसको तत्काल बन्द कर दिया जायेगा। झांसी जिले में मालगुजारी वसूली रोकने के साथ-साथ कुछ छूट देने की बात भी कही गयी। उसकी जांच हो रही है।..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णचन्द्र—

जितने भी इंडस्ट्रियल लोन्स, बीज या पम्पिंग सेट्स के सरकारी ऋण हैं उन सब की वसूली रोक देनी चाहिये।

श्री श्रीपति मिश्रा—

सभी माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं उन पर विचार करके जितना भी सम्भव हो सकेगा, हम कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

अन्तिम बात मैं यह कह दूं कि जहां तक केन्द्र से कुछ मांगने की बात है, अगर आवश्यक हुआ और यहां से हमारा काम नहीं चल सका तो उनसे भी हम अवश्य मदद मांगेंगे वरना अगर अपन यहां से ही काम चल गया तो फिर वहां से कुछ मांगन की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मुझे और कुछ कहना नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई और अन्य सुझाव हों तो माननीय सदस्य आकर मुझे बतला देंगे तो उन पर अवश्य ध्यान दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
३ मार्च, १९७०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९७ पर)

प्रश्न संख्या ३१ से संबंधित तालिका

उन दुकानदारों की सूची जिन्हें १-१२-१९६८ से ३०-३-१९६९ के बीच सस्ते गल्ले की दुकान खोलने की अनुमति दी गई--

दुकानदार का नाम एवं न्याय पंचायत जहां दुकान खोली गई :

१-- मेसर्स नागेन्द्र नाथ पवन कुमार, न्याय पंचायत दाला
२-- ,, मोहन लाल रमेश चन्द, केरघी पट्टी,
३-- ,, धनी राम मदैसिया, डोमरी,
४-- ,, अब्दुल अजीज, न्याय पंचायत जोगिया,
५-- ,, बद्री मिश्र राम सुमेर, कुर परसिया सलेमपुर,
६-- ,, अमर नाथ जगदीश प्रसाद दुधई,
७-- ,, रामसमुझ न्याय पंचायत विन्दवार तहसील हाटा,
८-- ,, हरी प्रसाद, नउली बैलिया,
९-- ,, विश्वनाथ श्री कृष्ण चन्द, चांदपुर,
१०-- ,, श्री नथुनी प्रसाद नौनापार
११-- ,, राम कवल शर्मा, खजूर
१२-- ,, अब्दुल गफ्फार, महुअवा बुजुर्ग,
१३-- ,, गौरी सुलेमान, पैकोली,
१४-- ,, पवन कुमार पिपरा चन्द्रमान,
१५--मेसर्स के० प्रसाद श्रीकृष्ण हरिजन, गोविन्दपुर,
१६-- ,, रामजीत सिंह श्री राम जैसवाल, गदनपुर,
१७-- ,, द्वारिका प्रसाद, नारायनपुर,
१८-- ,, भगवान प्रसाद, महुअवा बजराटार,
१९-- ,, लक्ष्मी राम सुल्तान खां, रामपुर कारखाना
२०-- ,, सावित्री देवी राम ध्यान, पड़रीझिलीपुर,
२१-- ,, विश्वनाथ श्री कृष्ण, पुरैनी,
२२-- ,, सहकारी संघ, घांघवार मथिया, घांघवार,
२३-- ,, पशुपति नाथ प्रमोद कुमार, मड़कड़ा,
२४-- ,, राम कवल शर्मा, लंगरी,
२५-- ,, दूधनाथ शिव दयाल बरहज म्यूनिसिपल बोर्ड,
२६-- ,, तिरथ गिरी, महुअवा।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९९ पर)

तालिका

क्रम०-संख्या	अराजपत्रित पदों का नाम	पदों की संख्या जिन पर स्थायी-करण के लिए समिति ने संस्तुति की थी	स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या	बाकी पदों के बारे में वतमान स्थिति
१	२	३	४	५
१	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग एक	६	..	६ कर्मचारियों के नाम लोक सेवा आयोग को स्थायीकरण के आदेश जारी करने पर सहमति प्रदान करने के लिए भेजे गए हैं उनकी सहमति की प्रतीक्षा है।
२	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग २ ..	१८	..	समिति ने १८ कर्मचारियों के नाम की संस्तुति स्थायीकरण के लिये की थी। उस पर लोक सेवा आयोग को सहमति के लिये लिखा गया है। उनकी सहमति की प्रतिक्षा है।
३	अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग ३ ..	३९	३८	समिति ने ३९ कर्मचारियों के स्थायीकरण की संस्तुति की थी परन्तु केवल ३८ स्थायी पदों के संबंध में ही शासकीय आदेश उपलब्ध होने के कारण ३८ पदों पर ही स्थायीकरण किया गया है।
४	लेखाकार ..	७	..	इन पदों पर स्थायीकरण का मामला कृषि निदेशक के विचाराधीन है।
५	लिपिक वर्ग ..	३९	..	३६ कर्मचारियों के स्थायीकरण का मामला कृषि निदेशक के विचाराधीन है। बाकी ३ कर्मचारियों ने त्याग-पत्र दे दिया है।
६	चतुर्थ श्रेणी वर्ग ..	११५	..	९९ पदों पर स्थायीकरण का विषय कृषि निदेशक के विचाराधीन है। बाकी १६ कर्मचारी अब फर्म पर सेवा में नहीं हैं।

विधान सभा हरियाणा प्रदेश

नत्थी 'ग'

तालिका—१

(देखिये ता० प्र० ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर)

१-१-६७ से १५-९-६९ तक की विभिन्न अवधि में देवरिया जनपद के नामांकित कोल एजेन्टों की सूची

*यही व्यक्ति अथवा फर्म १५ सितम्बर, १९६९ तक नामिनी थे।

क्रम-संख्या	कोल एजेन्टों का नाम	विभिन्न अवधि जिसमें नामांकन हुआ था					
		१-१-१९६७ से ३१-१२-१९६७	१-१-१९६८ से १-४-१९६८	मई, १९६८ से अक्टूबर १९६८	नवम्बर १९६८	दिस० १९६८ से जून १९६९	जुलाई से दि० १९६९ *
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री कर्मचन्द थापर, गोरखपुर	नामा०	नामा०	नामा०	नामा०	नामा०	नामा०
२	श्री जायसवाल कोल कं०, गोरखपुर ..	"	"	"	"	"	"
३	श्री के० एल० सच देवा कं०, गोरखपुर ..	"	"	"	"	"	"
४	श्री कौल मार्केटिंग कं०, गोरखपुर ..	"	"	..	..	..	..
५	श्री लाल एण्ड कं०, देवरिया ..	"	"	नामा०	नामा०	नामा०	नामा०
६	श्री कालू राम एण्ड कं०, देवरिया ..	"	"	"	..	"	"
७	श्री केसरी लाल कं०, देवरिया ..	..	..	..	..	..	..
८	श्री विनोद कुमार एण्ड कं०, देवरिया ..	नामा०	नामा०	नामा०	..	नामा०	नामा०
९	श्री कोल कारपोरेशन, गोरखपुर ..	"	"	"	नामा०	"	"
१०	श्री यू० पी० कोल सेल्स कारपो०, देवरिया ..	"	"	"	"	"	"
११	श्री बी० बी० कोल ट्रेडर्स, देवरिया ..	"	"	"	"	"	"

१	२	३	४	५	६	७	८
१२	श्री के० वी० कोल ट्रेडर्स, देवरिया ..	..	,,	..	..	..	..
१३	श्री गनेश कोल एजेन्ट ..	..	,,	नामा०	नामा०	नामा०	नामा०
१४	श्री रोशन कोहिली, एण्ड ब्रदर्स ..	..	..	..	..	..	..
१५	श्री केसरी लाल बद्री नारायन ..	..	..	..	..	नामा०	नामा०
१६	श्री बलवन्त राय सिंघल, देवरिया ..	..	..	..	..	,,	,,
१७	श्री डी० डब्ल्यू० सी० सी० स्टोर ..	..	..	..	..	..	,,
१८	श्री एन० के० कोल कम्पनी	..	..	..	..	..	,,
१९	श्री चन्द कोल कम्पनी	..	..	..	..	..	,,
		८ एजेंट	१३ एजे०	१० एजे०	८ एजे०	११ एजे०	१४ एजे०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

तालिका–२

सितम्बर तथा अक्तूबर, १९६९ के स्लैक सीजन की अवधि के लिये नये नामांकित कोल एजेन्टों की सूची, जिला देवरिया।

क्रम-सं०	नाम कोल एजेन्ट	(यही व्यक्ति अथवा फर्म १५ सितम्बर, १९६९ तक नामिनी थे)
१	मेसर्स साहु कोल ट्रेडर्स, झरिया	
२	,, एन० प्रसाद, झरिया	
३	,, गुप्ता कोल ट्रेडर्स, देवरिया	
४	,, अग्रवाल कोल एजेंसी, झरिया	
५	,, विजय कोल कारपोरेशन, देवरिया	
६	,, अरून कोल कम्पनी, झरिया	
७	,, क्रांति कोल कम्पनी, बनारस	
८	,, हिन्दुस्तान कोल सप्लायर्स, गोरखपुर	
९	,, आर्य कोल ट्रेडर्स, गोरखपुर	
१०	,, शंकर जी श्याम जी, देवरिया	
११	,, राज कोल सप्लायर्स, गोरखपुर	
१२	,, गरदास राय कपई, गोरखपुर	
१३	,, एस० एन० पोद्दार, गोरखपुर	
१४	,, श्याम लाल सुण्डा, लखनऊ	
१५	,, एस० के पाण्डेय, बलिया	
१६	,, दत्तू एण्ड सिंह ट्रेडिंग कं०, बलिया	
१७	,, आई० डी० पाण्डेय एण्ड कं०, मालगोदाम रोड, बलिया।	
१८	,, कमल एण्ड कम्पनी, झरिया	
१९	,, प्रकाश कोल ट्रेडर्स, देवरिया	
२०	,, जितेन्द्र एण्ड कम्पनी, देवरिया	
२१	,, शुक्ला ट्रेडिंग कम्पनी, देवरिया	
२२	,, सेल्स सप्लाइज कारपोरेशन, सलेमपुर	
२३	,, परूल कोल सेडीकेट, स्टेशन रोड, सलेमपुर	
२४	,, भगवान दास कनोडिया, फोन नं० १८४, देवरिया	
२५	,, भारत ट्रेडिंग कारपोरेशन, संतोष भवन, कोतवाली रोड, बस्ती	
२६	,, कोल ट्रेडिंग कम्पनी, कोल मर्चेन्ट्स, लक्ष्मी निवास, चेतगंज, वाराणसी	
२७	,, के० एन० गुप्ता एण्ड कं०, धर्मशाला रोड, झरिया, धानवाद	
२८	,, जय भारत कोल कम्पनी, पुरदमिपुर, गोरखपुर	
२९	,, संगम कोल कम्पनी, जामा मस्जिद, आजमगढ़।	
३०	,, बी० डी० पाण्डे, प्रदर्स कम्पनी, सेवा कुटीर, देवरिया।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतां० प्र० सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर)

१ अक्तूबर, १९६८ से जून, १९६९ तक गोंडा जिले को दिया गया कोयला (३४,५०० टन)

		नाम व पता भट्ठा ईंट	भट्ठे का स्थान	निजी या कोआपरेटिव सोसाइटी	अक्तूबर, १९६८ से जून, १९६९ तक दिया गया कोयला (टनों में)
		१	२	३	४
१	सर्वश्री	आशा मल कन्हैया लाल, पटेल नगर गोण्डा ..	परसावालपुर	निजी	२९९.६
२	,,	स धा नन्द दयानन्द, बनकटवा, गोण्डा ..	दुल्हापुर	,,	२७०.९
३	,,	विशन दास, बनकटवा, गोण्डा	मुन्डेरवा कलां	,,	५०९.०
४	,,	राम अचल, विशुनपुर बेरिया	विशुनपुर बेरिया	,,	९२.८
५	,,	महादेव प्रसाद मिश्रा, मिश्रौलिया, ग्राम ..	मिश्रौलिया	,,	१६६.२
६	,,	गुर बख्श सिंह रनजीत सिंह, बड़ागांव, गोण्डा ..	खैरा	,,	२३१.५
७	,,	प्रभूदास विशन दास, बनकटवा, गोण्डा ..	मिश्रौलिया	,,	२१३.०
८	,,	विशन लाल घनश्याम दास, पटेल नगर ..	जानकीनगर	,,	१२७.४
९	,,	टोलूमल—महाराजगंज, गोंडा	महाराजगंज	,,	१४८.०
१०	,,	देनामल खेमा मल, बनकटवा, गोण्डा ..	मिश्रौलिया	,,	४८९.७
११	,,	मोहम्मद समी एण्ड संस, अहिरान, गोण्डा ..	लुछैयाताल	,,	११२.४
१२	,,	हसमत राय राजपाल, बड़गांव, गोंडा ..	पाठकपुरवा	,,	१०९.०
१३	,,	गुड्यल एण्ड कम्पनी, पटेलनगर, गोण्डा ..	सुदैया ताल	,,	४१९.०२
१४	,,	अब्दुल जब्बार खां, सिसवरिया	उम्मेदजोत	,,	३४०.७
१५	,,	दीप नरायन बन, श्रीनगर ग्राम	रोनानार	,,	२४६.६
१६	,,	मनी सिंह, ग्राम नौशहरा ..	नौशहरा	,,	२७१.५

१		२		३	४
१७	सर्वश्री	अमरजोत एण्ड कम्पनी, रानी-बाजार, गोण्डा ..	बेलवाकरम डीह	निजी	४८.८
१८	,,	खेम चन्द साजन दास, कुकुर-मुकवा ..	कुकुरमुकवा	,,	१९०.२
१९	,,	त्रिलोक सिंह, सरैयां ग्राम ..	सरैया	,,	३८३.३
२०	,,	मोहम्मद इस्माईल, थानेपुर, बाजार ..	थानेपुर	,,	१४८.५
२१	,,	राम लाल, फारबिसगंज, गोण्डा	,,	,,	२१८.०
२२	,,	मंगलसेन अरोरा, ग्राम रुद्रगढ़-नोसी ..	रुद्रगढ़नौसी	,,	९३.४
२३	,,	चेतनदास, ग्राम ओरामार	ओरामार	,,	११६.६
२४	,,	ब्रह्मानन्द सिहता, बलरामपुर	दुशाह	,,	२८४.६
२५	,,	नौतन दास बलरामपुर	बेलहा	,,	२७५ ९
२६	,,	गुरमुख दास नौतनदास, बल-रामपुर ..	महादेव मिश्रा	,,	१०३.५
२७	,,	दिलीप सिंह, बलरामपुर ..	महादेव	,,	२४.४
२८	,,	गुरमुख दास, चेतनदास, बन-कटवा, गोण्डा ..	दुशाह	,,	४८०.२
२९	,,	विन्देश्वरी सिंह, बलरामपुर	महाराजगंज	,,	७२.५
३०	,,	सपरो प्रसाद, पचपेड़वा बाजार	परमोस्तहपुर	,,	६८.२
३१	,,	सरदार इन्द्र सिंह, पचपेड़वा बाजार ..	पचपेड़वा बाजार	,,	२०६.३
३२	,,	नरेन्द्र सिंह, तुलसीपुर बाजार	तुलसीपुर बाजार	,,	१४४.३
३३	,,	भुलई सिंह, नेबुइयां ..	नेबरिया	,,	११७.०
३४	,,	केदार नाथ कैलाश नाथ, ग्राम सीतलापुर ..	सीतलापुर	,,	१०४.७
३५	,,	किशोरीलाल, तुलसीपुर ..	देवीपाटन	,,	७०.७
३६	,,	सुजान सिंह, परीवसंगऊ, गोंडा	बीरापुर	,,	४१६.६
३७	,,	महेन्द्र सिंह बेन्ट सिंह, उतरौला	हरदोवा	,,	२७९.७
३८	,,	श्रीचन्द, ग्राम अलावलपुर ..	लालनगर	,,	१८८.३
३९	,,	किशन लाल चौपड़ा, मनकापुर बाजार ..	मनकापुर	,,	२६२.४
४०	,,	जैजै राम शिव बालक, बिहटा ग्राम ..	बिहटा	,,	१७०.१
४१	,,	चन्द्र शेखर शुक्ला, दतौली बाजार ..	मददौभाट	,,	७०.३

अमर उजाला सभा

१			२	३	४
४२	सर्वश्री	मनकापुर राज सहकारी समिति लि०, मनकापुर . .	मनकापुर	सोसायटी	६३७.९
४३	,,	रफी महमूद अहमद महमूद, चमरूपुर . .	चमरूपुर	निजी	४५५.५
४४	,,	धाबरदास गिरधारी लाल, बभनान . .	बभनान	,,	९२.४
४५	,,	उत्तम चन्द तोपन मल, करनैलगंज . .	करनैलगंज	,,	२२५.८
४६	,,	जनता ब्रिक कोल्ट, मसकनवा	मसकनवा	,,	१६७.०
४७	,,	हजारी लाल केदार नाथ, परसपुर . .	सोहास	,,	८०.३
४८	,,	मोहम्मद याकूब, आसेगांव . .	धुसवा	,,	६७.४
४९	,,	हरी किशोर सिंह, ग्राम आटा	आटा	,,	५९.०
५०	,,	शिवशंकर, ग्राम बलमधीर	बलमधीर	,,	४३.७
५१	,,	गुडडूमल सुभागामल, वजीरगंज	वजीरगंज	,,	१९२.१
५२	,,	कन्हैयालाल भोपट राम, करनैलगंज . .	करनैलगंज	,,	४१३.१
५३	,,	राम स्वरूप श्री किशन, करनैलगंज . .	देवीतालमहा	,,	७१.६
५४	,,	जोधा राम, ग्राम गोरो . .	गोरो	,,	५५.४
५५	,,	माधव राज शिव भगवान, बेलसर . .	बेलसर	,,	१५७.८
५६	,,	जगदीश प्रसाद, बेलसर . .	बेलसर	,,	८३.५
५७	,,	सूर्य दत्त ज्ञानदेव, बेलसर . .	बेलसर	,,	११३.५
५८	,,	जमील अहमद, ग्राम कोल्हो	कोल्हो	,,	९५.०
५९	,,	सुन्दर ब्रिक कोल्ड . .	बभनान	,,	५४.१
६०	,,	नन्द लाल, ग्राम पिपरा . .	पिपरा	,,	१०८.८
६१	,,	देवनदास, ग्राम बढ़या . .	बढ़या भेसाही	,,	४७.०
६२	,,	लक्ष्मी चन्द गुप्ता, बलरामपुर	कोल्हो	,,	४६.८
६३	,,	श्री राम मोहम्मद इदरीस, जहांनगांव . .	जहांनगांव	,,	२१.५
६४	,,	श्री राम शरन मिश्रा, गोण्डा	. .	,,	३०६.२
६५	,,	फैजुल हसन, गोण्डा . .	. .	,,	२३.९
६६	,,	नागरानी एण्ड कम्पनी, इठियांठोक . .	इठियांठोक	,,	१३०.७

अनुविभागीय सभा

१		२	३	४
६७	सर्व श्री फजुरूल हक दबीरूल हक, तुलसीपुर ..	तुलसीपुर	निजी	७१.८
६८	,, चन्द्रसेन सिंह, बलरामपुर	बलरामपुर	,,	२८२.३
६९	,, इफ्तिखावार हुसेन, गोण्डा ..	गोण्डा	,,	४७.१
७०	,, इसरारुलहक, पचपेड़वा ..	..	,,	७७.२
७१	,, अब्दुल हलीम मोहम्मद सलीम, पचपेड़वा ..	..	,,	९५.०
७२	,, माता प्रसाद सिंह, गोण्डा ..	..	,,	३००.९
७३	,, राम कुमार तिवारी, इठियांठोक	..	,,	१५०.८
७४	,, चन्द्र देव पाठक, ..	..	,,	५९.३
७५	,, रघुपति राम मिश्रा, गोण्डा	..	,,	८५.३
७६	,, नसरूल्ला खां, पचपेड़वा ..	..	,	५५.५
७७	,, बिजलेश्वरी प्रसाद तुलसीपुर	..	,,	२३.६
७८	,, बजरंग लाल ..	..	,,	९०.५
७९	,, मोहम्मद अमीन, गैसढ़ो ..	..	,,	५९.३
८०	,, नारायन दास, जैराम दास, गोंडा	..	,,	४७.२
८१	,, अशोक कुमार बिहारी लाल	..	,,	२२७.८
८२	,, बधेरे प्रसाद ..	..	,,	२३.५
८३	,, मुजीब उल्ला ..	..	,,	४८.७
८४	अजीज अहमद, पचपेड़वा	..	,,	४८.३
८५	,, राधेश्याम ..	..	,,	२६४.४
८६	,, नरेन्द्र मिश्रा ..	..	,,	५४.६
८७	,, राम आज्ञा सिंह ..	..	,,	५६.८
८८	,, राम दुलारे ..	..	,,	५३.४
८९	,, लाल चन्दजीत ..	..	,,	५३.८
९०	,, मेहल दास ..	..	,,	५३.८
९१	,, राम प्रसाद ..	..	,,	२३.०
९२	,, परमेश्वर प्रसाद ..	..	,,	७१.२
९३	,, बालेश्वर सिंह ..	..	,,	४६.३
९४	,, किशन लाल अशोक कुमार	..	,,	२४.१
९५	,, भिखारी मिश्रा ..	..	,,	२६.३
९६	,, ब्रह्मादीन सिंह ..	..	,,	४६.६
९७	,, चमनलाल ..	..	,,	२२.३
९८	,, डी० सी० डी० एफ ..	सीकावस्लवर	सोसाइटी	—
९९	,, ,, ..	,,	,,	—

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९ एल० ए०—१९७०—८४५ ।

अध्यक्ष सचिवालय सभा